सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

१७ सितंबर को प्रतिरोध दिवस मनाओ

विषय सूची

१. सीटू की वर्किंग कमेटी की बैठक ३
२. बढ़ते खतरे के खिलाफ व्यापकतम एकता जरूरी—बी. टी. रणदिवे ६
३. अधिनायकवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करो—पी. राममूर्ति १४
४. वर्किंग कमेटी द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव २०
५. सीटू के सेक्रेटेरियट की बैठक २७
६. पश्चिम बंगाल में द्वितीय वाममोर्चा सरकार २६
७. त्रिपुरा प्रगति के पथ पर ३३
८. राष्ट्रीय प्रश्न : नवें दशक की चुनौती —अचिंत्य भट्टाचार्य ३६
९. बदनाम प्रेस विधेयक ४२
१०. बिहार के पत्रकारों के साथ सीटू की एकजुटता ४३
११. सरकार द्वारा श्रमविरोधी काले विधेयक पारित ४४
१२. कोयला मजदूरों द्वारा देशव्यापी हड़ताल की तैयारी ४५
१३. राष्ट्रीय अभियान समिति ४७
१४. रेल समाचार ४७
१५. नाविकों द्वारा चेतावनी हड़ताल ४८
१६. राज्य सरकार कर्मचारियों का मांग दिवस ४६
१७. केंद्रीय सरकार कर्मचारियों ने मांग दिवस मनाया ४६
१८. बंबई की कपड़ा हड़ताल आंठवें महीने में ५०
१९. बंबई में गोलीबारी की सीटू द्वारा निंदा ५०
२०. संसद पर दहेज विरोधी प्रदर्शन ५१
२१. युद्ध के खिलाफ और शांति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष ५२
२२. भेल मजदूरों द्वारा प्रतिरोध ५३
२३. 'सीटू मजदूर' प्रेस पर नक्सलपंथियों का हमला ५३
२४. रिजर्व बैंक प्रशासन द्वारा अस्थिरता पैदा करने की कोशिश ५४
२५. राज्यों के समाचार ५५

ध्वजारोहण

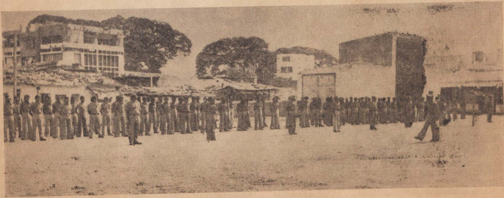

बंगलौर में लाल वालंटियर सलामी देते हुए

सीटू की वर्किंग कमेटी की बैठक

सीटू की वर्किंग कमेटी की बैठक २३ से २५ जुलाई को बंगलौर में संपन्न हुई. इसमें अगस्त १९९१ में बेलूर, हावड़ा में संपन्न पिछली जनरल काउंसिल की बैठक के बाद की स्थिति का जायजा लिया गया और विभिन्न समस्याओं से संबंधित कई फैसले लिए गए. इसमें एकजुट संघर्षों के विकास का भी जायजा लिया गया जिसके तहत पिछली १६ जनवरी को एक दिन की देशव्यापी आम हड़ताल हुई. इसने अधिनायकवाद का मुकाबला करने के लिए फौरी एकता का जोरदार आह्वान किया.

बैठक से पहले बैठक स्थल 'देवंग संघ' हाल के पास २३ जुलाई को सीटू अध्यक्ष कामरेड बी० टी० रणदिवे ने झंडा फहराया. लगभग ३०० वालंटियरों ने लाल कमीजें पहने परेड की और लाल झंडे को सलामी दी. वर्किंग कमेटी के ६० सदस्यों ने बैठक में भाग लिया.

शहीदों व कामरेड ए. बालसुब्रह्मण्यम, जयपाल सिंह, ज्योतिर्मय बसु, व पंकज आचार्य पर शोक प्रस्ताव पारित होने के बाद बी० टी० रणदिवे ने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया.

क्रिडेंशल कमेटी

बैठक ने क्रिडेंशल कमेटी बनाई जिसके ए० नल्लासिवन, संयोजक तथा पारसा सत्यनायण, ओ. भरथन, चित्तव्रत मजूमदार व टी. एन. नंबिराजन सदस्य थे.

प्रस्ताव सब-कमेटी

एक प्रस्ताव सब-कमेटी बनी जिसके नृसिंह चक्रवर्ती, संयोजक तथा आर० उमानाथ, सुनील बसुराय, बिरेन राय, के. एन. रविंद्रनाथ व पी. संजगिरी सदस्य थे.

अध्यक्षीय भाषण व महासचिव की रिपोर्ट के अलावा सदस्यों में जो रिपोर्टें वितरित की गईं वे इस प्रकार हैं:

१. ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति के कार्य पर एम. के. पंधे की रिपोर्ट.

२. आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल की राज्य कमेटियों के महासचिवों की रिपोर्टें.

३. आल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन, वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया, एच एस सी एल वर्कर्स व बीड़ी वर्कर्स की आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटियों के महासचिवों/संयोजकों की रिपोर्टें.

राष्ट्रीय अभियान समिति

एम० के० पंधे की रिपोर्ट पर हुई बहस में बिरेन राय, एन. प्रसाद राव, एस० सूर्यनारायण राव, मनोरंजनराय, सुशील भट्टाचार्य, के० रमणी, एन० पद्मालोचन व पी० के० कुरणे ने हिस्सा लिया.

बहस का समापन करते हुए बी० टी० रणदिवे ने कहा कि नोट करनेवाला आम मुद्दा यह है कि हम वर्ग संघर्ष पर आधारित सैद्धान्तिक एकता के लिए संघर्ष करते हैं. यह सोचना ठीक

वर्किंग कमेटी की बैठक का एक दृश्य

नहीं होगा कि हम कुछ सिद्धांतों पर केवल इसलिये संघर्ष करना छोड़ दें कि कुछ उनसे सहमत नहीं हैं और अलग हो सकते हैं. इस बारे में हमें अपनी स्वतंत्र ताकत का निर्माण करना होगा और लचीले उपाय अपनाने होंगे. सीटू को ट्रेड यूनियनों का एक कनफेडरेशन बनाने के लिये फिर से आह्वान करना चाहिये. शासक का पार्टी के बढ़ते अधिनायकवाद के खिलाफ सैद्धांतिक एकता बनाने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिये ट्रेड यूनियनों की कनफेडरेशन के निर्माण की हमारी नीति को कार्यान्वित करने का बैठक ने फैसला लिया.

कोयला उद्योग

एम० के० पंधे ने कोयला उद्योग में गंभीर स्थिति की रिपोर्ट पेश की. सुनील बसु राय, चंडी प्रसाद व एस० कुमार ने बहस में हिस्सा लिया. बैठक ने फैसला लिया कि अगस्त में धनबाद में होने वाले सम्मेलन में भाग लेने वाली अन्य यूनियनों के साथ सीटू सांकेतिक हड़ताल के सवाल पर विचार करे.

जूट उद्योग

कमल सरकार ने पश्चिम बंगाल में जहां १७ मिल बन्द पड़े हैं जूट उद्योग के बारे में रिपोर्ट पेश की. १० अगस्त को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का आह्वान पहले ही किया जा चुका है. इंटक नेताओं का एक हिस्सा भी समर्थन कर रहा है.

ज्योति बसु का भाषण

इसके बाद सीटू के उपाध्यक्ष ज्योति बसु ने बैठक को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि हम सबको यह समझना चाहिये कि मजदूर वर्ग को अपने हड़ताल के अधिकार से वंचित करने के लिये उठाए गये अधिनायकवादी कदमों के साथ-साथ सरकार व शासक पार्टी एक सैद्धांतिक हमला कर रही है. सीटू को अपने अभियान को तेज करना चाहिए और ठीक तरह से इस सैद्धांतिक हमले का मुकाबला करना चाहिये. उन्होंने सदस्यों का ध्यान आई एम० एफ कर्ज, जिसके बारे में सरकार ने राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया, कीमत वृद्धि को नियंत्रित करने में इसकी अयोग्यता, इस द्वारा मजदूरों को उचित वेतन देने से इन्कार करने और उत्पादकता वेतन को जोड़ने की कोशिश की ओर दिलाया और कहा कि ये सब मजदूरों के जीवन पर असर डालते हैं. उन्होंने खासतौर से उद्योग में बढ़ती रुग्णता की ओर इशारा किया. जूट उद्योग की ओर इशारा करते हुए उन्होंने जूट सामंतों की आलोचना की कि उन्होंने न केवल मजदूरों को उनका जायज वेतन नहीं दिया है बल्कि जूट पैदा करने वाले किसानों को भी कच्चे जूट के लिए लाभकारी दाम नहीं दिए हैं. उन्होंने सदस्यों का आह्वान किया कि वे जन संघर्षों के साथ-साथ इस तरह से अभियान करें जिससे मजदूरों की चेतना का स्तर बढ़े.

सीटू का पांचवा सम्मेलन

सम्मलन के लिये प्रतिनिधियों के चुनाव के तरीके पर विचार हुआ. आर० उमानाथ, एम० एम० लारेंस, मनोरंजन राय, रोबिन मुखर्जी, एम०के० पंधे प्रभाकर संजगिरि, नृसिंह चक्रवर्ती, एम० सूर्य नारायण राव, बिमल चटर्जी व एम प्रसाद राव ने इसमें भाग लिया.

सबकी सहमति से प्रतिनिधियों की कुल संख्या २,५०० तय की गई. इसे विभिन्न राज्यों में उस सदस्यता के आधार पर वितरित किया जाएगा जिसके चंदे की राशि प्राप्त की जा चुकी है. यह भी फैसला लिया गया कि राज्यों में प्रतिनिधियों का चुनाव ५०० सदस्यों पर एक प्रतिनिधि के आधार पर हो. राज्य कमेटियां इस बात का ध्यान रखें कि सम्मेलन के लिये प्रतिनिधि सभी उद्योगों व मजदूरों की सभी श्रेणियों से चुने जायें.

सम्मेलन के स्थान व इसकी तारीख के बारे में सदस्यों का विचार था कि यह कलकत्ता में मई १९८३ में आयोजित हो. उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी के अध्यक्ष हर सहाय सिंह ने सम्मेलन को कानपुर में आयोजित करने का निमंत्रण दिया. यह फैसला किया गया कि पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी इस सवाल पर विचार करे और इसके बार में केन्द्र को १२ दिन के अन्दर बताए ताकि सेक्रेटेरियट इस पर अन्तिम फैसला ले सके.

आल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन का सम्मेलन सिलिगुड़ी में सितंबर में आयोजित करने का फैसला किया गया.

प्रस्ताव

'श्रम विरोधी काले विधेयक' युद्ध का बढ़ता खतरा और शांति के लिए संघर्ष', 'फिलिस्तीन पर इस्राइली हमले', 'उद्योगों में रुग्णता', 'महिलाओं पर अत्याचार' 'बंबई कपड़ा हड़ताल', तथा अन्य प्रस्तावों पर बहस हुई व उन्हें अपना लिया गया. बंबई के कपड़ा मजदूरों के समर्थन में १२ अगस्त को एकजुटता दिवस मनाने का फैसला किया गया.

राजस्थान की स्थिति

राजस्थान सीटू की मौजूदा स्थिति का सवाल भी लिया गया. मोहन पुनमिया को अपनी स्थिति बताने को कहा गया. उन्होंने कहा कि राजस्थान राज्य कमेटी के महासचिव ने कुछ यूनियनों के चुनाव कराए थे और इस तरह उन्होंने कई यूनियनों में विभाजन पैदा किया. उन्होंने कहा कि वह इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं यदि इससे फिर से एकता स्थापित होने तथा सीटू की साख बढ़ाने मदद मिलती है.

महासचिव दुर्गादास शिराली ने बताया कि किस प्रकार मोहन पुनमिया एक सामानांतर सीटू केन्द्र चला रहे हैं और राजस्थान के विभिन्न केंद्रों में अविश्वसनीय नेतृत्व को समर्थन दे रहे हैं. उन्होंनेबताया कि अब आम सदस्य आगे आ गए हैं इसलिए कोटा में अविश्वसनीय नेतृत्व कोटा में ट्रेड यूनियन गतिविधियों को स्थिर करने के लिए अदालत में चले गए हैं. बैठक ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया.

राजस्थान पर प्रस्ताव

"वर्किंग कमेटी राजस्थान में उत्पन्न स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त करती है जहां राजस्थान का मजदूर वर्ग अपने जीवन स्तरों पर गंभीर हमलों का सामना कर रहा है.

कोटा में कई संस्थानों के मजदूरों

का सीटू अभिनन्दन करती है जिन्होंने यूनियनों के कार्यों को जनवादी तरीकों से व सीटू की नीतियों के अनुसार चलाने के लिए एक नया नेतृत्व चुना है.

पदच्युत नेतृत्व के समर्थन में और यूनियन चुनावों की वैधता को चुनौती देने में कामरेड पुनमिया की कार्यवाही को वर्किंग कमेटी अस्वीकार करती है. यह उनसे कहती है कि उनके समर्थक चुनावों को चुनौती देने वाली याचिका अदालत से वापस लें और नवनिर्वाचित नेतृत्व का विरोध करना बन्द करें.

वर्किंग कमेटी कामरेड पुनमिया से यह भी कहती है कि वे अपने आप को ढांढा की गतिविधियों से अलग रखें. यह नोट करती है कि उन्होंने ढांढा की निंदा नहीं की है जो औद्योगिक संस्थानों के शेयर खरीदने के कसूरवार पाए गए हैं.

इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वर्किंग कमेटी समझती है कि पुनमिया राजस्थान सीटू के अध्यक्ष का कार्य जारी नहीं रख सकते. यह उनका इस्तीफा स्वीकार करती है. यह सेक्रेटेरियट से जल्दी ही राज्य कमेटी का पुनर्गठन करने के लिए कहती है."

महासचिव व राज्य कमेटियों की रिपोर्ट

सभी साथियों ने अध्यक्षीय भाषण व महासचिव की रिपोर्ट में व्यक्त नीति का समर्थन किया. अपने अपने राज्यों में अपने अनुभव भी उन्होंने उल्लेखित किए.

पी० के० कुरणे ने बंबई के कपड़ा मजदूरों के लंबे संघर्ष व सीटू की गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की. मनोरंजन राय ने घोषणा की कि सीटू की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी बंबई के कपड़ा मजदूरों की राहत के लिए १०,००० रुपये का अनुदान देगी. तमिलनाडु राज्य कमेटी की ओर से आर० उमानाथ तथा केरल राज्य कमेटी की ओर से के० एन० रविन्द्रनाथ ने घोषणा की कि ये दोनों ही कमेटी पांच पांच हजार रुपये का अनुदान देंगी. जीवन बिहारी राय ने घोषणा की कि स्टील वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया राहत कार्य के लिए २,००० रुपये देगी.

कोष का हिसाब किताब

टी० एन० नंबिराजन ने कोष का हिसाब-किताब पेश किया और सुझाव दिया कि एक प्रविष्टि हिसाब-किताब प्रणाली को बदल कर द्विप्रविष्टि प्रणाली कर दिया जाना चाहिए. हिसाब-किताब से संगठन की सदस्यता प्रदर्शित होनी चाहिए और यह तभी संभव है जब सालाना ब्यौरा (एनुअल रिटर्न) सही समय पर भेजा जाए. बैठक ने खर्च को स्वीकार कर लिया और आश्वासन दिया कि ब्यौरे के मुताबिक जहां तक संभव हो सका कदम उठाए जाएंगे.

बी० टी० आर० द्वारा समापन

बी० टी० रणदिवे ने फैसलों व बहस का समापन किया. उन्होंने कहा कि इस बार सीटू की विभिन्न राज्य कमेटियों व फेडरेशनों से लिखित रिपोर्ट उपलब्ध हुई. सीटू के विस्तार के साथ साथ उद्योग में सामूहिक विचारविमर्श पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए और अपने अनुभवों को समूची सीटू सदस्यता की संपत्ति बनाना चाहिए.

उन्होंने सदस्यों का ध्यान मौजूदा स्थिति की गंभीरता की ओर दिलाया. उन्होंने कहा कि पहले कई ट्रेड यूनियन केंद्रों ने भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए हमलों का विरोध करने के लिए एकजुट प्रतिरोध की जरूरत महसूस नहीं की. पिछले अधिवेशन में पेश किए गए चार काले विधेयकों से पता चलता है कि मजदूर वर्ग को इस हमले का सामना करना है. यह स्वाभाविक ही है. इतिहास बताता है कि तानाशाही निजाम की स्थापना की सभी कोशिशें मजदूर वर्ग पर दमन में ही शुरू होती हैं. इतिहास यह

(शेष पृष्ठ १३ पर)

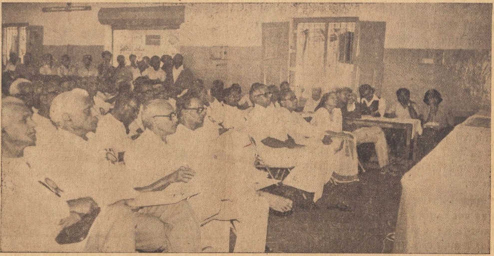

वर्किंग कमेटी की बैठक का एक और दृश्य

बढ़ते खतरें के खिलाफ व्यापकतम एकता जरूरी

साथियो, जनरल काउंसिल के पिछले अधिवेशन के फौरन बाद ही का० बालसुब्रह्मण्यम के निधन के रूप में हमारे संगठन को भारी क्षति उठानी पड़ी. का० बालसुब्रह्मण्यम हमारे संगठन के प्रमुख नेताओं तथा संस्थापकों में से थे. पिछले कई दशकों में तमिलनाडु में जो ट्रेड यूनियन आंदोलन खड़ा हुआ है, उसके निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी.

साथियो, ए बालसुब्रह्मण्यम सीटू की स्थापना के समय से ही इसकी वर्किंग कमेटी के सदस्य थे. वह सी पी आइ (एम) के प्रमुख नेता थे तथा उसके पोलित ब्यूरो के सदस्य भी थे. उनके निधन से देश के मजदूर आंदोलन को भारी क्षति हुई है.

दिमित्रोव जन्मशती

इस साल दुनिया भर में मजदूर वर्ग के वर्ग चेतन हिस्सों ने महान योद्धा तथा अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के नेता और लेनिन द्वारा स्थापित कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के महासचिव ज्योर्जी दिमित्रोव की जन्मशती मनायी. मार्क्सवाद-लेनिनवाद तथा सर्वहारा अंतर्राष्ट्रवाद के प्रति वफादार बल्गारिया का यह छापाखाना मजदूर एक दिन अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के पद पर जा पहुंचा. यह वही दौर था जब फासीवाद दुनिया भर के लिए खतरा बन चुका था और विश्व युद्ध छेड़ने पर आमादा था. स्टालिन के दिशा निर्देशन में, जिसके नाम से हर रंगत के सुधारवादी दहल जाते हैं, उन्होंने कामयाबी के साथ अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन को, युद्ध तथा फासीवाद के विरुद्ध प्रतिरोध को एकजुट करने की दिशा दी. इससे पहले नाजी अदालत में अदम्य साहस का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें भारी ख्याति मिल चुकी थी. मौत की सजा के खतरे के साये में उन्होंने नाजियों के झूठे प्रचार से साम्यवाद के सिद्धांतों की रक्षा की थी. उन्होंने कह दिया था कि जाति तौर पर अपना बचाव पेश करने में उनकी कोई रुचि नहीं है, और कि वह कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिज्म की विचारधारा की रक्षा करने के लिए खड़ हुए हैं.

दिमित्रोव ने अपने पीछे जो परंपरा छोड़ी है, वह हम लोगों के लिए, जिन्हें तानाशाही के खतरे का मुकाबला करना पड़ रहा है, एक अमूल्य निधि है. इसी तरह के खतरे का मुकाबला करने के लिए दिमित्रोव ने ट्रेड यूनियन एकता, मजदूर वर्ग की एकता और इस एकता के गिर्द फासीवाद के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए तमाम प्रगतिशील ताकतों के संयुक्त प्रतिरोध का आह्वान किया था.

सर्वहारा अंतर्राष्ट्रवाद को इस थाती का महत्व आज और भी बढ़ गया है. घृणित अमरीकी साम्राज्यवाद सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध छेड़कर मानव जाति की तबाही पर आमादा है और दुनिया के सामने एक नाभिकीय युद्ध का खतरा पैदा कर रहा है.

अमरीका द्वारा नाभिकीय युद्ध की तैयारियां

युद्ध की तैयारी के लिए अमरीकी साम्राज्यवादी आम जनसंहार के हथियारों के उत्पादन पर अरबों डालर खर्च कर रहे हैं. अब उनकी कोशिश इन हथियारों को अंतरिक्ष में जमाने की है ताकि यह नरभक्षी ताकत अपनी इच्छाओं का विरोध करने वाले किसी भी देश पर मौत और तबाही का कहर बरसा सके.

आज अगर लाखों लोगों की बलि लेने वाले नाभिकीय युद्ध का खतरा दुनिया के सिर पर मंडरा रहा है तो इसकी वजह सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर आमादा अमरीकी साम्राज्यवादियों की अपराधपूर्ण नीतियों और दुनिया भर पर प्रभुत्व कायम करने की इनकी कोशिश में ही है.

साथियो, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रवाद, खुद अपने देश की जनता तथा दुनिया भर की जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी का तकाजा है कि भारत का समूचा मजदूर वर्ग, समूचा ट्रेड यूनियन आंदोलन युद्धोन्मादियों को बेनकाब करने तथा उन्हें अलग-थलग डालने के लिए सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करे और नाभिकीय युद्ध

अध्यक्षीय भाषण देते हुए कामरेड बी टी रणदिवे

के खतरे को रोकने के लिए दुनिया भर के मजदूर वर्ग तथा मेहनतकश जनता की आवाज में अपनी आवाज मिलायें. यूरोप में तथा अमरीका में भी जबर्दस्त "शांति मार्च" हुए हैं और मजदूर वर्ग के व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं जिन्होंने साम्राज्यवादियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

सोवियत संघ के प्रस्ताव

हथियारों की दौड़ को रोकने के तथा धीरे-धीरे नाभिकीय हथियारों का उत्पादन खत्म करने के लिए सोवियत संघ ने ठोस प्रस्ताव रखे हैं जिनसे शांति की शक्तियों को, युद्धविरोधी शक्तियों को बहुत ताकत मिली है. सोवियत संघ ने इकतरफा तौर पर यह घोषणा भी की है कि वह नाभिकीय हथियारों का इस्तेमाल करने में पहल नहीं करेगा. सोवियत संघ की इस घोषणा का दुनिया भर के मजदूर वर्ग और तमाम शांतिकामी शक्तियों ने स्वागत किया है. लेकिन रीगन इस पहल के महत्व को कम करने की कोशिश कर रहा है.

भारत की ट्रेड यूनियनें और युद्धविरोधी संघर्ष

साथियो, इस विराट संघर्ष में, जनसंहार की मुहिम को रोकने के इस संघर्ष में भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्या भूमिका रही है ? हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे देश का ट्रेड यूनियन आंदोलन, जो विभिन्न विचारधाराओं के प्रभाव में है, इस अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में कोई खास भूमिका अदा नहीं कर रहा है और इस तरह सर्वहारा अंतर्राष्ट्रवाद के झंडे के मान को घटा रहा है. यह सही है कि इस मई दिवस पर देश भर में सीटू यूनियनों ने युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज उठायी थी और युद्ध के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योग दिया था. मई दिवस पर एटक तथा संभवतः कुछ दूसरे संगठन से संबद्ध यूनियनों ने भी युद्ध के विरोध में आवाज उठायी थी. लेकिन बाकी तमाम मजदूर, ट्रेड यूनियन आंदोलन के दूसरे सभी हिस्से, इस खतरे के प्रति अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी के प्रति अंधेरे में ही रहे. अंतर्राष्ट्रवाद को छोड़ने और सिर्फ मांगों पर ही ध्यान देने का संकीर्ण नजरिया सर्वहारा चेतना को विघटित करता है.

साथियो, इसके अलावा यह भी गौर करने की बात है कि मई दिवस पर सीटू तथा एटक भी अपनी कतारों को साथ-साथ नहीं खड़ा कर सके क्योंकि एटक के नेता अमरीका और चीन को एक ही पलड़े में रखना चाहते थे.

यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और युद्धविरोधी संघर्ष की दिशा में ले जाने के लिए संघर्ष करें.

हमें इस संघर्ष की अगली पांतों के रूप में काम करना होगा और आनेवाले महीनों में युद्ध के खिलाफ मजदूर वर्ग के प्रतिरोध को सक्रिय करना होगा. वर्ल्ड फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस ने १ सितंबर का दिन "युद्धविरोधी दिवस" के रूप में मनाने का आह्वान किया है. हमें इस आह्वान का जबर्दस्त स्वागत करना चाहिए. सीटू और उसकी यूनियनें इस युद्धविरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए ट्रेड यूनियनों के व्यापकतम हिस्सों को हरकत में लाने के लिए हर जगह पहल करें. हमें उन सब लोगों के साथ एकजुट होने के लिए तैयार रहना चाहिये जो अमरीकी साम्राज्यवाद को युद्ध की जड़ मानते हैं और जो किसी समाजवादी देश के विरोधी नहीं हैं तथा जो "दो महाशक्तियों" की बकवास नहीं करते हैं.

इस्राइली हमला

साथियो, समूची प्रगतिकामी दुनिया, समूचे मजदूर आंदोलन, सभी समाजवादी देशों की सरकारों और गुटनिरपेक्ष देशों की सरकारों ने अमरीका के इशारे पर लेबनान पर इस्राइल के हमले की भर्त्सना की है. पी एल ओ और उसके बहादुरीपूर्ण प्रतिरोध को खत्म करने की कोशिश में यह हमला बर्बर अत्याचारों और नरसंहारों की मुहिम बन गया है. सीटू इस हमले की भर्त्सना करती है और अमरीका की इस धोखाधड़ी तथा दुरंगी नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती है. सीटू, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के शौर्यपूर्ण प्रतिरोध की सराहना करती है. जगह-जगह पर सीटू यूनियनों ने पी एल ओ के प्रति अपने समर्थन का इजहार किया है और अमरीका समर्थित हमले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है. फिर भी, यह सही है कि इस संघर्षशील जनता को बचाने के लिए अभी बहुत कुछ करने को रहता है. सीटू यूनियनों को इस्राइल तथा रीगन प्रशासन को बेनकाब करने और पी एल ओ को समर्थन देने के लिए मजदूर वर्ग को एकजुट करना जारी रखना होगा.

साथियो, यह आश्चर्य की बात है अमरीका द्वारा निर्देशित इस हमले की सूरत में भी भारत की प्रधानमंत्री सीधे-सीधे अमरीकी साम्राज्यवादियों की भर्त्सना करने के लिए तैयार नहीं थीं. लेबनानी तथा फिलिस्तीनी जनता के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने और इस्राइली सरकार की भर्त्सना करने में ही उन्होंने अपने कर्तव्य की इतिश्री मानली.

इस्राइल के इस हमले से ऐसे अनेक मुस्लिम शासकों का विश्वासघाती चेहरा भी साफ हो गया है, जो इस्लाम के रक्षक बने फिरते हैं.

खुले तौर पर फिलिस्तीनी जनता के साथ विश्वासघात करने के कारण इस्लामी तत्ववाद की वकालत करनेवाले आज पूरी तरह बेनकाब हो गये हैं. इस्लामी तत्ववाद हर देश में जनवादी तथा क्रांतिकारी ताकतों के आंदोलन को विभाजित करनेवाले, और इस तरह उन देशों में प्रतिक्रियावादी वर्गों के शासन को स्थिर करने वाले प्रतिक्रियावादी हथियार के तौर पर सामने आया है. इस्लामी तत्ववाद अमरीका के मोहरों के तौर पर काम करनेवाले निजामों को स्थिर करने के लिए साम्राज्यवादी मोहर के तौर पर काम कर रहा है.

इस्राइली मजदूर अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता का झंडा बुलंद कर रहे हैं

इन सरकारों के प्रतिक्रियावादी रुख के ठीक विपरीत है इस्राइली मजदूर वर्ग का गौरवपूर्ण रुख, जिसने खुले तौर पर इस्राइली हमले की भर्त्सना की है और फिलिस्तीनी जनता के लिए न्याय तथा स्वाधीनता की मांग की है. इस्राइली मजदूर वर्ग

तथा वहां की प्रगतिकामी शक्तियों ने भारी कठिनाई के बावजूद हिम्मत दिखायी है. उन्होंने अपनी सरकार की भर्त्सना की है तथा लेबनान से फौजें वापस बुलाये जाने की मांग की है. इन ताकतों ने अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता तथा सर्वहारा अंतर्राष्ट्रवाद बिरादराना रिश्ते को पहचाना है.

इन प्रतिक्रियावादी निजामों के विश्वासघात के चलते फिलिस्तीनी की मुक्ति की लड़ाई आज और भी कठिन दौर में है. लेकिन आजादी का दीपक एक बार जलने के बाद बुझ नहीं सकता. वियतनामी जनता की महान लड़ाई के बाद फिलिस्तीनी जनता ही है जिसने आजादी के लिए इतना शानदार प्रतिरोध किया है और इतनी कुर्बानियां दी है. इस बहादुर जनता को देने को हमारे पास है ही क्या ? हम तो बस पाब्लो नेरूदा के शब्दों में उनसे यही कह सकते हैं :

"और न अत्याचार की हजार-हजार शक्तियों का निर्जीव पंजा, घोंट सकता है उस नये दिन की तुम्हारी जीवंत आशा का गला, जिसके लिए हम दुनिया भर के इतने सारे लोग आकुल हैं, दर्द का वह अंतिम दिन, दुर्द्धर्ष लड़ाई में जीत का, न्याय का दिन."

बढ़ता बिखराव

साथियों, पिछले साल भर में जनता के जनवादी अधिकारों के खिलाफ तानाशाही की मुहिम और तेज हुई है. राष्ट्रपति के पद पर एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया है जिसने संसद में खुले आम हिलटर की तारीफ की थी. यह जनतांत्रिक प्रणाली और जनवादी अधिकारों के लिए शुभ संकेत नहीं है.

हाल के चुनावों में वामपंथी ताकतों ने, जिनका सीटू अच्छा-खासा हिस्सा बनाती है, पश्चिम बंगाल और केरल में तानाशाही पार्टी को धूल चटाई है. लेकिन दूसरी जगहों पर इसके लिए जरूरी एकता का अभाव रहा. हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन को तानाशाही पार्टी के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए व्यापक प्रतिरोध के निर्माण की हर कोशिश को अपना समर्थन देना होगा.

इसके साथ ही मजदूर वर्ग को यह ध्यान रखना होगा कि पूरी की पूरी पूंजीवादी सामंती व्यवस्था का ढांचा बैठ रहा है. इन्दिरा कांग्रेस शासित राज्यों में कानून और व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है. शासक पार्टी के लोगों के भ्रष्टाचार, समाज-विरोधी तत्वों के साथ उसके नेताओं के गठजोड़ आदि में शासक पार्टी के बढ़ते हुए पतन को देखा जा सकता है. डकैतों के सामने शासक पार्टी ने घुटने टेक दिये हैं और पुलिसवाले देहाती औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं. यह है कानून और व्यवस्था की तस्वीर. संसदीय मूल्यों में आई गिरावट में भी इस प्रक्रिया को देखा जा सकता है. हरियाणा के राज्यपाल ने चोर दरवाजे से शासक पार्टी को सत्ता में बैठा दिया. दूसरी ओर उसी पार्टी के विधायक प० बंगाल में अपनी ही पार्टी द्वारा नियुक्त राज्यपाल को "चोर" बताते हैं. विधान सभाओं और संसद में कायदे-कानूनों का उल्लंघन आये दिन की चीज हो चली है बिहार में पूरे के पूरे विपक्ष को ही विधान सभा से निकाल बाहर किया गया. शासक पार्टी संविधान की रक्षा करने में असमर्थ है. शासक पार्टी जनता की एकता और देश की अखंडता को बचाने में असमर्थ है. शासक पार्टी असम के पृथकतावादी आंदोलन पर काबू पाने में नाकाम रही है. यह पंजाब में प्रतिक्रियावादी ताकतों की हरकतों को रोक पाने में नाकाम रही है. शासक पार्टी असम की घटनाओं में अमरीकी साम्राज्यवादियों की भूमिका का परदाफाश करने में डरती है और विदेशी मिशीनों तथा इस्लामी तत्ववादियों के जरिए साम्राज्यवादियों द्वारा चलाई जा रही विखंडन की मुहिम का भी पररापाश नहीं करती. इस सरकार की निगहबानी में देश के टुकड़े-टुकड़े होने की प्रक्रिया चल रही है. किसान जनता के समर्थन से और तमाम वामपंथी तथा जनवादी शक्तियों को एकजुट करते हुए शक्तिशाली मजदूर आंदोलन को एक विकल्प के रूप में सामने आना होगा इसके बिना देश के विखंडन को नहीं रोका जा सकता और न जनता की बुनियादी समस्याओं को हल किया जा सकता है. तानाशाह पार्टी के खिलाफ व्यापकतम संभव प्रतिरोध गठित करने के साथ-साथ ट्रेड यूनियन आंदोलन को समाज के बुनियादी जनवादी रूपांतरण के लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा जो समाजवाद की राह तैयार करेगा.

वेतनजाम

जनता के खिलाफ तानाशाही के इस अभियान को सबसे पहले तो मजदूर वर्ग की स्वाधीनताओं और उसके अधिकारों के खिलाफ हमले के अभियान में ही देखा जा सकता है. एस्मा की तरह ही ट्रेड यूनियन आंदोलन के दमन के लिए तीन नए विधयक आ चुके हैं. इससे पहले से उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ट्रेड यूनियन संघर्षों के खिलाफ आतंक का बाजार गर्म था.

इस मुहिम के पीछे मजदूरों के मौजूदा जीवन स्तर पर हमला करने, उनकी मजदूरी का हिस्सा घटाने और संकट का बोझ उनके सर पर डाल देने की एक सोची-समझी साजिश है. सरकार जोर-शोर से यह प्रचार कर रही है कि संगठित उद्योग के क्षेत्र में मजदूरी का स्तर बहुत ऊंचा है.

इस पृष्ठभूमि में सरकार ने मजदूर वर्ग की मजदूरी पर अपना हमला शुरू किया है. सरकार ने मजदूरी में बढ़ोतरी पर रोक लगानी शुरू कर दी है. मजदूरी में १० फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी को गैर कानूनी घोषित करके सरकार ने मजदूरी पर जैसे दफा १४४ लगा दी है.

सार्वजनिक प्रतिष्ठान ब्यूरो ने सार्वजनिक क्षेत्र के मैनेजमेंट को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं. कहने की जरूरत नहीं है कि निजी क्षेत्र भी इन निर्देशों को लागू करने में पीछे नहीं रहेगा. ये निर्देश हैं :

१. उत्पादकता के वर्तमान स्तर पर मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं की जायगी. भविष्य में मजदूरी में जो भी बढ़ोतरी होगी, उत्पादकता में आनुपातिक बढ़ोतरी के साथ जोड़कर ही होगी.

२. भविष्य में होनेवाले वेतन समझौतों में पिछली तारीखों से समझौते को लागू करने की कोई व्यवस्था नहीं होगी इसलिए सभी समझौते, समझौते की तारीख से लागू होंगे.

३. कोई भी समझौता चार साल तक प्रभावी रहेगा.

४. किसी भी समझौते में मजदूरी के हिस्से में १० फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दी जा सकती और इसमें अतिरिक्त सुविधाएं भी शामिल हैं.

५. महंगाई भत्ते की दर १ रु० ३० पैसे पाइंट से ज्यादा नहीं होगी.

यह तो करीब-करीब लाठीचार्ज ही है. इसका मतलब यह है कि आने-वाले चार सालों तक के लिए अच्छे से अच्छे समझौते में मजदूरों को अपनी वर्तमान मजदूरी पर ज्यादा से ज्यादा १० फीसदी की बढ़ोतरी ही मिल सकती है और यह बढ़ोतरी भी तभी होगी जबकि उत्पादकता में भी उसी अनुपात से बढ़ोतरी हो. जरूरियात की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण वास्तविक मजदूरी कितनी ही क्यों न घट जाय. १ रु० ३० पैसे प्रति पाइंट के हिसाब से महंगाई भत्ते के अलावा मजदूरों को कुछ मिलनेवाला नहीं है.

इसके अलावा समझौते को पिछली तारीखों से लागू करने की कोई व्यवस्था नहीं है. यह व्यवस्था इसलिए की गयी है ताकि मौजूदा समझौते को अनिश्चित रूप से खींचकर मजदूरों के साथ धोखा-धड़ी की जा सके. मैनेजमेंट को अब इतना भर करना होगा कि वह नया समझौता करने से इनकार करता रहे जिससे पिछला समझौता प्रभावी बना रहेगा. उसकी इस तिकड़म के चलते मजदूरों को जो नुकसान होता है, उसकी क्षतिपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है. ट्रेड यूनियनें अच्छी तरह से जानती हैं कि किस तरह बातचीत तथा विवादों को बरस तक लटकाये रखा जा सकता है. पिछली तारीखों से समझौता लागू करने की व्यवस्था इसके खिलाफ एकमात्र गारंटी थी अब उसे भी खत्म किया जा रहा है.

ट्रेड यूनियन आंदोलन मजदूरी में बढ़ोतरी को उत्पादकता से जोड़ने की इस कोशिश की भर्त्सना करता है. इससे सरकार की वेतन तथा आय नीति का जिसका बहुत ढोल पीटा जा रहा था, असली चेहरा सामने आ गया है. अब यह साफ हो गया है कि सरकार की नीति वास्तव में मजदूरी में कटौती करने और मालिकान के मुनाफे बढ़ाने की ही नीति है.

इस सब का मतलब यही है कि उत्पादकता बढ़ जाने के बावजूद मजदूरों की वास्तविक मजदूरी गिरती ही जायगी.

उत्पादन का लाभ किसे ?

इससे पहले भी मजदूरों की उत्पादकता बढ़ी है, लेकिन उससे सिर्फ मालिकान को ही फायदा हुआ है. मजदूरों ने इस प्रक्रिया में खोया है, पाया कुछ भी नहीं. उत्पादकता में भारी बढ़ोतरी के बावजूद पूंजीवादी समाज का अनिवार्य नियम मजदूरों को मजदूरी की न्यूनतम संभव मजदूरी के स्तर पर पहुंचा देता है. भारत का अनुभव भी इससे अलग नहीं है.

राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार १९५४ से ६४ के बीच प्रति मजदूर उत्पादकता में ६६ फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी. लेकिन मजदूरों की वास्तविक मजदूरी या तो जहां की तहां रही या उसमें गिरावट ही आयी. इसी दौर में अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ रही थीं. इस प्रकार उत्पादकता के बढ़ने का सारा का सारा लाभ मालिकान की जेबों में ही चला गया.

सरकार ने हाल ही में संसद में यह स्वीकार किया कि १९६० व १९७० के दौरान भारत में उत्पादकता २८ प्रतिशत बढ़ी जबकि इसी दौरान वास्तविक वेतनों में कमी आई. यह भी याद रहे कि मजदूरों को बढ़ी उत्पादकता के कारण अनेक उद्योगों में रोजगार कम हुए हैं. चाए, जूट, सूती कपड़ा व इंजीनियरिंग उद्योगों के आंकड़े यह बताते हैं कि उत्पादकता में वृद्धि के बाद इनमें रोजगार कम हुआ है.

प्रधानमंत्री ने एकतरफा तरीके से उत्पादकता वर्ष की जो घोषणा की है, उसका यही अर्थ है. उत्पादकता वर्ष का मतलब है पूंजीपतियों के फायदे के लिए, जोरजबर्दस्ती करके मजदूरों से ज्यादा से ज्यादा काम निकालना. यही नहीं, यह सस्ते श्रम के जरिये बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अन्य विदेशी कंपनियों को भारत में आने के लिए आकर्षित करने के सरकार के अभियान का ही हिस्सा है. इस तरह सरकार आई एम एफ से अपने वादे को पूरा कर रही है.

अधिकांश ट्रेड यूनियन केंद्रों की हिस्सेदारी की परवाह किये बगैर श्रममंत्री ने किस तरह एक उत्पादकता सम्मेलन का आयोजन किया, उससे साफ हो जाता है कि सरकार मजदूरों की सहमति से नहीं, बल्कि डंडे के जोर से ज्यादा काम निकालना चाहती है.

एक इंटक को छोड़ बाकी सभी प्रमुख ट्रेड यूनियन केंद्रों ने १५ जून की बैठक का बहिष्कार किया था. इसके बावजूद श्रममंत्री महोदय उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं. मालिकान और इंटक से उन्हें सहयोग का आश्वासन मिला हैं. उनके लिए बस इतना ही काफी है. इस सरकार से इसके अलावा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है.

विचारधारात्मक प्रचार

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्पादकता बढ़ाने का यह आह्वान केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से अपील तथा मैनेज मैंट में मजदूरों की हिस्सेदारी की यह दुहाई ट्रेड यूनियनों तथा मजदूरों को समाज के बाकी हिस्सों से अलग-थलग करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे विचारधारात्मक प्रचार की ही हिस्सा है. यह प्रचार अभियान ठीक उस समय तेज किया जा रहा है जब मजदूरों को अपनी मांगों के लिए लड़ना पड़ रहा है और इस लड़ाई के लिए जन समर्थन उनकी बड़ी जरूरत है. घाटे की अर्थव्यवस्था के जरिये मुद्रास्फीति की बाढ़ ला देने के बाद सरकार अब यह झूठा प्रचार कर री है कि बस अगर मजदूर ज्यादा काम करने लग जाएं तो कीमतें नीचे आ जाएंगी और समाज संकट से राहत पा जाएगा. क्या सरकार यह बता सकती है कि इस साल चीनी के रिकार्ड उत्पादन के बावजूद चीनी की कीमतों में कोई गिरावट क्यों नहीं आई.

ट्रेड यूनियन आंदोलन को इस प्रचार का जवाब देना होगा और जनता को अपने पक्ष में करना होगा. ट्रेड यूनियन आंदोलन और मजदूर वर्ग ने उत्पादन का चक्का चलते रखने और समाज की जरूरतों को पूरी करने की अपनी जिम्मेदारी से इंकार कभी नहीं किया. उन्होंने बार-बार यह घोषणा की है कि बराबरी के दर्जे से वे संयुक्त हिस्सेदारी में शामिल होने के लिए तैयार हैं.

लेकिन इस बराबरी का मतलब यह है कि मजदूरों के प्रतिनिधियों को संबद्ध संस्थान के आय-व्यय के लेखे, उसकी वित्तीय स्थिति, कच्चे माल की सप्लाई तथा क्वालिटी आदि की जांच करने का पूरा पूरा अधिकार हो और प्रतिष्ठान में उत्पादन तथा अनुशासन के संबंधित तमाम फैसलों के मामले में बात-चीत के अधिकार हों. ट्रेड यूनियनें उत्पादन तथा भुगतान के नियम-कायदों पर विचार करने के लिए और आपसी सहमती पर आधारित वेतन समझौतों के लिए सहमति पर आधारित उत्पादन के नियम प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं.

लेकिन हमारा अनुभव क्या बताता है ? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के मैनेजमेंट फैक्टरियों को चलाने तथा उत्पादकता की समस्याओं से निपटने में मजदूरों की किसी भी तरह की जायज हिस्सेदारी के खिलाफ तो हैं ही साथ ही मजदूरों द्वारा अफसरों के भ्रष्टाचार या घटिया किस्म के कच्चे माल के मामलों का पर्दाफाश किये जाने पर मजदूरों को विक्टिमाइज भी करते हैं. इन हालात में उत्पादन बढ़ाने के अभियान का एक ही मतलब होता है, मजदूरों का ज्यादा से ज्यादा शोषण करो और मालिकान के मुनाफे बढ़ाओ. समाज की सेवा करने से मजदूरों को इनकार नहीं है, लेकिन सरकार और मालिकान तो उनसे पूंजीपतियों के हितों की सेवा कराना चाहते हैं.

हड़तालें और तालाबंदियां

हमारी जनरल काउंसिल की मीटिंग के बाद यह जो एक साल का अरसा गुजरा है, इसमें ट्रेड यूनियनों तक मालिकान और सरकार के बीच मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर जबर्दस्त टक्करें हुई हैं. १९८१ तक आते-आते इंदिरा सरकार का प्रभाव टूटने लगा था और मजदूर वर्ग के हड़ताल संघर्षों का ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा था.

१९८१ में बर्बाद हुए काम के दिनों की संख्या ढाई करोड़ तक पहुंच चुकी थी, जोकि १९८० से ४० लाख ज्यादा थी, हालांकि वह संख्या १९७९ के साढ़े तीन करोड़ दिनों की तुलना में अब भी कम थी. सार्वजनिक क्षेत्र में बर्बाद हुए काम के दिनों की संख्या करीब दुगनी हो गयी थी. सरकारी रिपोर्टों तक में स्वीकार किया गया है कि इन संघर्षों में सीटू सबसे आगे थी और किसी भी दूसरे संगठन की तुलना में उसने कहीं ज्यादा संघर्ष चलाये हैं.

१९८१ के आखरी और १९८२ के पहले छः महीनों में पिछले अरसे की सबसे लंबी और जबर्दस्त लड़ाइयां लड़ी गयी हैं.

इन लंबी लड़ाइयों में बंबई कपड़ा मजदूरों की हड़ताल सबसे आगे है जिसे चलते हुए छः महीने पूरे हो चुके हैं. इसके अलावा राज्य सरकार कर्मचारियों, बिजली कर्मचारियों (उ० प्र० तथा राजस्थान), बंबई के हिंदुस्तान फेरेडो के मजदूरों की हड़ताल तथा दूसरी कई लंबी हड़तालें हुई है.

हड़तालों और अधिकृत तालाबंदियों में काम के दिनों की बर्बादी के आंकड़े निश्चय ही आंखें खोलने वाले हैं:

वर्ष	बर्बाद हुए काम के दिन (सैंकड़े में) हड़ताल में काम के दिनों की क्षति	तालाबंदियों से काम के दिनों की क्षति
१९७८	१५,४२३	१२,९१७
१९७९	३५,८०४	८,०५०
१९८०	१२,०१८	९,६०७
१९८१	१५,६५८	१०,८०६

एक १९७९ को छोड़ कर कुल बर्बाद हुए काम के दिनों में तालाबंदियों का हिस्सा कम से कम ४० फीसदी है. लेकिन सरकार और उसके प्रवक्ता आमतौर पर हड़- तालों से हुए नुकसान का ही शोर मचाते हैं. पिछले तीन सालों में तालाबंदियों में हुए काम के दिनों के नुकसान का प्रतिशत बढ़ता ही गया है.

ट्रेड यूनियनों को तालाबंदियों के इस हमले का मुकाबला करने के लिए नये तरीके निकालने पड़ेंगे. प० बंगाल में १७ जूट मिलें बन्द पड़ी हुई हैं. अनुमान है कि मालिकान की अनेक तिकड़मों के चलते ६५००० बदली मजदूर बेरोजगार हो गये हैं.

दूसरे संगठनों से सलाह-मशविरा करके हमें इस हमले का मुकाबला करने के लिए उचित तरीके निकालने होंगे.

बदली मजदूर

दर्जनों कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की व्यवस्थाओं के अनुमोदन के सारे शेखी भरे दावों के बावजूद फैक्टरियों तथा दूसरी संस्थाओं में लाखों लोग अस्थायी मजदूरों या बदली मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं और इन मजदूरों को न कोई अधिकार है और न ही उनके लिए कोई सेवा सुरक्षा व्यवस्था.

बंबई के कपड़ा मजदूरों की हड़ताल की एक वजह बदली मजदूरों की समस्या भी है. कपड़ा मिलों में काम करने वाले हजारों नौजवान मजदूरों को किसी तरह की सेवा सुरक्षा प्राप्त नहीं है इस हड़ताल आयोजन में इन मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका है.

सीटू को इस समस्या पर सबसे पहले ध्यान देना होगा क्योंकि इससे हजारों ऐसे मजदूर प्रभावित हो रहे हैं जो श्रम के बाजार में अभी आये ही आये हैं.

इसका इस्तेमाल करके मालिकान अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों से बच जाते हैं, मजदूरी में कटौती करते हैं और अस्थाई मजदूरों की मेहनत से भारी मुनाफा बटोरते हैं. यह हमारे जैसे देश में ही हो सकता है एक ऐसे देश में जो पहले गुलाम रहा हो और जिसने पूर्व पूंजीवादी व्यवस्थाओं के अवशेषों को सुरक्षित रखते हुए विकास का पूंजीवादी रास्ता पकड़ा हो.

आई एल ओ की व्यवस्थाओं का उल्लंघन

भारत सरकार एक-एक कर आई एल ओ की सारी व्यवस्थाओं का उल्लंघन करती रही है. बाहर की दुनिया से प्रगतिशीलता का सर्टिफिकेट पाने के लिए सरकार इन व्यस्थाओं पर दस्तखत तो कर देती है, लेकिन उनका उल्लंघन करने में उसे जरा सी हिचक नही होती. सरकार संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर हमले करती है सरकार खुद ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारियों को विक्टिमाइज करके या निजी मालिकान को ऐसा करने की इजाजत

देकर नाजायज तौर तरीकों का सहारा लेती है. फिर अचरज क्या कि अभी हाल में श्रम मंत्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा आई एल ओ की व्यवस्थाओं को ठुकराने की इजाजत मांगी जा रही थी. अपनी इस कोशिश के लिए वह अविकसित देशों की ओट लेने की कोशिश कर रहे थे.

बेरोजगारी

रजिस्टरशुदा बेरोजगारों की तादाद दो करोड़ के आसपास पहुंच रही है. बेकारी की इस फौज में शिक्षित बेरोजगारों की बड़ी भारी संख्या है. क्या सरकार के पास इस बढ़ती बेकारी को रोकने के लिए कोई नीति है ? नहीं, उल्टे उसकी नीतियों से बेकारी बढ़ती ही जा रही है. लाखों लोगों को बेरोजगार करके सड़कों पर फेंका जा रहा है और दसियों हजार को खाड़ी के देशों में शरण लेने पर मजबूर किया जा रहा है.

इस सरकार के शासन में सैकड़ों प्रतिष्ठान बन्द हुए हैं जिसके कारण दसियों हजार मजदूर बेरोजगार बनाकर सड़कों पर छोड़ दिये गये हैं. उत्पादकता बढ़ाने के उसके अभियान के नतीजे सीधे-सीधे बर्खास्तगियों तथा नयी भरती पर रोक की शक्ल में सामने आ रहे हैं जिससे बेकारी और बढ़ रही है.

यही नहीं प्रतियोगी कीमतों पर सस्ते निर्यात तथा उत्पादन में बढ़ोतरी के इस अभियान में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रानिक कंप्यूटरों तथा इसी तरह की दूसरी मशीनें लगायी जा रही हैं, जिनसे रोजगार के अवसर घट रहे हैं.

मजदूरों का स्वास्थ्य

मौजूदा निजाम में दूसरी चीजों के अलावा एक और चीज चौपट हो रही है. यह है, मजदूरों का स्वास्थ्य. इस सिलसिले में कानूनी व्यवस्थाओं का बराबर उल्लंघन हो रहा है. खदान मजदूरों के रहने की बस्तियों तथा गांवों के सर्वे से पता चलता है कि ये मजदूर कैसी बुरी स्थितियों में रह रहे हैं ये हालात मजदूरों को बीमारियां देते हैं और उनका स्वास्थ्य चौपट करते हैं और इसमें आश्चर्य की भी बात क्या है ? कोयला मजदूर कल्याण कोष में भारी राशी जमा होने के बावजूद मजदूरों को स्वास्थ्य सम्बन्धी राहत दिये जाने की शायद ही कोई व्यवस्था हो.

ई एस आई स्कीम का बहुत ढोल पीटा गया है, लेकिन यह योजना एक बड़ा घोटाला साबित हुई है इस योजना की उपलब्धियों के लंबे-चौड़े दावे किये गये हैं कि इससे कर्मचारियों की जरूरतें पूरी नहीं होती.

सामाजिक सुरक्षा चतुर्मुखी होनी चाहिए. इसके अंतर्गत (१) चिकित्सा सहायता, (२) बिमारी के दौर में राहत (३) मातृत्व सुविधा, (४) अपंग होने की स्थिति में सुविधा, (५) वृद्धावस्था में सुविधा, (६) मृतकों के आश्रितों के लिए सुविधा (७) काम के दौरान चोट लगने या उसके कारण पैदा होनेवाली बीमारियों के मामले में सुविधा, (८) बेकारी सहायता तथा (९) परिवार के लिए सुविधाएं आदि सब कुछ आना चाहिए.

लेकिन सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही ई एस आई कानून के तहत आता है और वह भी बहुत ही अधूरे ढंग से.

कामगार महिलाएं

साथियो, यह किसी कदर संतोष की बात है कि हमारी कुछ यूनियनें महिला मजदूरों की समस्याओं की ओर ईमानदारी से ध्यान दे रही हैं.

हमारी ट्रेड यूनियनों के दहेज आदि इन प्रथाओं तथा रीति-रिवाजों के खिलाफ महिलाओं के संघर्ष को अपना पूरा-पूरा समर्थन देना चाहिए, और उनके खिलाफ होनेवाले सैक्स तथा दूसरे अपराधों के खिलाफ आवाज बुलन्द करनी चाहिये. इसी तरह हमारी यूनियनों की जिम्मेदारी है कि वे महिलाओं की मांगों की रहनुमाई करें और ट्रेड यूनियनों की नीति निर्धारक संस्थाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें. हमें यह समझ लेना चाहिए कि मजदूर वर्ग खुद महिलाओं के प्रति सामंती रुख की इस बीमारी से मुक्त नहीं है. हमारे ट्रेड यूनियनों को इसके खिलाफ संघर्ष करना होगा.

१९ जनवरी की हड़ताल

पिछले साल का हमारा अनुभव, संयुक्त जन कार्रवाइयों के लिए ट्रेड यूनियन एकता की आकांक्षा के नये उभार का अनुभव है जिसके लिए सीटू लगातार कोशिश करती आ रही थी. इस पूरे साल का घटना विकास ट्रेड यूनियन एकता की संभावनाओं और उसकी वर्तमान सीमाओं दोनों को ही दिखाता है.

१९ जनवरी को हड़ताल ने अभूतपूर्व ट्रेड यूनियन एकता का तो प्रदर्शन किया ही, मजदूर वर्ग की एकजुट ताकत का भी प्रदर्शन किया. इस हड़ताल ने जनता के अन्य तबकों की आम जनवादी कार्रवाई को सामने लाने तथा तानाशाही के खिलाफ संघर्ष में जनता की एकता को आगे बढ़ाने की एकजुट मजदूर वर्ग की ताकत का भी प्रदर्शन किया.

संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन के संयुक्त कार्रवाई के फैसले, इस आह्वान पर लाखों लोगों के कार्रवाई के लिए उतरने के निश्चय के चलते इस आह्वान को विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला और कार्रवाई में किसानों समेत जनता के व्यापक तबकों की शिरकत हुई. कई जगहों पर हड़ताल ने मुकम्मल बन्द की शक्ल अख्तियार कर ली जिसमें दसियों हजार दुकानदारों, होटलवालों, अध्यापकों, छात्रों, वकीलों तथा दूसरे पेशों के लोगों ने शिरकत की.

हड़ताल द्वारा उठायी गयी मांगें महत्वपूर्ण मांगें थीं. ये मांगें मजदूर वर्ग की मांगों को जनवाद की मांगों तथा उत्पीड़ित जनता के सभी तबकों के जीवन स्तर की रक्षा की मांगों के साथ एकजुट करने के अंतर्राष्ट्रीय रुझान के अनुरूप ही थीं.

मजदूर वर्ग की मांगों को किसानों तथा खेतमजदूरों की फौरी जरूरतों से जोड़कर उन्हें बढ़ती महंगाई की चक्की में पिसती जनता की मांगों के साथ जोड़कर ट्रेड यूनियनों ने पूंजीपति-भूस्वामी शासन में बर्बादी का सामना कर रहे जनता के तमाम तबकों को एकजुट करने की दिशा में पहलकदमी की है.

इस चेतना को आगे ले जाना होगा. ट्रेड यूनियन के आम जनवादी मांगों के साथ जुड़ जाने की इस प्रक्रिया को, ट्रेड यूनियनों द्वारा किसानों तथा खेतमजदूरों की मांगों की रहनुमाई की

इस प्रक्रिया को, हमें आगे बढ़ाना होगा. इस प्रक्रिया को अगर हम लगातार आगे बढ़ाते रहे तो महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन होंगे और तानाशाही के खिलाफ़ संघर्ष में पहलकदमी मजदूर वर्ग के हाथों में आ जाएगी.

इसके साथ ही साथ इस हड़ताल में वर्तमान स्थिति में ट्रेड यूनियन एकता की कमजोरी भी उभरकर सामने आयी है. प्रतिरक्षा संगठनों समेत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संगठनों तथा रेल कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया. इन संगठनों के सुधारवादी नेता हड़ताल में शामिल होने में हिचकिचाहट दिखाते रहे, हालांकि इनमें से कई ने पहले इस आह्वान का समर्थन किया था और हड़ताल में शामिल होने का फ़ैसला भी किया था. प० बंगाल, त्रिपुरा तथा केरल में मोटे तौर पर इन तबकों ने भी आम कार्रवाई में हिस्सा लिया.

यह जरूरी है कि केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें तथा फेडरेशनें इन संगठनों के नेताओं से बातचीत चलायें और उनकी नीतियों से ट्रेड यूनियन आंदोलन को होनेवाली क्षति के बारे में उन्हें सचेत करें. इस सबसे पहले जरूरी है कि शेष मजदूर वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अधिकारियों के खिलाफ संघर्ष के लिए और मजदूरों तथा जनता की आम मांगों पर संयुक्त संघर्ष के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रेल तथा प्रतिरक्षा के आम कर्मचारियों की एकता की जोरदार अपील की जाय.

अनेक ट्रेड यूनियन संगठनों का अस्तित्व में होना तथा उनके बीच मतभेदों का होना ट्रेड यूनियन आंदोलन में वर्ग संघर्ष पर आधारित लाइन के लिए, ट्रेड यूनियन एकता की एक जुझारू लाइन के लिए और पूंजीवादी-सामंती शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए अन्य जनवादी शक्तियों के साथ गठबंधन की लाइन के लिए अंदरूनी संघर्ष को ही दिखाता है. सीटू की स्थापना इसी संघर्ष का परिणाम है.

हम देख सकते हैं कि दो परस्पर विरोधी धाराएं हैं जो ट्रेड यूनियन आंदोलन को प्रभावित करती रही हैं. एक अलगाववादी धारा है जिसे सरकारी संरक्षण प्राप्त हैं और जो सुधारवादी नेताओं द्वारा फैलाये गये भ्रमों से शक्ति ग्रहण करती है. इसके विपरीत दूसरी धारा बढ़ती हुई एकता की धारा है जो मजदूर वर्ग के अनुभव तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन की परिपक्वता से शक्ति ग्रहण करती है.

इस एकता की धारा की बढ़ती हुई शक्ति के चलते समझौते की वार्ताओं तथा प्रतिरोध के मौकों पर विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के बीच, और इसमें कभी-कभी इंटक भी आ जाती है, लगातार बढ़ता हुआ सहयोग दिखायी देता है. यह परिवर्तन पिछले बरसों से आ रहा था.

एमर्जेंसी के दौर ने खुले तौर पर मजदूर वर्ग को विभाजित कर दिया था. इंटक तथा एटक के नेतृत्व ने शासक पार्टी की लाइन ली जबकि दुसरी ट्रेड यूनियनों ने मजदूर वर्ग के खिलाफ शासक पार्टी के हमलों का मुकाबला किया. उन्होंने अनिवार्य बचत योजना, हड़ताल पर पाबन्दी तथा दूसरे तमाम मजदूर-विरोधी कदमों को वापस लिये जाने की मांग उठायी.

इसके बाद हालात ने एक बार फिर पलटा खाया और जनता सरकार के औद्योगिक संबन्ध विधेयक का मुकाबला करने के लिए तमाम ट्रेड यूनियन केंद्र एकजुट हो गये. इसके बाद के दौर में इंटक अब फिर शासक पार्टी के समर्थन की अपनी पुरानी नीति पर लौट गयी है. फिर भी, दूसरे तमाम ट्रेड यूनियन के केंद्र तथा फेडरेशनों की एकता बढ़ रही है तथा एकता की ओर भी तीव्र इच्छा का इजहार हो रहा है. इसके पीछे अनेक कारण हैं. अर्थव्यवस्था के संकट के चलते मेहनतकशों के सारे तबके आज हमलों की जद में हैं. मुद्रास्फीति, घाटे की वित्त व्यवस्था, लगातार बढ़ती कीमतें आदि ऐसे आम मसले हैं जिनसे मजदूर वर्ग की संयुक्त शक्ति ही निपट सकती है. दूसरे संगठनों के बिना कोई एक या दो संगठन नहीं. रेल तथा अन्य कर्मचारियों के लिए उत्पादकता पर आधारित बोनस की घोषणा करके सरकार मजदूरों की कतारों में फूट डालने और बोनस को रुका हुआ वेतन मानने के उनके दावे को कमजोर करने की ही कोशिश कर रही थी. लेकिन, इस तिकड़म का असर लंबे अर्से तक चलनेवाला नहीं है.

अब सरकार कुछ मामूली रियायतों के बदले तीन साल के लिए हड़तालों तथा मांगों को स्थगित किये जाने की मांग कर रही है.

साथियो, इन तमाम चीजों से पता लगता है कि ट्रेड यूनियन नेतृत्व के एक हिस्से की हिचकिचाहट तथा डांवाडोल स्थिति के बावजूद आर्थिक हालात मजदूर वर्ग तथा उसके संगठनों से यह तकाजा कर रहे हैं कि वे एकजुट हों और अपने खिलाफ होनेवाले हमले का विरोध करें. सीटू इस आर्थिक वास्तविकता के आधार पर काम कर रही है और सुधारवादियों द्वारा खड़ी की गयीं अस्थायी बाधाओं को पार करने की कोशिश कर रही है. इसके साथ ही साथ सीटू इस तथ्य पर भी गौर करती है कि एकता के लिए इस संघर्ष की दिशा, आचरण में वर्ग संघर्ष को स्वीकार करने और वर्ग सहयोग की विचारधारा को त्यागने की ही दिशा हो सकती है. एकता के बढ़ते हुए अनुभव तथा वर्तमान हमले का मुकाबला करने के लिए उठाये गये व्यवहारिक कदमों से इस अंदरूनी संघर्ष में मदद मिलती है. सरकार की मजदूरविरोधी नीतियों और संकट का बोझ मजदूरों पर डालने की पूंजीपति वर्ग की कोशिश के चलते आनेवाले दिनों में ट्रेड यूनियन एकता की और भी भारी जरूरत होगी.

साथियों, ट्रेड यूनियन एकता और संयुक्त-संघर्ष की भावना आज सुधारवाद के गढ़ों को ढहा रही है. आप में से कई लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं होगी कि इंटक में सब कुछ "ठीक-ठाक" ही नहीं चल रहा है. उसका एक हिस्सा इस संगठन की नीतियों का विरोध करते हुए इससे अलग हो चुका है और सीटू तथा राष्ट्रीय अभियान समिति के दूसरे सदस्यों के साथ चल रहा है. यह सही है कि इंटक का मौजूदा शीर्षस्थ नेतृत्व अब भी सरकारी नीतियों को वफादारी से समर्थन देने में लगा हुआ है, इस संगठन में अंदरूनी एकता का कहीं सवाल नहीं उठता. नीचे के स्तर पर, सरकारी नीतियों से जबर्दस्त मोहभंग हुआ है और भारी असंतोष व्याप्त है.

मौजूदा हालात के में और ज्यादा एकता की जरूरत को देखते हमारी सीटू को, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों तथा फेडरेशनों के महासंघ का अपना आह्वान एक बार फिर दुहराना चाहिए. हमारा आह्वान, एक ऐसे महासंघ के निर्माण का आह्वान है जहां आम सहमति से नीति संबंधी फसले लिये जायें और जो ट्रेड यूनियन आंदोलन के सामने उपस्थित समस्याओं पर लगातार विचार-विमर्श का मंच बने. निरंतर विचार-विमर्श तथा जन कारंवाई के जरिये ही अपेक्षित एकता कायम की जा सकती है. अब वक्त आ गया है कि सीटू महासंघ के निर्माण के लिए कुछ ठोस प्रस्ताव रखे और दूसरे संगठनों के नेतृत्व के साथ बातचीत शुरू करे.

साथियो, आनेवाला दौर हमारे आंदोलन के लिए तूफानी दौर होनेवाला है. आज विश्व पूंजीवादी व्यवस्था गंभीर संकट की चपेट में है और मंहगाई तथा बेकारी अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच रही है. अमरीका में ही बेकारों की संख्या १ करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है जब कि १९३० में भी बेकारों की संख्या इससे कम ही थी. यूरोप के विकसित पूंजीवादी देशों में भी बेकारों की तादाद दसियों लाख है. बेरोकटोक बढ़ती मुद्रास्फीति के चलते रोजगार से लगे हुए लोगों और बेकारों, सभी की हालत दिनों-दिन बद से बदतर होती जा रही है. पश्चिमी दुनिया पर हमारी निर्भरता के चलते हमारे देश में आर्थिक संकट और भी गहरा होता जा रहा है.

सरकार बार-बार दावा करती है कि कोई मंदी नहीं है लेकिन उद्योगों के बंद होने, उद्योगों की बीमारी, बढ़ती बेकारी और सिकुड़ते बाजार से जाहिर है कि हमारा देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है इस स्थिति से उबरने के लिए भारत सरकार पश्चिमी देशों और आई एम एफ से कर्ज लिये जा रही है. मंदी के शिकार देशों से आयातों को स्वीकार करके ऊंचे मुनाफों की गारन्टी के साथ उनके पूंजी निवेश को न्यौता देकर हमारा देश इन कर्जों की कीमत अदा कर रहा है. इसका मतलब यही है कि भारत सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि वह विदेशी पूंजी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोषण के लिए सस्ती भारतीय श्रम शक्ति मुहैया करे और इसके साथ ही साथ इन देशों से आयात करना स्वीकार करे, भले ही इन आयातों के चलते हमारे अपने उद्योग और उनमें लगे हजारों मजदूरों की रोजी-रोटी खतरे में ही क्यों न पड़ जाय. हमें उम्मीद है कि हमारा ट्रेड यूनियन आंदोलन, ट्रेड यूनियन संगठनों का नेतृत्व इस साझे खतरे को पहचानेगा और फौरन एकता कायम करने के हमारे आह्वान पर आगे आयेगा. □

वर्किंग कमेटी की बैठक

(पृष्ठ ५ से आगे)

भी प्रदर्शित करता है कि जनवादी जनता के समर्थन के साथ मजदूर वर्ग का बृहत्तर एकजुट प्रतिरोध ही ऐसे हमलों को रोक सकता है. इस संबंध में सीटू को ट्रेड यूनियनों की कनफेडरेशन बनाने के सवाल को लेना चाहिए जो सहमत फैसलों के आधार पर काम करते हुए इन हमलों के खिलाफ समूचे मजदूर वर्ग को लामबंद करेगी.

उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ते युद्ध के खतरे और सार्वभौमिक प्रभुत्व की अमरीकी साजिशों के खिलाफ सीटू को अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्त्तव्य को नहीं भूलना चाहिए. शांति के लिए संघर्ष में सीटू को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए. फिलिस्तीनी मुक्ति सगठन के बहादुर योद्धाओं व अन्यों के साथ जो साम्राज्यवादी व जातिभेदी दमन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं इसे अपनी एकजुटता व्यक्त करनी चाहिए. इस विषय में उन्होंने एक सितंबर को 'शांति व एकजुटता दिवस' सफलता के साथ आयोजित करने का सदस्यों का आह्वान किया.

आमसभा

२५ जुलाई की शाम को एक आम सभा आयोजित हुई जिसमें भारी तादाद में मजदूरों ने भाग लिया. लगभग ५,००० मजदूरों ने बंगलोर के मार्गों से एक जुलूस निकाला जिसके सबसे आगे ३०० वालंटियर लाल कमीजें पहने चल रहे थे. पुलिस ने सीटू के जुलूस को मुख्य मार्ग से इस तर्क के साथ नहीं गुजरने दिया कि यह यातायात में रुकावट डालेगा. यह भेदभाव पूर्ण कार्य था क्योंकि इससे पहले इस तरह की रोक किसी भी जुलूस पर नहीं लगाई गई थी. बैठक को सी० नंजुनदप्पा, एस० सूर्यनारायण राव, ज्योति बसु व बी०टी० रणदिवे ने संबोधित किया.

मजदूर वर्ग के ट्रेड यूनियन अधिकारों व जनता के जनवादी अधिकारों को छीनने के इरादे से किए जाने वाले अधिनायकवादी हमलों के खिलाफ मजदूर वर्ग की फौरी एकता के लिए जोरदार आह्वान के साथ बैठक खत्म हुई.

बैठक के बाद आयोजित जुलूस का एक दृश्य

अधिनायकवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करो

रिपोर्ट में १९ मई को संपन्न पश्चिम बंगाल, केरल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश विधान सभाओं के चुनाव तथा लोक सभा की सात सीटों के लिए व कई विधान सभा-सीटों के लिए उपचुनाव के परिणामों की समीक्षा की गई है. चुनाव परिणामों से यह साफ पता चलता है कि पिछले ढाई सालों में प्रधानमंत्री का प्रभाव काफी कम हुआ है. जनवरी, १९८० में वे 'काम करने वाली सरकार' के नारे पर भारी दो-तिहाई बहुमत से सत्ता में आई थीं. लेकिन उनके वायदों व कार्यों में इतना अंतर था कि जनता का उनके नारे के प्रति भ्रम तेजी से दूर हो गया. पश्चिम बंगाल में मेहनतकश जनता व किसानों के बीच वाम-मोर्चे का प्रभाव बढ़ा. इंदिरा कांग्रेस द्वारा कांग्रेस (एस), मुस्लिम लीग, गोरखा लीग, व मुक्ति मोर्चा तथा उन सबके साथ जिन्होंने पहले जनता पार्टी को वोट दी थी और अब इंदिरा कांग्रेस में आ गए थे, गठबंधन किए जाने के बावजूद वाम-मोर्चा की जीत, जिसमें सी पी आई (एम) का संपूर्ण बहुमत बरकरार रहा, इस बात का सबूत है कि वाम-मोर्चे ने पिछले पांच सालों में मेहनतकश जनता के हितों में काम किया है. केरल में भी यह स्पष्ट हो गया कि जहां पिछले कुछ सालों में सी पी आई (एम) के नेतृत्व में वामपंथी जनवादी ताकतों ने अपनी शक्ति में काफी वृद्धि की वहां मेहनतकश जनता के बीच इंदिरा कांग्रेस और भी अलग-थलग पड़ गई. चुनावी जीत के लिए इसे सांप्रदायिक व जातिवादी ताकतों पर निर्भर करना पड़ा.

बंगलौर में कामरेड पी० राममूर्ति

आई एम एफ कर्ज

पिछले वर्ष संसद के बजट अधिवेशन के तुरंत बाद यह पता चला कि भारत सरकार तत्कालीन वित्त मंत्री श्री आर० वेंकटरमन व वित्त मंत्रालय के अन्य अफसरान के माध्यम से विश्व-बैंक के एक उपक्रम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (आई एम एफ) के साथ भारी पैमाने पर कर्ज लेने के लिए गुप्त रूप से बातचीत कर रही है. हमारे संगठन ने बार-बार यह बताया कि विश्व बैंक व इसके उपक्रमों की अविकसित देशों में क्या भूमिका रही है. इसने यह भी बताया कि हालांकि ये कर्ज कुछ लचीली शर्तों पर दिए गए लगते होते हैं लेकिन वास्तव में ये कुछ ऐसी शर्तों व परियोजनाओं से जुड़े होते हैं जिनमें बहुराष्ट्रीय निगमों को लाभ जुड़ा होता है. हमने बार-बार यह बताया कि किस प्रकार ये निगम कीमतें बढ़ाते हैं और असलियत में देश को ऊंची कीमत अदा करनी पड़ती है. हमने फिर यह भी बताया कि बहुराष्ट्रीय निगम किस प्रकार स्वदेशी तकनीकी के विकास में बाधक हैं.

इन वार्ताओं की गोपनीयता इस कदर खत्म हो गई थी कि भारत सरकार सच्चाई से इंकार नहीं कर सकी. वित्त मंत्री ने स्वीकार किया कि ऐसी वार्ताएं जारी थीं लेकिन उन्होंने संसद व देश को यह आश्वासन दिया कि कोई भी ऐसी शर्त जो देश के सम्मान को कम करेगी स्वीकार नहीं की जाएगी. लेकिन वे आई एम एफ द्वारा मांग की गई तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई शर्तों को बताएंगे नहीं.

संपूर्ण आत्मसमर्पण

लेकिन अक्तूबर, १९८१ के मध्य में भारत के एक प्रमुख दैनिक समाचार-पत्र के वाशिंगटन संवाददाता ने आई एम एफ के चीफ एग्जीक्यूटिव को वित्त मंत्री द्वारा लिखे गए पत्र तथा उन द्वारा आई एम एफ के लिए तैयार किये गये ज्ञापन, जिसे आई एम एफ की एग्जीक्यूटिव के सदस्यों में गुप्त रूप से वितरित किया जा रहा था, की प्रतिलिपियां प्राप्त कर लीं.

श्री आर० वेंकटरमन ने आई एम एफ को लिखे गये १५ अक्तूबर, १९८१ के अपने पत्र के पैरा-५ में कहा कि:

"भारत सरकार का विश्वास है कि १९८१-८२ में अपनाई जाने वाली नीति जिसे इस पत्र के साथ संलग्न ज्ञापन में विस्तार से बताया गया है, अपने कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काफी है लेकिन यह इस लक्ष्य के लिए जरूरी पाए जाने वाले और भी कोई कदम उठायेगी. इन जरूरी कदमों को अपनाने के लिये जो हमारे संसद द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार होंगे, सरकार ऐसे परामर्श के लिये कोष की नीतियों के अनुसार कोष (आई एम एफ) से सलाह ले लेगी. खास तौर से कोष के

साथ चल रही वार्ता के एक हिस्से के रूप में, हर वर्ष के लगभग बीच में, कार्यक्रम को लागू करने में की गई प्रगति की सरकार कोष के साथ मिलकर जायजा लेगी. पहले साल के कार्यक्रम के संबंध में धारा iv (परामर्श बहस) के तहत २५ मार्च, १६८२ से पहले इसकी घोषित नीतियों जो कार्यक्रम से संबंधित होंगी के अनुसार उठाये गये सरकारी कदमों पर सरकार कोष के साथ विचार विमर्श करेगी और, खास तौर से संलग्न ज्ञापन के पैरा-१३, १५ व १८ को मध्येनजर रखते हुए **प्रसाधन जुटाने व निर्यात के संबंध में कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोष के साथ कोई भी ऐसी समझ तैयार करेगी जो जरूरी हो.** (जोर हमारा)

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्बाध लूट

हमारे संगठन ने पहले भी यह बताया है कि भारत के लिए विश्व बैंक की आर्थिक नीति यह है कि इसकी अर्थव्यवस्था निर्यात के पक्ष में होनी चाहिए, कि सारे नियंत्रण हटा लिए जाएं, कि आयात पर सभी प्रतिबंध खत्म कर दिए जाएं, कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए जाएं, कि फेरा व एम आर टी पी कानूनों को रद्द कर दिया जाए, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय सेवाओं को सीधे-सीधे या भारतीय इजारेदारों के साथ सहयोग के साथ प्रविष्टि होगी.

इंदिरा सरकार ने १६८१ के लिए नए औद्योगिक नीति प्रस्ताव में इन शर्तों को पूरा करने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं. यह विश्व बैंक व इससे संबद्ध संस्थानों और खास तौर से बहुराष्ट्रीय निगमों को खुश करने का कदम था. सरकार ने निर्यात पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया और इस लक्ष्य के लिए आयात के लिए छूटें दी जा रही हैं बहुराष्ट्रीय निगमों तथा भारतीय इजारेदारों को सुविधाएं दी जा रही हैं. इस पर अब जोर नहीं दिया गया कि बहुराष्ट्रीय निगम अपनी पूंजी ४० प्रतिशत से कम करें. यह घोषणा की गई कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन के ५० प्रतिशत का निर्यात करेंगी उन कंपनियों को ७४ प्रतिशत पूंजी निवेश की इजाजत होगी और जो अपने उत्पादन के ६० प्रतिशत का निर्यात करने को सहमत होंगी उनका पूंजी निवेश १०० प्रतिशत हो सकता है.

बहुराष्ट्रीय निगमों तथा भारतीय इजारेदारों, दोनों ही, को उन उद्योगों में भी आने की इजाजत दे दी गई जिनमें वे अब तक अपनी पूंजी नहीं लगा सकते थे. तुरंत ही उनकी अतिरिक्त क्षमता, यानि वह क्षमता जो उन्होंने कानून व उन्हें दिए गए औद्योगिक लाइसेंसों का उल्लंघन करके लगाई थी, कानूनी घोषित कर दी गई, और पांच सालों में उन्हें स्वतः प्रसार अंतराल की भी इजाजत दे दी गई. जटिल तकनीकी के नाम पर अनेक उद्योगों में घुसने के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों को छूट दे दी गई. इस बहाने से उन्हें ज्यादा पूंजी निवेश की छूट मिल गई. इसी तरह की सुविधाएं भारतीय इजारेदार घरानों को दी गईं. अब यह साफ जाहिर है कि नए औद्योगिक नीति प्रस्ताव सहित ये सब कदम विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के कहने पर उठाए गये हैं. बाद इंदिरा कांग्रेस की सरकार ने उन नीतियों को संसद में पेश किया ताकि उन पर राष्ट्रीय नीतियों के रूप में संसद की मोहर लग जाए.

आई एम एफ के आदेश स्वीकृत

इस तथ्य पर जोर देना जरूरी है कि प्रसाधन जुटाने के सवाल और कोष द्वारा उठाए जाने वाले ऐसे ही अन्य नीति मुद्दों पर आई एम एफ के साथ परामर्श करने के लिए श्री वेंकटरमन ने भारत सरकार को वचनबद्ध कर दिया है.

इस पर भी जोर दिया जाना चाहिये कि 'राष्ट्रीय नीतियों आदि की सब बातों के बावजूद श्री वेंकटरमन ने भारत सरकार को न केवल बातचीत के लिए बल्कि उन नीतियों व मुद्दों पर भी कोष के साथ एक समझ बनाने के लिए वचनबद्ध किया है जो प्रसाधन जुटाने व खास तौर से निर्यात से संबंधित होंगे.

इसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है कि भारत व कोष के बीच इस समझ का क्या अर्थ होगा. यानि कोष के आदेश होंगे और भारत सरकार द्वारा जो एक भिखारी की स्थिति में है आत्मसमर्पण होगा.

इस वचन के अनुसार मौजूदा वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने ८ जून १६८२ को भेजे गये आई एम एफ के नाम पत्र में जनवरी १६८३ से पहले कोष के साथ अर्थव्यवस्था का जायजा लेने का वायदा किया है. ''खास तौर से'' पत्र में कहा गया है कि "जायजे में जनबचत, आयात व निर्यात से संबंधित नीतियां व कदम शामिल होंगे और इसमें कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोष के साथ जरूरी समझ तैयार करना शामिल होगा."

करों व सेवा भाड़ों में वृद्धि

रेल माल-भाड़े और यात्री किराए में भारी वृद्धि, पैट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल व अन्य पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कोई वृद्धि न होने के बावजूद की गई, और जिन्हें बजट के कुछ ही दिन पहले घोषित किया गया, विश्व बैंक के साथ किये गये समझौते को पूरा करने के अलावा कुछ नहीं है.

स्वयं बजट ने भी आम जनता पर डाक-तार व टेलीफोन की दरों में भारी वृद्धि करके तथा सब चीजों पर ५ प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी आदि लगाकर भारी बोझ लाद दिया है.

भारत सरकार ने कोष के आदेशों को पूरा करते हुए खादों व खाद्यान्नों पर राहतों में कमी कर दी है.

जैसा कि हमने पहले कहा था, विश्व बैंक व कोष पर अधिक निर्भरता का मतलब है मजदूर वर्ग पर और अधिक हमले. मजदूर वर्ग के अधिकारों पर असर करने वाले तीन अन्य विधेयक, औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, ट्रेड यूनियंज (संशोधन) विधेयक और अस्पताल व अन्य संस्थान (विवादों का समाधान) विधेयक संसद के पिछले बजट अधिवेशन में पेश किये जा चुके हैं.

अनियंत्रित मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति के संबंध में १६८०-८१ में बैंकिंग की प्रगति पर २१ अक्तूबर १६८१ को प्रकाशित रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि :

"कीमतों में (मासिक औसत के आधार पर) १८ प्रतिशत वृद्धि हुई, इसकी तुलना में पिछले साल यह १७ प्रतिशत थी." इससे पिछले साल को गंभीर सूखे का साल माना गया था और १९८०-८१ को भारी उपज का नहीं तो कम से कम एक सामान्य वर्ष माना गया था. और फिर भी कीमतें बढ़ीं और ये पिछले साल की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ीं.

ये आंकड़े वित्त मंत्री द्वारा संसद व संसद के बाहर किये गये दावों के विपरीत हैं कि मुद्रास्फीति १० प्रतिशत से कम हो हो गई है.

कुछ भी हो, मंत्रियों व अन्य अफसरान के आंकड़ों में जो भी कुछ क्यों न दर्शाया गया हो, साधारण आदमी के लिए मुद्रास्फीति का अर्थ हैं कि आनाकानी करके दिए गये महंगाई भत्ते को मिलाने के बावजूद भी पिछले महीने के वेतन से पिछले महीने में अपनी जरूरतों को पूरा करने में उसकी पूरी नाकामयाबी. इंदिरा गांधी की 'काम करने वाली सरकार' के ढाई सालों में आम आदमी अपने वास्तविक जीवन में यही अनुभव करता रहा.

स्वदेशी तकनीकी नामंजूर

तकनीकी के संबंध में पहले तो यह सवाल है कि जब अतिजटिल तकनीकी के बहाने या फिर निर्यात करने वाली यूनिट के नाम पर बहुराष्ट्रीय निगमों को अनेक यूनिटों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने दिया जा रहा हो तो स्वदेशी तकनीकी के विकास की कहां गुंजाइश है.

दूसरे, ज्यादा से ज्यादा तकनीकी व वित्तीय सहयोगों के बाद स्वदेशी तकनीकी नामंजूर हो गई है. स्वतंत्रता के बाद तीस साल का यह अनुभव है कि वे बड़े व्यापारिक घराने, जिन्होंने विदेशियों से सहयोग किये, तकनीकी के आगे विकास के लिए हमेशा सहयोगों पर ही निर्भर रहे.

तीसरे, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को टर्नकी प्रोजेक्ट दिये जाते हैं, जिन्हें विश्व बैंक या उनकी अपनी सरकारों का समर्थन प्राप्त हैं तो भारत में भूमि को समतल करने, फैक्ट्री बनाने, सड़कें बनाने, रेलवे बिछाने आदि कार्य को छोड़कर प्रोजेक्ट के किसी भी पुर्जे के बनाने की गुंजाइश नहीं होती.

आत्म निर्भरता को तिलांजलि

इस प्रकार हर संभव तरीके से स्वदेशी तकनीकी के विकास में बाधाएं डाली जाती हैं. यह प्रक्रिया सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों, विद्युत, इलेक्ट्रानिक्स, रसायनिकी, दवा, मोटरगाड़ी, सुरक्षा उद्योग, आदि में दिखाई पड़ती है. और फिर भी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता की बात करती रहती हैं.

जनता लूटी जा रही है

जनता पर हमलों के संबंध में, हमने पिछले दो सालों के बजटों के परिणाम और बजट से पहले दरों व कीमतों में वृद्धि करने का नया हथियार देखें हैं.

भारत के रिजर्व बैंक के हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार भारत सरकार को केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी से सबसे ज्यादा राजस्व की राशी प्राप्त होती है. पिछले ११ सालों में राजस्व बेतहाशा बढ़ा है. एक्साइज ड्यूटी से प्राप्त कुल राशि १९५०-५१ में मात्र ६८ करोड़ रुपये से बढ़कर १९७०-७१ में १,७५० करोड़ रुपये तथा १९८०-८१ में ७,११७ करोड़ रुपये हो गयी.

इजारेदारों को अनुचित आश्रय

केंद्रीय सरकार के कुल टैक्स राजस्व में एक्साइज ड्यूटी का हिस्सा १९५०-५१ में १६.८ प्रतिशत से बढ़कर १९८०-८१ में ४८.८ प्रतिशत हो गया. दूसरी ओर आयकर का हिस्सा ३८.५ प्रतिशत से कम होकर १०.९ प्रतिशत रह गया.

इस तरह से आम जनता पर हमले होते हैं और इजारेदारों को अनुचित आश्रय दिया जाता है.

खादों व खाद्यान्नों पर राहतों में कटौती को हमने पहले ही नोट किया है. किसानों को उनकी फसलों के लिए लाभकारी दाम निर्धारित करने और उनकी गारंटी देने से सरकार ने इंकार कर दिया है. वे पूरी तरह इजारेदारों की दया पर रहते हैं जिनकी मंडी के धोखेबाज व्यापारियों के साथ सांठगांठ होती है.

इसके परिणामस्वरूप उन पर कर्ज बढ़ा है और कई राज्यों में कर्ज- राहत के लिए आंदोलन हो रहे हैं. रिजर्व बैंक व केंद्रीय सरकार सहकारी बैंकों के गरीब किसानों को दिए गए कर्जों को माफ करने या उन्हें कम करने की सभी योजनाओं को रद्द कर देते हैं.

जहां गरीब किसानों के प्रति उनका यह दृष्टिकोण है वहां उसी रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि बड़ी व्यापारी कंपनियों व औद्योगिक यूनिटों को दिया गया १,१०० करोड़ रुपये का कर्ज वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता और कहा है कि इसे माफ कर देना चाहिए.

मजदूर वर्ग पर हमले

पिछले साल मजदूर वर्ग पर हमलों को तेज किया गया है. हालांकि सरकारी प्रवक्ताओं ने संसद में यह आश्वासन दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ट्रेड यूनियन, किसान, खेतीहर मजदूरों के संगठन तथा मेहनतकश जनता के संघर्षों में लीन अन्य संगठनों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, फिर भी इसके पहले शिकार ट्रेड यूनियन मजदूर ही हुए. इस कानून को कालाबाजारियों और अन्य समाजविरोधी तत्वों के खिलाफ इस्तेमाल करने की बात हवा में उड़ गयी. कस्टम विभाग की हाल ही की रिपोर्ट यह कहती है कि कालाबाजारी में भारी वृद्धि हुई है. उस हालत में और हो भी क्या सकता है जब कांग्रेस (आई) शासित राज्यों के मुख्य मंत्रियों में इन कालाबाजारियों को अपनी काली पूंजी को बंबई, बंगलौर जैसे शहरों में कई मंजिले भवन बनाकर श्वेत पूंजी में बदलने के लिए सीमेंट व अन्य अनुपलब्ध सामान देने में प्रतियोगिता हो.

मजदूरों पर थोपे गए संघर्षों में हस्तक्षेप करने से कांग्रेस (आई) मंत्री इंकार करते हैं. उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री ने सीटू के राज्य सचिव को कानपुर में लिखा कि क्योंकि आप वर्ग संघर्ष में विश्वास करते हैं इसलिए वे सीटू के नेतृत्ववाले संघर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते.

हर संघर्ष को लंबा खींचा जाता है. तालाबंदी एक आम बात हो गई है और सरकार हस्तक्षेप करने से इंकार करती है.

इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र सरकारें सबसे ज्यादा हमलावर हैं.

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक कंपोनेंट्स में २९ सितम्बर १९८० से हड़ताल शुरू की गई क्योंकि प्रबंधकों ने सरकारी आदेशों को लागू करने से इंकार कर दिया था और यह हड़ताल एक साल से भी ज्यादा समय तक चली थी. और यहां एक यह सरकार है जिसने अपने ही आदेशों को लागू करवाने के लिए हस्तक्षेप करने से मना कर दिया.

जे० के० रेयान में, जिसके बारे में जनरल काउंसिल की पिछली बैठक में बताया गया था, हमारी यूनियन को, जिसे पिछले २० सालों से मान्यता प्राप्त है, उखाड़कर इंटक यूनियन को मान्यता देने की साजिश की गई. गैरकानूनी छटनी एक जुलाई १९८१ से शुरू हो हुई और छः महीनों से ज्यादा चली जिसमें समाज विरोधी तत्वों को लामबंद करके हमारे मजदूरों को पीटा गया तथा पुलिस ने भी इन हमलों के शिकार मजदूरों को ही गिरफ्तार किया. जब इंटक यूनियन के खेमे की तलाशी ली गई तो पुलिस को वहां से विस्फोटक व अवैध हथियारों सहित घातक हथियार मिले लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया. संघर्ष को बर्बर दमन द्वारा दबा दिया गया और श्रम मंत्री ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया.

ऐसी ही स्थिति जेके जूट मिल और कानपुर जूट उद्योग में पैदा हुई जहां क्रमशः १३ फरवरी और १६ अप्रैल से हड़तालें शुरू की गई. धारा १४४ लगा दी गई ताकि मजदूर पिकेटिंग न कर सकें. हड़ताल तोड़ने के लिए गुंडों की भर्ती की गई और पुलिस, गुंडा व इंटक गठबंधन ने मजदूरों पर बर्बर हमले करने के लिए प्रबंधकों की मदद की और हड़ताल को क्रूरता से दबाने के लिए उन्हे गिरफ्तार करा दिया. इन सब कठिनाइयों के बावजूद कानपुर के मजदूर हमलों के खिलाफ बहादुरी के साथ लड़ते रहे.

उत्तर प्रदेश में हर जगह, अन्नपूर्णा बिस्कुटस कानपुर, अयोध्या चीनी मिल्ज, यू० पी० स्टेट मिनरल डवैल्पमैंट कारपोरेशन व विक्रम काटन मिल्ज में, यही कथा रही. प्रबंधकों के भाड़े के गुंडे हरिजनों सहित मजदूरों को पीटते, स्वयं प्रबंधक नेताओं व ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं को उत्पीड़ित करते, पुलिस लाठियां बरसाती व उन्हें गिरफ्तार करती ताकि आतंक पैदा किया जा सके और उनका बर्बरता के साथ दमन किया जा सके.

उन्नाव के समीप रैलीज इंडिया में संघर्ष का नेतृत्व करने वाली एटक यूनियन का भी यही हाल हुआ.

हरियाणा में भजन लाल सरकार ने हांसी-हिसार क्षेत्र को अपना निशाना बनाया. हिसार कपड़ा मिल में सभी यूनियनों ने २० मई १९८१ से संयुक्त हड़ताल शुरू की. हरियाणा सरकार ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया. मजदूर इतनी दूर से दिल्ली आए और प्रधानमंत्री के घर के सामने १ सितंबर को धरना दिया, तब कहीं जाकर ३ सितंबर को हड़ताल पर समझौता हुआ. इसी मिल में जब वर्क्स कमेटी के चुनावों में सीटू के नुमाइंदों की विजय हुई तो गुंडों ने २४ मार्च १९८२ को चुने गए सदस्यों पर हमला बोल दिया.

हरियाणा कन्कास्ट व हांसी स्पिनिंग मिलों के सभी मजदूरों को २० जनवरी १९८२ को काम पर लेने से इंकार कर दिया गया क्योंकि उन सब ने १९ जनवरी की अखिल भारतीय आम हड़ताल में भाग लिया था. कहा जाता है कि सीधे भजन लाल द्वारा कहे जाने पर ही ऐसा किया गया और इस कदम को उस समय वापस लिया गया जब केंद्र को पता चल गया कि इसने दूरों की एकजुटता को तोड़ा नहीं जा सकता और अंततः मजहस्तक्षेप किया.

हिसार चुनाव क्षेत्र में १९ मई के चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ, जिसके कारण फिर से चुनाव करने की घोषणा की गई, यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में मजदूरों का बर्बर दमन इस क्षेत्र से सभी विपक्षियों का पत्ता साफ करने के लिए भजन लाल की योजना का ही एक हिस्सा है.

मध्य प्रदेश में, जहां मजदूर सबसे ज्यादा शोषित हैं, जहां न्यूनतम वेतन कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन २१० रु० है, जो ट्रेड अप्रेंटिसों के वजीफे जो अब २३० रुपये है से भी कम है, जहां मजदूर धीरे-धीरे अब सीटू के नेतृत्व में संगठित हो रहे हैं, दमन बहुत ही गंभीर है.

सिम्प्लेक्स इंजीनियरिंग के मजदूरों ने २१ अप्रैल १९८१ से हड़ताल शुरू की और सिम्प्लैक्स कास्टिंग्स के मजदूर भी ३ मई १९८१ से इसमें शामिल हो गए. इसकी स्थिति की रिपोर्ट जनरल काउंसिल की पिछली बैठक में पेश की गई थी. कामरेड पी० के० मोइत्रा को छः महीने से भी ज्यादा समय के लिए जेल में रखा गया और उनकी जमानत भी मंजूर नहीं की गई. लेकिन मुकदमे व इसके फैसले से पता चला कि इस मामले में एक बिलकुल झूठ एफ आई आर दर्ज किया गया था. इस तरह उन्हें पूरे दृश्य से हटा दिया गया ताकि मजदूर उनसे कानूनी सहायता न प्राप्त कर सकें· लेकिन इस दौरान प्रबन्धकों के भाड़े के गुंडे व पुलिस मजदूरों को पीटते व गिरफ्तार करते ताकि उन्हें आतंकित किया जा सके. सरकार की साजिश भी उस समय बेनकाब हुई जब श्रम मंत्री ने कामरेड पी० के० मोइत्रा पर दोष लगाते हुए एक बयान दिया और इस बारे में कामरेड समर मुखर्जी ने मामला उठाया.

मध्य प्रदेश की चुर्चा व विश्रामपुर कोलियरियों में सीटू यूनियनों पर पिछले नवंबर व दिसंबर में बार बार हमले किए गए. ६८ मजदूर बर्खास्त किए गए और दोनों ही मौकों पर पुलिस ने मजदूरों पर लाठियां बरसाईं तथा क्रमशः ६८ व ७४ मजदूर गिरफ्तार किए गए.

सिमको स्टील फाउंडरी ग्वालियर में मजदूरों को पुलिस लाठीचार्ज व गिरफ्तारियों का सामना करते हुए उत्पीड़न के खिलाफ ७५ दिन तक संघर्ष करना पड़ा.

उज्जैन में विनोद व विमल टैक्सटाइल मिलें एक साल से

भी ज्यादा समय तक बंद रही और ८,००० मजदूर बेरोजगार हो गए. सीटू व अन्य ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व में एकजुट होकर मजदूरों ने पुलिस दमन का सामना करते हुए बहादुरी के साथ संघर्ष किया और फिर २ दिन के लिए उज्जैन बन्द आयोजित हुआ. इसके बाद ही इन मिलों को खोलने के लिए आदेश देने के लिए सरकार मजबूर हुई.

वेराबलि मैंगनीज खदानों में जब मजदूरों ने एक नई यूनियन बनाई तब इस नई यूनियन को तोड़ने के लिए प्रबन्धकों ने एक मजदूर को उत्पीड़ित कर दिया. पुलिस ने मजदूरों के प्रतिरोध को क्रूरता के साथ दबा दिया और बिना किसी भडकावे के गोली चलाकर तीन मजदूरों की हत्या कर दी.

सभी तरह के दमन का सामना करते हुए अपने लगातार संघर्षों को चलाने में मजदूरों द्वारा प्रदर्शित नई चेतना प्रशंसनीय है.

महाराष्ट्र में सबसे बडा संघर्ष बंबई के कपडा मजदूरों का है जिसके बारे में अलग से चर्चा की जाएगी. महाराष्ट्र सरकार इजारेदारों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जी-हजूरी कर रही है और उनके खिलाफ हो रहे संघर्षों का दमन करने के लिए पूरी मदद कर रही हैं. अमेरिकन बहुराष्ट्रीय निगम फायरस्टोन के उपक्रम बंबई टायर्स इंटरनैशनल में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण एक मजदूर की मृत्यु हो गई. जब मजदूरों ने प्रतिरोध किया तो समझौता करने के लिए प्रबन्धकों ने कुछ समय की मांग की. लेकिन दूसरे ही दिन फैक्टरी गेट को महाराष्ट्र पुलिस ने युद्ध का मैदान बना दिया और मजदूरों पर बर्बरता के साथ दमन किया और संघर्ष को क्रूरता के साथ दबा दिया गया.

एक और बहुराष्ट्रीय निगम के उपक्रम हिंदुस्तान फेरोडो में १७ जुलाई १९८२ से हड़ताल शुरू हुई और सरकार हस्तक्षेप करने के लिए केवल तब ही मानी जब बंबई में व उसके चारों और १५० फैक्ट्रियों के मजदूरों ने संघर्षरत मजदूरों के समर्थन में एकजुटता हड़ताल की.

कांग्रेस (आई) शासित अन्य राज्यों में भी दमन तेज होता जा रहा है. असम के चाए बागान में, जहां भारी संख्या में मजदूर इंटक यूनियनों को छोड़ कर सीटू यूनियनों में शामिल हो रहे हैं, दमन बेरोक जारी है. जनरल काउंसिल की पिछली बैठक में दी गई रिपोर्ट यह साफ बताती है कि चाए बागान मजदूरों पर कितने गंभीर हमले किए गए और किस तरह उन्होंने बलात्कार, आगजनी व हत्याओं का सामना किया.

इंटक यूनियनों से भारी संख्या में मजदूरों का सीटू यूनियनों में शामिल होना हर जगह असम में जारी है और वहां सीटू दफ्तरों को जबरन कब्जे में लिए जाने की कोशिशें जारी हैं. नामरूप में १६ दिसंबर १९८१ को समाज विरोधी तत्वों द्वारा घातक हमले में कामरेड सुखनन्दन पंडित की हत्या कर दी गई और चार अन्य मजदूर घायल हुए. असम जूट मिल्ज की यूनियन इंटक से टूट कर १९७८ में सीटू में शामिल हुई थी. १९८१ में नेताओं को उत्पीड़ित किया गया और यूनियन पर इंटक ने कब्जा कर लिया. इस विशेष मामले में भी आई एल ओ के पास एक शिकायत भेजी गई.

असम में हमारे कामरेड पृथकतावादी आंदोलन के खिलाफ और प्रबन्धकों, इंटक व पुलिस के हमलों के खिलाफ बहादुरी के साथ लड़ते रहे. यह बहुत ही खुशी का विषय है कि इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने प्रगति की है.

अन्य राज्यों में गंभीर संघर्ष जारी हैं और इसी तरह दमन हो रहा है. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, गोआ, अंडेमान-निकोबार, हर जगह संघर्षों को बर्बरता के साथ दबाया जा रहा है.

सरकारी व वेतन भोगी कर्मचारियों के संघर्ष

इस दौरान में नोट करने की बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों व अन्य वेतनभोगी कर्मचारियों के संघर्षों में वृद्धि हो रही है. देखते ही गोली मार देने के आदेश दिए जाने के बावजूद भी दृढ़ संघर्ष किए गए. सबसे प्रसिद्ध संघर्ष बिहार के अराजपत्रित अधिकारियों तथा राजस्थान के राज्य सरकार कर्मचारियों के हैं. इन संघर्षों को कुचलने की हर कोशिश नाकामयाब हुई और सरकार कर्मचारियों के हित में समझौते करने के लिए मजबूर हुई. ये दोनों ही संघर्ष कर्मचारियों पर थोपे गए थे क्योंकि सरकार ने वेतन आयोगों के फैसलों को लागू करने से इंकार कर दिया था.

दिल्ली, बिहार व महाराष्ट्र में विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थानों के अध्यापकों व कर्मचारियों ने लंबे संघर्ष किए. रिजर्व बैंक व समाचार पत्रों के कर्मचारी अभी भी स्वचालन के खिलाफ संघर्षों में जुटे हैं. केरल में डाकतार कर्मचारियों ने अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष किया और इसके कारण ७ हजार से भी ज्यादा कर्मचरियों को किसी न किसी तरह उत्पीडित किया गया.

इसलिए संघर्ष का दौर तेजी से बढ़ रहा है और मजदूर हर दमन का सामना करते हुए पक्के निश्चय के साथ संघर्ष कर रहे हैं.

असंगठित क्षेत्र पर सबसे ज्यादा चोट

असंगठित उद्योग में स्थिति और भी खराब है. सबसे ज्यादा परिश्रम वाला उद्योग निर्माण उद्योग है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के कई प्रतिष्ठान बन गये हैं. वे देश में भारी बेरोजगारी का फायदा उठा रहे हैं और बेतहाशा ठेका श्रम का प्रयोग कर रहे हैं. इसके परिणामस्वरूप ये सार्वजनिक निर्माण कंपनियां ठेकेदारों के लिये फौरी परियोजनाओं के शिकार-स्थल बन गई हैं. हर जगह ठेका श्रम (नियमन व निवारण) कानून व इसके तहत बने नियमों का उल्लंघन हो रहा है. इस उद्योग में हाल ही में अपनी ताकतों को लामबंद करने के लिए कुछ कदम उठाये गये हैं जिन्हें आगे बढ़ाना है. एन बी सी सी, एन पी सी सी, एच एस सी एल व अन्य कंपनियों में कोई वेतन समझौता नहीं हुआ है और कीमत वृद्धि के कारण वास्तविक वेतन में भारी कमी हो गई है.

असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम वेतन निर्धारण के सवाल और उसे लागू करवाने की प्रक्रिया पर हमें ध्यान देना चाहिए. वर्षों से न्यूनतम वेतन में कोई संशोधन नहीं हुआ है. और अब सर-

कार न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिये शर्त तय करने से भी इंकार कर रही है.

श्रम विरोधी काले विधेयक

मजदूरों के प्रतिरोध को बढ़ता देखकर अब सरकार ने चार काले विधेयक पेश किये हैं जो असलियत में हड़ताल के अधिकार को छीन रहे हैं. इन विधेयकों का विस्तार से अध्ययन करके मैंने एक पैंमफ्लेट (पुस्तिका) लिखा है, जिसे सीटू ने प्रकाशित किता है, और इसलिये मैं इसके विषय में यहां कुछ नहीं कहूंगा.

एकजुट प्रतिरोध

मजदूर वर्ग इन बढ़ते हमलों के सामने झुका नहीं है. उनका प्रतिरोध और खास तौर से एकजुट प्रतिरोध बढ़ रहा है.

जैसे ही एस्मो की घोषणा की गई, वामपंथी नेतृत्व के तीन राज्यों पश्चिम बंगाल त्रिपुरा व केरल के मजदूर वर्ग ने क्रमश: १४ सितंबर, ११ सितंबर व ३ सितंबर को राज्यव्यापी हड़ताल व बंद आयोजित किया जिसने अपने ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों के खिलाफ मजदूर वर्ग के प्रतिरोध संघर्ष का मार्गदर्शन किया.

सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व फेडरेशनों से संबंधित समूचे देश के ५ लाख मजदूरों ने २३ नवंबर को संसद पर भारी प्रदर्शन किया और एक रैली की. इन मजदूरों ने अनिवार्य सेवा अनुरक्षण विधेयक की वापसी की मांग की और साथ ही अन्य मांगें रखीं. एकजुट संघर्ष के इतिहास में यह मार्च अभूतपूर्व था.

इसके बाद पहली अखिल भारतीय हड़ताल हुई. हालांकि सरकारी प्रचार तंत्र व बुर्जुवा समाचार-पत्रों ने इसे कम करके प्रकाशित करने की कोशिश की, लेकिन यह सच्चाई है कि पहली बार समूचे देश में औद्योगिक मजदूर भारी संख्या में सामने आये और कुछ स्थानों में हड़ताल ने बंद का रूप ले लिया.

पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा में १९ जनवरी को अधिकृत बंद की घोषणा की गई. लेकिन आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, बिहार के बड़े हिस्सों व उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों व क्षेत्रों में अपने आप 'बंद' आयोजित हो गये और चाहे इसके खिलाफ सरकार का कैसा भी प्रचार क्यों न रहा हो.

मजदूर वर्ग की यह शक्तिशाली कार्यवाही थी और इसकी उचित समीक्षा जरूरी है. अनेक केंद्रों में हमारी कमजोरियों को कभी-कभी प्रकाश में नहीं लाया जाता. इस कार्यवाही के विकास में सीटू की भूमिका ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति में दिक्कतों, समिति के घटकों द्वारा उठाये गये भिन्न कदमों व इस संघर्ष में हमारे अनुभव का जायजा लेना जरूरी है. इससे हमें सही सबक सीखना है ताकि केंद्र में कांग्रेस (आई) सरकार के बढ़ते अधिनायकवाद का मुकाबला करने के लिये आगे कदम उठाये जा सकें.

संघर्षों व खास तौर से संयुक्त संघर्षों की रिपोर्ट यह बताती है कि भारी दमन के बावजूद मजदूर वर्ग व मेहनतकश जनता के अन्य हिस्से हताश नहीं हुए हैं बल्कि आगे बढ़ रहे हैं.

बंबई के कपड़ा मजदूरों की हड़ताल

बंबई के ढाई लाख कपड़ा मजदूरों के संघर्ष के बारे में, जो १८ जनवरी १९८२ से शुरू हुआ और इसे तोड़ने की सरकार की हर कोशिशों के बावजूद जो अभी भी जारी हैं, खास तौर से यहां चर्चा करने की जरूरत है. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ (इंटक) कपड़ा-सेठों के साथ सहयोग की नीति अपना रही थी और मजदूरों की पीठ पीछे समझौते करके मजदूरों पर थोप रही थी.

सरकार ने गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार किया और मजदूरों को भूखे मार कर झुकाने का फैसला किया. केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाकर प्रचार व एकजुटता कार्यवाहियां की. राहत जुटाई गई. बंबई में एक एकजुटता हड़ताल हुई. पिछली ८ जुलाई को समूचे महाराष्ट्र के कपड़ा मजदूरों ने हड़ताल की. सरकार ने अब कुछ प्रस्तावित किया है लेकिन वे फिर भी समझौते पर बातचीत करने से इंकार करते हैं. संगठन की स्वतंत्रता व सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार भी अब शामिल हो गया है. यह अब प्रतिक्रियावादी बी० आई० आर० कानून के खिलाफ भी संघर्ष हो गया है. आगे कदम उठाने के लिये वर्किंग कमेटी को इस संघर्ष पर विचार करना चाहिये.

स्वतंत्रता, जनवाद व समाजवाद का झंडा बुलंद करो

साथियो,

मैंने अपनी रिपोर्ट में सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में, खास तौर से आई एम एफ से कर्ज व इस द्वारा मांगी गई शर्तों के सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने पर काफी कुछ कहा है क्योंकि अगर समय रहते इन नीतियों को नियंत्रित व खत्म नहीं किया गया तो ये हमारे देश की स्वतंत्रता के लिये खतरा हैं.

यह याद रखना चाहिए हमारे देश में फूटपरस्त ताकतों के पास धन इन्हीं स्रोतों से आता है. मजदूर वर्ग के संघर्षों के दौरान जब तक हम मजदूर वर्ग को बार-बार यह नहीं समझाते कि इन नीतियों के तहत उन पर हमले होते ही रहेंगे, और उन्हें यह नहीं समझाते कि ये हमले सदा के लिये खत्म हो जाएंगे यदि ये नीतियां बिल्कुल बदल दी जाएं, तब तक हम अपने वर्ग और देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकते.

आज यदि मजदूर वर्ग स्वतंत्रता, जनवाद और समाजवाद का झंडा नहीं उठाता है तो कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इस झंडे को उठा सके और देश में विघटनकारी व फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ जनता को लामबंद कर सके.

अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य को पूरा करो

साथियो,

मैंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में खतरनाक बातों का जिक्र नहीं किया है क्योंकि हमारे अध्यक्ष कामरेड बी टी रणदिवे ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इसकी चर्चा की है.

इन अन्तर्राष्ट्रीय कर्त्तव्यों की पूर्ति हमारे संगठन की स्थिति और मजदूर वर्ग की राजनीतिक चेतना के स्तर पर निर्भर करती है. इसलिये, आइये हम पूरे जोश व निश्चय के साथ इन कर्तव्यों के विषय में स्वयं को ही संबोधित करें. इस कार्य में कोई देर नहीं होनी चाहिये. □

वर्किंग कमेटी द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव

बढ़ते युद्ध के खतरे व शांति के लिए संघर्ष पर

बंगलोर में २१ से २५ जुलाई १९८२ को संपन्न सीटू की वर्किंग कमेटी की यह बैठक अमेरिकी साम्राज्यवादियों की न्यूक्लीयर युद्ध का खतरा पैदा करने के लिए निंदा करती है. सोवियत यूनियन से खतरे के मनगढंत बहाने पर इतिहास में अब तक लिखे गए सबसे ज्यादा निंदनीय हथियार-दौड़ शुरू करके, अमेरिका इस पर फौजी श्रेष्ठता हासिल करना चाहता है. इसकी हमलावर युद्ध नीतियां समाजवादी सोवियत संघ के खिलाफ हैं.

अमेरिका के इस हमलावर मार्ग का स्रोत इसका सार्वभौमिक प्रभुत्ता का इरादा और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की निराशाजनक स्थिति है तथा इसे फौजी-औद्योगिक संस्थानों के मुनाफे के स्वार्थों से समर्थन प्राप्त है. आज अमेरिका के पास युद्ध के हथियारों के १०,००० यूनिट हैं, इसमें से प्रत्येक हीरोशमा बम से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं. और फिर भी सभी सामाजिक सुरक्षा कदमों में कटौती करके युद्ध हथियारों को जमा करना जारी है. मिसाइलों के अलावा अमेरिका के पास डरावने न्यूट्रान बम हैं जो जीवित कोषों को नष्ट करके मानव जीवन की हत्या कर देते हैं लेकिन संपत्ति को बनाए रखते हैं. इसके अलावा अमेरिका जलगत मिसाइल वाहकों और पहाड़ों की चोटियों पर व अंतरिक्ष में लगाने के लिए लेसर हथियार के निर्माण का विशाल कार्यक्रम चला रहा है. न्यूयार्क टाइम्स में प्रकाशित एक गुप्त रिपोर्ट के अनुसार "मृत्यु किरणों" पर प्रयोगों पर २०० करोड़ डालर पहले ही खर्च किए जा चुके हैं. इन सबके अलावा अमेरिका में रसायनिक युद्ध की तैयारियां बड़े जोरशोर के साथ हो रही हैं. अपनी फौजी ताकत को बढ़ाने के लिए अमेरिका ने न्यूक्लीयर हथियारों से लैस अपनी आधी फौजें पश्चिमी यूरोप, पर्शियन गल्फ, दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका व केंद्रीय अमेरिका में नियुक्त कर दी है. पाकिस्तान को भारी मात्रा में हथियार देकर इसने युद्ध का खतरा भारत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है. अपने क्षेत्र से बाहर फौजी अड्डों की संख्या में कोई भी दूसरा देश अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता.

यूरोपीय भूमि को युद्ध में झोंकने के लिए अपने नाटो गुटबंदियों पर अधिक फौजी बजट लादने की इसकी कोशिशों से यूरोप व इसके नाटों गुटबंदियों में जबर्दस्त प्रतिक्रिया पैदा हुई है.

साल्टii-संधि का अनुमोदन करने से इंकार करके इसने न्यूक्लीयर हथियारों को पहले इस्तेमाल न करने के सोवियत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है. दूसरी ओर इसने 'सीमित न्यूक्लीयर युद्ध' के सिद्धांत को पेश करके अपने घिनौने इरादों की पुष्टि की है और यदि यह एक बार शुरू हुआ तो यह हमेशा इसके जनसंहार में समूचे विश्व को ग्रस्त रखेगा.

यह बैठक पूंजीवादी देशों में युद्ध के खिलाफ हुए विशाल प्रदर्शनों का अभिनंदन करती है जिनमें हर देश में लाखों मजदूरों, छात्रों, युवकों व महिलाओं ने भाग लिया. अमेरिका में भी भारी प्रदर्शन हो रहे हैं और इनमें सबसे बड़ा प्रदर्शन निरस्त्रीकरण सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने हुआ. जनता ने रीगन की युद्ध नीति के खिलाफ लंदन में उनकी यात्रा के दौरान एक विशाल रैली आयोजित करके अपना रोष व्यक्त किया. रीगन की यात्रा के दौरान पश्चिम बर्लिन व पेरिस में युद्धविरोधी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ जमकर लड़ाई लड़ी. अमेरिका, ब्रिटेन व पश्चिमी जर्मनी के संसदों में विपक्षी दलों ने युद्ध तैयारियों को रोकने की मांग की.

यह बैठक पूंजीवादी दुनिया, सोवियत यूनियन व अन्य समाजवादी देशों की कामकाजी जनता के लाखों मेहनतकशों का शांति व निरस्त्रीकरण के लिए संघर्ष को तेज करने के लिए हार्दिक अभिनंदन करती है.

यह बैठक निर्गुट आंदोलन को शांति व निरस्त्रीकरण के लिए इसके संघर्ष के लिए प्रशंसा करती है और भारत सरकार का अपने ढुलमुलपन को त्यागने तथा शांति व निरस्त्रीकरण के समर्थन में अपनी आवाज बेशर्त बुलंद करने के लिए आह्वान करती है.

यह बैठक डब्लू एफ टी यू को अमेरिका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी जंगी-जालसाजियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोध आंदोलन विकसित करने की कोशिशों के लिए बधाई देती है और दसवें विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन में द्वितीय विश्व-युद्धके शुरू होने के दिन, एक सितंबर, को शांति व एकजुटता दिवस के रूप में मनाने के फैसले का समर्थन करती है.

यह बैठक राज्य कमेटियों व संबद्ध यूनियनों का मजदूरों के सभी हिस्सों को लामबंद करने और जनता का एक सितंबर को मनाने तथा युद्ध के खिलाफ अपनी शक्तिशाली आवाज बुलंद करने तथा शांति, समाजवाद व जनवाद के लिए संघर्ष विकसित करने के लिए आह्वान करती है. यह बैठक देश के समूचे मजदूर वर्ग युद्ध के बढ़ते खतरे के खिलाफ तथा शांति व निरस्त्रीकरण के लिए संघर्ष को तेज करने की अपील करती है. □

ट्रेड यूनियन इंटर नेशनल से आमंत्रण

वर्किंग कमेटी की बैठक में यह घोषणा की गई कि कपड़ा मजदूरों के ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल ने अपने सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंगाल चटकल मजदूर यूनियन से एक प्रतिनिधि आमंत्रित किया है. यूनियन सीटू की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के साथ परामर्श करके प्रतिनिधि का नाम तय करेगी.

धातु (मेटल) मजदूरों के लिए ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल ने अपने सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्टील वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया से एक प्रतिनिधि आमंत्रित किया है. यह फैसला लिया गया कि स्टील वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया की ओर से अर्थेन्धु दक्षी सम्मेलन में भाग लेंगे. □

अफ्रीका व लैटिन अमेरिका में संघर्षों पर

बंगलोर में २३ से २५ जुलाई १९८२ को संपन्न सीटू की वर्किंग कमेटी की यह बैठक रंगभेद, जियोनिज्म (यहूदीवाद, व साम्राज्यवाद के खिलाफ अफ्रीका व लैटिन अमेरिका की जनता के मुक्ती संघर्षों के साथ दृढ़ एकजुटता व्यक्त करती है.

साम्राज्यवादियों से समर्थन प्राप्त जातिभेदी दक्षिण अफ्रीका उपनिवेशिक प्रणाली व रंगभेद को बरकरार रखने के लिए दमन बहुत ही तेज कर रहा है और दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया की जनता इसका सामना कर रही है. जनता की मुक्ती सेना को खत्म करने तथा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका की जनता के संगठन को नष्ट करने की कोशिशों में असंख्य जीवन नष्ट कर दिये गये हैं, गांवों को उजाड़ दिया गया है और अस्पतालों व स्कूलों को उड़ा दिया गया है. इस प्रक्रिया में सभी अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्होंने अंगोला पर हमला किया है. समूचे विश्व के जनमत की परवाह न करते हुए अमेरिका व इंग्लैंड के साम्राज्यवादियों ने जातिभेदी निजाम को समर्थन दिया है. इसी तरह अमेरिकी साम्राज्यवादियों के समर्थन के बल पर फिलिस्तीन व लेबनान की जनता पर हमलों को फिलिस्तीनी मुक्ती संगठन (पी एल ओ) के अस्तित्व को खत्म करने के लिए तेज किया जा रहा है.

यह बैठक अफ्रीकी व अरबी जनता के मुक्ती संघर्षों पर साम्राज्यवादियों का समर्थन प्राप्त करके किए जाने वाले हमलों की निंदा करती है और इस साल के शुरू में लुआंडा में संपन्न अफ्रीका-अरब सम्मेलन की भौगोलिक सीमाओं को तय करने और संघर्षों में साम्राज्यवाद विरोधी एकता स्थापित करने की कोशिशों की प्रशंसा करती है.

यह बैठक क्यूबा, निकारागुआ, के खिलाफ हथियार बन्द हमलों को जारी रखने तथा एल-साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरस, हैटी व चिली में मुक्ती संघर्षों का दमन करने के लिए तानाशाही निजामों को आर्थिक व फौजी सहायता देने तथा लैटिन अमेरिका में सीधे हस्तक्षेप करने की अमेरिका की साम्राज्यवादी नीति की कड़ी निंदा करती है. अमेरिकी क्षेत्र में हमलावरों को सघन प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिन्हें निकारागुआ व क्यूबन कोस्ट की सीमाओं पर भेजा जा रहा है और इनका फासीवादी निजामों के माध्यम से देश प्रेमी ताकतों के खिलाफ बर्बर दमन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. यह क्यूबा के समाजवादी राज्य तथा लैटिन अमेरिका व कैरिब्बियन में क्रांतिकारी संघर्षों के खिलाफ अमेरिका की घिनौनी साजिशों की पुष्टि करती है.

यह बैठक अफ्रीका व लैटिन अमेकिा में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों का नेतृत्व करने वाली बहादुर देश प्रेमी ताकतों का अभिनन्दन करती है और राज्य कमेटियों व संबद्ध यूनियनों का अमेरिकी साम्राज्यवादी, यहूदीवादी तथा जातिभेदी साजिशों के खिलाफ आवाज बुलंद करने और इन देशों के मुक्ती संघर्षों के समर्थन में एकजुटता व्यक्त करने का आह्वान करती है. □

इस्राइली हमले पर

बंगलोर में २३ से २५ जुलाई १९८२ को संपन्न सीटू की वर्किंग कमेटी की यह बैठक यहूदीवाद व साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रतिरोध के लिए सबसे अधिक कारगर ताकत, फिलिस्तीनी मुक्ती संगठन (पी एल ओ), को नष्ट करने के लिए लेबनान पर अमेरिकी समर्थन प्राप्त यहूदीवादी इस्राइली हमले की निंदा करती है. पी एल ओ पर हमला अरब दुनिया के समूचे साम्राज्यवाद विरोधी हिस्से पर क्रमिक हमलों का एक भाग है. पिछले साल जून में उन्होंने ईराक के न्यूक्लीयर रिएक्टर पर बमबारी की, बेरूत पर बमबारी करके लेबनान में अपनी हमलावर नीतियां जारी रखीं, और दिसंबर में गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया. मौजूदा बमबारी से न केवल पी एल ओ शक्ति के अनेक साथी मारे गए हैं बल्कि लेबनान के लाखों नागरिक मारे भी गए हैं.

बेरूत से इस्राइली फौजों की वापसी की मांग करते हुए फ्रांस द्वारा सुरक्षा परिषद में पेश किए गए प्रस्ताव पर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के वीटो की यह बैठक निंदा करती है. तेल उत्पादन करने वाले इस पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में अपने स्वार्थों के हित में अमेरिका द्वारा दिए गए इस खुले समर्थन ने इस्राइली आक्रमणकारियों को न केवल लेबनान से इनकी वापसी की मांग करते हुए निर्गुट द्वारा पेश किये गये संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन करने के लिए हौंसला दिया है बल्कि युद्ध विराम का बार बार उल्लंघन करने तथा पी एल ओ से आत्म-समर्पण करने व लेबनान छोड़ने के लिए कहने की हिम्मत दी है. यह फिलिस्तीनियों को उनके अपने राष्ट्र के होने से वंचित करने और लेबनान के दक्षिणी हिस्से को इस्राइल के पिट्ठू राज्य बनाने की उनकी नीतियों के तहत हुआ है. वे इस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि उन्होंने पानी व बिजली की सप्लाई काट दी और भोजन व दवाओं की सप्लाई बन्द करते हुए सभी मांगों को बंद कर दिया.

यह बैठक फिलिस्तीनी मुक्ती संगठन के बहादुर योद्धाओं का अभिनन्दन करती है और उनके जायज संघर्ष के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करती है.

यह बैठक अपनी राज्य कमेटियों व संबद्ध यूनियनों का अभिनन्दन करती है जिन्होंने पी एल ओ के जवानों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की है और उनकी सहायता की है तथा यह उनका आह्वान करती है कि लेबनान से इस्राइली फौजों की वापसी की मांग करते हुए अपनी आवाज बुलंद करें.

यह बैठक भारत सरकार से मांग करती है कि यह निर्गुट व समाजवादी देशों तथा विश्व की शांति-प्रेमी शक्तियों के साथ करीबी सहयोग के साथ कदम उठाएं ताकि जनता का कत्लेआम बन्द करने व कब्जाए गए क्षेत्र से तुरंत निकलने के लिए आक्रमणकारी मजबूर हो जाएं. □

विकसित पूंजीवादी देशों में संघर्षों के साथ एकजुटता पर

बंगलोर में २३ से २५ जुलाई १९८२ को संपन्न सीटू की वर्किंग कमेटी की यह बैठक विकसित पूंजीवादी देशों

के मजदूर वर्ग का अभिनन्दन करती है जो मुद्रास्फीति, वास्तविक वेतन में कमी, बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा में कटौती व ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों के खिलाफ दृढ़ संकल्पी संघर्ष कर रहे हैं.

दो-अंकों की भारी मुद्रास्फीति के साथ इन विकसित पूंजीवादी देशों में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है. ईईसी देशों में जहां बेरोजगारी जुलाई १९८० में ९६ लाख से बढ़कर अब एक करोड़ ५ लाख हो गई, वहां ओईसीडी देशों में यह पिछले साल २ करोड़ ४० लाख से बढ़कर २ करोड़ ८० लाख हो गई. अकेले अमेरिका में बेरोजगारी एक करोड़ ३ लाख हो गई है और मुद्रास्फीति २० प्रतिशत हो गई है. ब्रिटेन में बेरोजगारी ४० लाख हो गई है जो १९३० के संकट के बाद सबसे ज्यादा है. अन्य विकसित देशों में भी ऐसी ही स्थिति है.

इन देशों की शासक पूंजीवादी सरकारों ने आर्थिक स्थिति में बिगड़ाव के परिणामों को कामकाजी जनता के कंधों पर लादने के लिए कोशिशें तेज करदीं और क्लोजर, श्रमिकों को नौकरी से निकालने, हड़तालों पर रोक लगाने व दमन द्वारा ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों पर हमले तेज कर दिये हैं.

यह बैठक मजदूर वर्ग का इन हमलों के खिलाफ अपने प्रतिरोध को तेज करने के लिए अभिनंदन करती है. कठिन संघर्ष हैं और मजदूर संघर्षों में बढ़ता जुझारूपन प्रदर्शित कर रहे हैं. अमेरिका में रीगन प्रशासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा में कटौती करने के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए. पंद्रह हजार वायु नियंत्रकों तथा एक लाख ६० हजार संयुक्त खदान मजदूरों की हड़तालों की ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यानाकर्षण हुआ तथा इनके साथ एकजुटता व्यक्त की गई. इसके बाद वास्तविक वेतनों में कमी तथा बेरोजगारी के खिलाफ अन्य उद्योगों में हड़तालें रीगन प्रशासन को हिला रही हैं. ब्रिटेन में ५ लाख जन सेवा कर्मचारियों ने हड़ताल की. टीयूसी ने काम के अधिकार की मांग करते हुए लिवरपूल से देशव्यापी मार्च आयोजित किया. उसके बाद, मजदूरों की संपूर्ण हड़ताल द्वारा ब्रिटेन में समूची रेलवे व परिवहन प्रणाली ठप्प कर दी गई. इसी तरह, इटली में एक करोड़ औद्योगिक मजदूरों की हड़ताल और उसके बाद १५ लाख खेतीहर मजदूरों की हड़ताल ने, पुर्तगाल में ३ लाख कपड़ा मजदूरों की हड़ताल ने, फ्रांस में सिट्रोइन प्लांटों के १५ हजार मजदूरों की हड़ताल ने, बेल्जियम व स्पेन में धातु व इस्पात मजदूरों की हड़ताल ने, आस्ट्रेलिया में खदान मजदूरों की हड़ताल ने और जापान में मजदूरों के स्प्रिंग संघर्षों ने विकसित पूंजीवादी देशों को हिला दिया है.

यह बैठक पूंजीवादी शासकों द्वारा किए जा रहे बर्बर दमन की निंदा करती है और इन विकसित पूंजीवादी देशों में मजदूर वर्ग के संघर्षों के साथ एकजुटता व्यक्त करती है. □

१९८२ के चुनावों पर

बंगलौर में २३ से २५ जुलाई को संपन्न सीटू की वर्किंग कमेटी की यह बैठक पश्चिम बंगाल के मजदूर वर्ग व जनता का अभिनंदन करती है जिसने वाममोर्चे को दूसरी बार सत्ता में लाने के लिए अपना वोट दिया है. उन्होंने कांग्रेस (आई) व उसके हिमायतियों की चुनाव रोकने की सभी घिनौनी करतूतों को शिकस्त दी है तथा वाममोर्चे को चार-पांचवें के भारी बहुमत से, जिसमें अकेले सी० पी० आई० (एम) को संपूर्ण बहुमत प्राप्त है, फिर से सत्ता में लाकर उनके गलत प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दिया है.

यह बैठक सीटू के उपाध्यक्ष कामरेड ज्योति बसु के नेतृत्व में वाममोर्चा सरकार का अभिनंदन करती है जिसने जनता को दिए गए वायदों को पूरा करते हुए और सरकार को अस्थिर करने की कांग्रेस (आई) की सभी साजिशों का मुकाबला करते हुए पांच साल का पूरा काल सफलतापूर्वक पूरा किया है. दूसरी क्रमिक जीत यह सिद्ध करती है कि वाममोर्चा सरकार पिछले पांच सालों में मेहनतकश जनता के हित में कार्य करती रही है. दलित तबकों के सभी हिस्सों जैसे बंटाईदार व खेतीहर मजदूर और खासतौर से जनजातियों को, अपने सीमित प्रसाधनों में, दी गई सुविधाएं और जनवादी संघर्षों में पुलिस के हस्तक्षेप रोकने तथा एन एस एवएस्मा लागू करने में इंकार करने के कार्य अधिनायकवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष को जबरदस्त बल प्रदान करेंगे व जनवाद के लिए संघर्ष के स्तंभ का कार्य करेंगे.

यह बैठक सीटू की पश्चिम बंगाल कमेटी का अभिनंदन करती है जिसने वाममोर्चे को सत्ता में लाने के लिए भारी तादात में वोट देने के लिए मजदूर वर्ग को सफलता पूर्वक लामबंद किया.

यह बैठक केरल के मजदूर वर्ग व जनता का भी अभिनंदन करती है जिन्होंने कांग्रेस (आई) के नेतृत्व वाले सांप्रदायिक व जातिवादी संगठनों के गठबंधन के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया है. केरल के चुनावों से पता चलता है कि जहां पिछले कुछ सालों में सी पी आई (एम) के नेतृत्व में वामपंथी व जनवादी ताकतों ने अपने आप को काफी मजबूत किया है, वहां कांग्रेस (आई) मजदूर वर्ग व जनवादी जनता से और भी ज्यादा कट गई तथा एक लाख से भी कम वोटों से चुनावी जीत हासिल करने के लिये इसे सांप्रदायिक, जातिवादी व अन्य फूटपरस्त ताकतों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होना पड़ा. यह बैठक जनता को बीजेपी की भूमिका के प्रति सावधान करती है जिसने ६५ उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हुए, जो मात्र अपने कांग्रेसवाद विरोध को प्रदर्शित करने की कोशिश में जनता को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं था, गुप्त रूप से कांग्रेस (आई) का समर्थन किया.

यह बैठक केरल के मजदूर वर्ग को सावधान करती है कि कांग्रेस (आई) के नेतृत्व में इस सरकार का पहला कदम एन एस ए व एस्मा लागू करना जिसे लागू करने से वामपंथी-जनवादी मोर्चे की सरकार ने इंकार कर दिया था, और ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों पर हमले करना होगा. यह जनता को संप्रदाय व जाति के आधार पर विभाजित करने के लिए सबकुछ करेगी. मजदूर वर्ग को स्वयं को एकजुट करना होगा, जनवादी ताकतों को लामबंद करना होगा और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना होगा.

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व लोकसभा की सीटों के लिए चुनाव भी यह बताते हैं कि कांग्रेस (आई) अपने उस प्रभाव को खो चुकी है जो इसके पास १९८० के चुनावों के दौरान था. हारी हुई ओर खड़ी होकर उसने उदंडता के साथ हरियाणा व हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकारें स्थापित करने के लिए हेरा-फेरी की. यह बैठक हरियाणा के राज्यपाल की निंदा करती है जिसने केंद्र की कठपुतली की तरह काम करते हुए भजनलाल को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी जब की इसने इससे पहले लोकदल के विपक्षी नेताओं को अपने बहुमत को शारीरिक तौर पर प्रदर्शित करने के लिए कहा था जिसे वास्तव में प्रदर्शित किया भी गया.

यह बैठक ट्रेड यूनियनों का आह्वान करती हैं कि वे अधिनायकवादी ताकतों के खिलाफ जनप्रिय-प्रतिरोध का आयोजन करने के लिए वामपंथी ताकतों को अपना पूरा समर्थन प्रदान करें.

दमन पर

बंगलौर में २३ से २५ जुलाई को संपन्न सीटू की वर्किंग कमेटी की यह बैठक देश में मजदूर वर्ग के संघर्ष को निर्दयतापूर्वक दबाने के लिए भारत सरकार की निन्दा करती है. इसके खास निशाने सीटू की यूनियनें और कार्यकर्त्ता रहे है.

मजदूरों के विभिन्न हिस्सों ने अपनी न्यायोचित मांगों के लिए लम्बी-लम्बी हड़तालें कीं. हड़तालियों के ऊपर बर्बर प्रतिहिंसा के साथ आक्रमण करके सरकार ने मजदूरों की मांगों के प्रति, चाहे वे कितनी ही न्यायोचित क्यों न हों, अपनी असहनशीलता को बिलकुल साफ कर दिया. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक की शर्तों के अधीन तथा इजारेदारों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितों की रक्षक के रूप में कार्य कर रही सरकार ने पूरे देश में हड़तालियों को मारने पीटने के लिए पुलिस को लगा दिया. प्रशासन के समाज-विरोधी भाड़े के टट्टू मजदूरों को पीटते रहे हैं और पुलिस उनसे सांठ-गांठ करती रही है.

असम के चाय बागान मजदूरों के बोनस-संघर्ष के दौरान सीटू कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ किया गया बर्बर दमन ऐसे तमाम दमन को मात कर देता है. सरकारी मशीनरी ने संघर्ष को दबाने और इंटक यूनियनों को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के साथ बलात्कार किया तथा पुलिस की हिरासत में मजदूरों की हत्यायें की.

उत्तरप्रदेश के श्रम-मंत्री ने सीटू से तब तक बात चीत करने से इंकार कर दिया है जब तक कि सीटू वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को छोड़कर वर्ग सहयोग का सिद्धांत नहीं अपना लेती. उन्होंने कानपुर के लम्बे संघर्षों में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया और संघर्षरत मजदूरों की पिटाई के लिए प्रशासन तथा इंटक यूनियनों की मदद की और निरोधक आदेशों के द्वारा उनपर रोक लगा दी. उनके उपमंत्री ने उत्तर प्रदेश में सीटू को खत्म कर देने की बात खुले आम जनता के बीच कही.

हरियाणा में भजनलाल सरकार ने संघर्षरत मजदूरों पर बार बार हमले किए हैं. प्रतिहिंसा की भावना यहां तक बढ़ गई कि १९ जनवरी की हड़ताल में हिस्सा लेने के लिए हिसार और सोनीपत में हजारों मजदूरों को देश के विधान और कानूनों की जरा भी परवाह न करते हुए नौकरियों से निकाल दिया गया.

बिहार की इन्दिरा कांग्रेस सरकार ने स्वयं अपने ही कर्मचारियों पर देखते ही गोली मार देने का आदेश देकर नंगा आतंक पैदा कर दिया, जो सरकारी वेतन समिति की सिफारिशों को लागू किये जाने से इंकार करने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर कर दिए गये थे. अध्यापकों की हड़ताल में इसने लाखों विद्यार्थियों के भविष्य और अध्ययन की परवाह न करते हुए, अध्यापकों को दम्भपूर्वक सबक सिखाने के लिए पूरे राज्य में सभी विश्वविद्यालयों को बन्द कर दिया. राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों और बिजलीकर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के प्रति उसी तानाशाही पूर्ण रवैय्ये का परिचय दिया. केन्द्र और महाराष्ट्र की सरकारें इंटक यूनियन को संरक्षण देने की हताशापूर्ण कोशिश में बम्बई के कपड़ा मजदूरों तथा अन्य सहायक मजदूरों की लम्बी हड़ताल में मजदूरों की परेशानियों के प्रति बिलकुल शान्त हैं और इस प्रकार मजदूरों को भुखमरी की तरफ तथा सम्पूर्ण उद्योग को पूर्ण बर्बादी की तरफ ढकेल रही हैं.

सरकार ने २३ नवम्बर १९८१ की ऐतिहासिक मजदूर रैली द्वारा दी गई चेतावनी को नोट करने से इंकार कर दिया और ५० हजार मजदूरों को गिरफ्तार करके तथा बहुतों की पुलिस की गोली से हत्या करके १९ जनवरी की हड़ताल को कठोरतापूर्वक दबाने की कोशिश की.

यह बैठक एस्मा और एन० एस० ए० का सामना करते हुए बहादुरीपूर्वक संघर्ष करने के लिए इन मजदूरों को बधाई देती है और अपनी एकता को और भी मजबूत करने, काले विधेयकों को नामंजूर करने तथा अपनी न्यायोचित मांगों और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार के लिए जुझारु संघर्ष छेड़ने के लिए मजदूर वर्ग का आह्वान करती है.

यह बैठक सच्चाई को मद्देनजर रखने के लिए देश के मजदूरों को चेतावनी देती है कि यद्यपि सीटू को निष्ठुर दमन का प्रमुख निशाना बनाया गया है, परन्तु ऐसे भी उदाहरण हैं जब कि अन्य यूनियनों से सम्बन्ध मजदूरों को भी इसी प्रकार के कठोर हमलों का निशाना बनाया गया है. यह लगातार गहराते आर्थिक संकट के द्वारा पैदा किए जा रहे गतिरोध को प्रदर्शित करता है जिसे हल करने में असफल सरकार आंतक फैलाने और मजदूर वर्ग के बढ़ते हुए प्रतिरोध को खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अधिनायकवादी तरीके अपना रही है. इस बैठक की यह पक्की राय है कि मात्र विशाल एकजुट प्रतिरोध ही सरकार को इन नीतियों को बदलने के लिए मजबूर कर सकता है.

अत: यह सभा राज्य कमेटियों तथा सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि वे इन्दिरा कांग्रेस प्रशासन के अधिनायकवादी हमलों का प्रतिरोध करने के लिए संयुक्त आंदोलन के लिए

पहल करें तथा तमाम जनवादी ताकतों को लामबन्द करें और साथ ही साथ अपनी स्वतंत्र गतिविधियों को तेज करें. □

श्रमिक विरोधी काले विधेयकों पर

सीटू की वर्किंग कमेटी की यह बैठक, मजदूर वर्ग विरोधी विधेयक पेश करने के लिए भारत सरकार की निन्दा करती है. संसद के पिछले अधिवेशन में औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक, अस्पताल और अन्य संस्थान (विवाद निपटारा) विधेयक तथा वेतन भुगतान (संशोधन) विधेयक नामक ये चारों विधेयक देश में सम्पूर्ण ट्रेड यूनियन आन्दोलन की एकमत राय की परवाह न करते हुए पेश किए गए. इंटक ने भी इसके खिलाफ अपनी राय चार वर्ष पूर्व तब व्यस्त की थी जब १९७८ में जनता पार्टी की सरकार ने घृणित औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक पेश किया था. यह औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक खेती के काम, अस्पतालों, दवाखानों" शिक्षण व वैज्ञानिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थानों आदि में कार्यरत लाखों मजदूरों को औद्योगिक विवाद कानून के दायरे से बाहर करने की कोशिश करता है, और इस प्रकार उन्हें हड़ताल के अधिकार से वंचित करता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी झांसा देता है.

शिकायतें निपटाने वाली मशीनरी उपलब्ध कराने के धोखे से पेश किया गया यह अस्पताल और अन्य संस्थान (विवाद निपटारा) विधेयक वास्तव में इन सभी मजदूरों को मालिकों की मर्जी के अधीन कर देगा क्योंकि मशीनरी के सभी सदस्यों को मालिकों के द्वारा भुगतान किया जायगा तथा छंटनी को व्यक्तिगत विवाद माना जाएगा.

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक १०० अथवा इससे अधिक मजदूरों वाले प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान में शिकायत निपटारा अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है, और तब तक कोई भी विवाद अध्याय III के तहत अधिकरण में प्रेषित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उक्त अधिकारी उस पर विचार न कर ले. दूसरे शब्दों में तय न किए जाने पर अपनी न्यायसंगत मांगों के लिए आंदोलन करने का मजदूरों का अधिकार छीना जा रहा है. धारा ३६ बी के तहत सरकार को किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान को इस अधिनियम के दायरे से भी इस बहाने से बाहर रखने का अधिकार मिल गया है कि उक्त प्रतिष्ठान में औद्योगिक विवादों की जांच तथा निपटारे के लिए उपयुक्त प्रावधान मौजूद है. विधेयक 'अनुचित श्रम व्यवहार' पर एक नये अध्याय का प्रावधान करता है जो कि यूनियनों तथा मजदूरों पर गैर कानूनी समझी गई हड़ताल में हिस्सा लेने, हड़ताल के दौरान धरना देने, धीमे काम करने और काम के घण्टों के बाद कारखाने के अन्दर बैठने, मालिक अथवा किसी प्रशासनिक कर्मचारी के निवास पर प्रदर्शन करने, जोर जबरदस्ती और हिंसा कहे जा सकने वाले किसी भी कार्य में शामिल होने पर प्रतिबन्ध लगता है. इसके लिए बिना जांच नौकरी से बर्खास्तगी के अतिरिक्त छः माह की कैद और १००० रुपये तक जुर्माने की कठोर सजा का प्रावधान किया गया है.

ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक यूनियन गठित करने के अधिकार एवं मजदूरों के स्वयं अपना नेता चुनने के अधिकार को बदलने की कोशिश करता है. विधेयक के अनुसार किसी भी यूनियन के पंजीकरण के लिए १० प्रतिशत अथवा कम से कम सौ मजदूरों को दर्खास्त देनी होगी तथा कार्यकारिणी में बाहरी लोगों की संख्या ५० प्रतिशत से कम करके २५ प्रतिशत कर दी जायगी. ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को गैरकानूनी हड़ताल में हिस्सा लेने के लिए यूनियनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार दिया जा रहा है. ट्रेड यूनियन विवाद के नाम से एक और अध्याय जोड़ा गया है जिससे किसी भी मजदूर द्वारा विवाद उठाने पर रजिस्ट्रार को मध्यस्थता करने तथा यूनियन के चुने हुए नेता कौन हैं यह निर्णय करने का अधिकार दिया गया है तथा उसके निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती है. यह भी प्रावधान किया गया है कि औद्योगिक विवाद कानून के तहत दण्डित कोई भी व्यक्ति किसी भी यूनियन का पदाधिकारी नहीं हो सकता है.

वेतन भुगतान संशोधन विधेयक सीधे वेतन से ही यूनियन का चन्दा ले लेने को कानून सम्मत बनाने की कोशिश करता है तथा अधिकारियों को मनोरंजन आदि सुविधाओं के लिए वेतन से कुछ धनराशि काट लेने की इजाजत देता है.

निष्कर्ष रूप में ये चारों विधेयक संगठन बनाने, सामूहिक सौदेबाजी एवं हड़ताल के अधिकार को छीनने तथा प्रशासन की दलाल यूनियनों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं. अपने अधिकारों, वेतन और जीवनस्तर की रक्षा के लिए इन विधानों का उल्लंघन करके हड़ताल करने वालों के खिलाफ कठोर दण्डों का विधान बनाया गया है. शिकायतों को निपटाने के बहाने सम्पूर्ण ट्रेड यूनियन आंदोलन को, बातचीत, समझौता वार्ता, मध्यस्थता तथा अधिनिर्णय के कीचड़ में डालने की कोशिश की जा रही है.

यह बैठक इस तथ्य को सामने रखती है कि ये विधेयक ऐसे वक्त पर पेश किये गये हैं जब कि सरकार अपनी औद्योगिक नीति में पहले ही काफी कुछ परिवर्तनों की घोषणा कर चुकी है जो कि इजारेदारों को मजदूरों और जनता की कीमत पर भारी मुनाफा कमाने की ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता देते हैं तथा आत्म-निर्भरता एवं पूरे समाज की भलाई की कीमत पर बहुराष्ट्रीय निगमों को बढ़ावा देते हैं. ये विधेयक ऐसे समय में पेश किये जा रहे हैं जबकि देश गहरे आर्थिक संकट की गिरफत में है और इस संकट से उबरने की असफल कोशिश में भारत सरकार ने विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की दया के सामने पूरी तरह आत्म समर्पण कर दिया है. संसद पर २३ नवंबर को विशाल ऐतिहासिक रैली तथा १९ जनवरी, को देशव्यापी आम हड़ताल के द्वारा दी गई चेतावनी को नजर अन्दाज करके इन विधेयकों का पेश किया जाना यह प्रमाणित करता है कि ये वे कदम हैं जिन्हें विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के आदेशों पर उन्हें सांत्वना देने के लिये उठाये गये हैं और इनका उद्देश्य ट्रेड यूनियन आन्दोलन का गला घोंटना तथा मजदूर वर्ग के बढ़ रहे प्रति-

यह बैठक ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति के आह्वान के प्रति शानदार जवाब देने के लिये देश के मजदूर वर्ग को बधाई देती है और उसका अपनी एकता को और सुरक्षित व मजबूत बनाने तथा संघर्षों को और भी तेज करने का आह्वान करती है जिससे कि सरकार को अपने कदमों पर पुनर्विचार करने, इन विधेयकों को वापस लेने तथा अपनी मजदूर-विरोधी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर किया जा सके.

मजदूर वर्ग को यह अवश्य समझना चाहिये कि ये विधेयक मौजूदा व्यवस्था के संकट को ही दिखाते हैं जिसमें शासक वर्ग अपने भारी मुनाफों को बरकरार रखने के लिये संकट का बोझ मजदूर वर्ग के ऊपर डालने की कोशिश करता है और इन हमलों तथा मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष समाज में परिवर्तन के लिये संघर्ष का अभिन्न हिस्सा है. अत: मजदूर वर्ग को एक लम्बे संघर्ष के लिये तैयार हो जाना चाहिये जिसमें उन्हें अपने वर्ग को एकजुट करते हुए एवं अपने सहयोगियों तथा तमाम जनवादी ताकतों को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ना है. यह बैठक सीटू की राज्य कमेटियों तथा सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि वे जीत को सुनिश्चित बनाने के लिये मजदूर वर्ग को ऐसे ही संघर्ष के लिये तैयार करें. □

औद्योगिक बीमारी पर

सीटू की वर्किंग कमेटी की यह बैठक उद्योगों में बढ़ रही बीमारी की हालत पर गहरी चिंता व्यक्त करती है जो कि दसियों हजार मजदूरों को निर्दयता पूर्वक नौकरियों से बाहर निकालकर तथा उन्हें परिवार सहित भूखों मरने के लिए मजबूर करके उनके जीवन को तबाह कर रही है.

यह बैठक स्पष्ट रूप से कहती है कि कोष का इधर-उधर हटाया जाना, प्रशासन के अन्दरूनी झगड़े, वर्षों से मजदूरों और मशीनरी दोनों का ही तिरस्कार तथा निर्मम शोषण एवं प्रशासन की अयोग्यताएं ही इस दुःखद हालात के लिये जिम्मेदार हैं. इस सब का मूल कारण है सरकार की नीतियां जो पूंजीवाद के विनाश के समय में पूंजीवाद को विकसित करने के इरादे से साधन जुटाने के लिये इजारेदारों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों को खुश करती हैं. इनकी आयात नीति अब सार्वजनिक क्षेत्र की कई इकाइयों को भी नुकसान पहुंचा रही है.

उद्योगपति जो अभी तक की गयी लूट से संतुष्ट नहीं हैं अब फिक्की (ficci) के माध्यम से और रियायतों की मांग करने लगे हैं, जैसे—निवेश छूट को २५ प्रतिशत से बढ़ाकर ४५ प्रतिशत करना, उत्पादन पर २० प्रतिशत तक आबकारी छूट, आधुनिकीकरण के लिये बड़े पैमाने पर सस्ता कर्ज, बैंकों से अंशदान के लिये विवश आधुनिकीकरण पर्चियां जारी करके विशेष कोष की व्यवस्था आदि. मूल्य में कमी के नाम पर एकत्रित किये गये धन को पहले ही दूसरी चीजों में लगाकर अब वे आधुनिकीकरण और कार्यभार बढ़ाने जैसे हमले करने के लिये और कर्ज व राहत चाहते हैं, जो मजदूरों पर काम का बोझ बढ़ाने के अतिरिक्त देश में रोजगार की क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करेंगे.

यह बैठक केंद्र में इंदिरा कांग्रेस सरकार की निंदा करती है जो बीमार उद्योगों को फिर से चालू करने के नाम पर छंटनी वेतन कटौती, आधुनिकीकरण तथा कार्यभार में वृद्धि के द्वारा मजदूरों को दंडित करने की नीति अपना रही है और इस प्रकार अक्षमता, भ्रष्टाचार तथा इजारेदार घरानों के बेईमानीपूर्ण एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहारों को बढ़ावा दे रही है तथा मालिकों को उनके अनावरण और गलत व्यवहारों के लिये दण्डित करने से इंकार करती है. पहले ही अधिग्रहण किये गये बीमार उद्योगों को राष्ट्रीयकरण करने से इंकार करके सरकार ने इन प्रतिष्ठानों का धन बाहर निकाले जाने को जारी रखने की इजाजत दे दी है और वित्तीय संस्थानों के अधिकारीगण भी इससे धन कमा रहे हैं.

यह बैठक सभी ट्रेड यूनियन केंद्रों से लगातार बढ़ रहे हैं. औद्योगिक बीमारी के खतरे के खिलाफ, जिसे अब मजदूरों की कीमत पर हल करने की कोशिश की जा रही है, संघर्ष करने के लिये एकजुट होने की अपील करती है.

महिलाओं पर अत्याचार

सीटू की वर्किंग कमेटी की यह बैठक पूरे देश में दहेज के कारण होने वाली मौतों महिलाओं के साथ बलात्कार और दुर्व्यवहार आदि की खतरनाक वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त करती है.

संसद में गृहमंत्री द्वारा दिये गये जवाब के आधार पर प्राप्त नवीनतम सूचनाओं के अनुसार राजधानी में वर्ष के प्रथम छः महीनों में दहेज के कारण १७ मौतें हुईं जबकि पिछले वर्ष के इसी समय में ११ तथा १९८० के पहले छः महीनों में ६ मौतें हुई थीं. दिल्ली पुलिस ने १९८०-८१ में युवा महिलाओं के तथाकथित आत्महत्याओं के १३७ मामले तथा १०० कत्ल का संदेह वाले मामले दर्ज किये. १९८० में पूरे देश में बहुओं को जलाने के ३९४ मामले हुए जिनमें केवल दर्ज किये गए मामले ही शामिल हैं. मां बाप भी उदासीनता, जो यह जानते हुए भी कि पतियों के परिवार वालों के द्वारा उनकी लड़कियों की उचित देखभाल नहीं होगी, दहेज देते हैं और ऐसे लालची पतियों के साथ अपनी बेटियों की शादी करते हैं, मौजूदा सामाजिक व्यवस्था की सड़न को ही दिखाती है.'

समाचार-पत्रों में प्रकाशित दो वर्ष पूर्व की केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट १९७५-७८ के दौरान महिलाओं के साथ अभद्र-व्यवहारों की संख्या का विस्तृत लेखा-जोखा पेश करती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा जहां पर कि १९७८ में ८२० मामले हुए और वर्ष में ७८७ मामलों के साथ मध्य प्रदेश दूसरे नम्बर पर रहा. उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार १९७८ में बलात्कार की कुल घटनाओं में ४१.२ प्रतिशत मामले उ० प्र० और म० प्र० में हुए. पूरे भारत में घटनाओं की कुल संख्या १९७५ में ३,३७५ थी जो १९७६ में बढ़कर ३,६८०, १९७७ में ३,९२२ तथा १९७८ में ३,८९९ हो गई. गृह मंत्री को संसद में यह स्वीकार करना पड़ा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. इसका

सबसे घृणित तथ्य तो ये है कि कानून की तथाकथित संरक्षक पुलिस अपराधियों को खुला संरक्षण देती है और बहुत से मामलों में तो वे स्वयं भी अपराधी हैं.

उत्तर प्रदेश में २३ अप्रैल १९८२ को बस्ती जिले के सिस्वा गांव में हुई कई महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना ने यह सिद्ध कर दिया है कि सरकार स्वयं पुलिस के द्वारा की जा रही बलात्कार, गांव के गरीबों के घर जलाने व लूटने की घटनाओं को रोक सकने में असफल रही है. यह घटना साफ सार पंचायत चुनावों के सवाल पर हुई जहां कांग्रेस (आई) का उम्मीदवार पराजित हो गया था और इसीलिए अपनी मर्जी से उम्मीदवार को वोट देने वालों के खिलाफ बदले की भावना से यह वीभत्स दमन किया गया. ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

वर्किंग कमेटी बलात्कार और कत्ल की शिकार महिलाओं के सम्मान की रक्षा कर सकने में असफल इन्दिरा कांग्रेस सरकार की निन्दा करती है. एक महिला प्रधान मंत्री के अधीन समस्त नीतिनिदेशक सिद्धान्त तथा सम्वैधानिक गारण्टियां मात्र कागजों तक ही सीमित हैं. सांसदों द्वारा संसद में सिस्वा गांव की घटना को उठाने तथा स्वयं महिलाओं के दिल्ली आने के बाद ही पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कुछ कार्यवाहियां की गईं. संसद में पेश बलात्कार और दहेज सम्बन्धी संशोधन विधेयकों से भी सरकार अपने पैर पीछे हटा रही है.

यह बैठक ३ अगस्त १९८२ को संसद पर मार्च के आह्वान का स्वागत करती है जिसे दिल्ली के विभिन्न महिला संगठनों, छात्रों, नवजवानों तथा ट्रेड यूनियनों की नवगठित दहेज विरोधी समिति ने किया है. कमेटी इस तथ्य को भी नोट करती है कि इन हत्याओं के खिलाफ अभियान में ज्यादा से ज्यादा जनता हिस्सा ले रही है जिसकी शुरुवात दिल्ली तथा उसके आस पास हो चुकी है.

वर्किंग कमेटी महिलाओं के इन संघर्षों और मांगों का समर्थन करती है और तमाम राज्यों में अपनी सम्बद्ध यूनियनों को को निर्देश देती है कि वे महिला संगठनों द्वारा इन सवालों पर आयोजित कार्रवाइयों का समर्थन करें. वर्किंग कमेटी मजदूर वर्ग और जनता को चेतावनी देती है कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग निहित स्वार्थों के द्वारा ट्रेड यूनियन और जनवादी संघर्षों को दबाने के लिए वर्गीय हथियार के रूप में किया जा रहा है जो हांसी, हरियाणा और सिस्वा, उत्तर प्रदेश, की घटनाओं से साफ है. अतः ट्रेड यूनियनों को चाहिए कि महिलाओं के साथ हो रहे इन अत्याचारों के खिलाफ जनचेतना को उभारने का काम अपने हाथों में लें क्योंकि महिलाएं जनवादी आन्दोलन का हिस्सा हैं : महिलाएं जो हमारी आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, उनके साथ हो रहे असम्मान के खिलाफ मजदूर वर्ग को उनके साथ मिलकर लड़ना चाहिए. □

फूटपरस्त शक्तियों के खिलाफ

वर्किंग कमेटी की यह बैठक देश के विभिन्न हिस्सों में फूटपरस्त ताकतों के नेतृत्व में चल रहे आन्दोलनों की वृद्धि पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं. असम में तीन वर्षों से चल रहे अलगाववादी आन्दोलन का अभी तक कोई हल नहीं निकला है और राज्य की जनता को जनतांत्रिक सरकार से वंचित रखा जा रहा है. त्रिपुरा में त्रिपुरा उपजाति युवा समिति तथा आमरा बंगाली ने अन्ध-राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने की भरपूर कोशिश की और इसमें असफल होने पर अब उन जनवादी ताकतों के खिलाफ कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले कर रहे हैं जो आदिवासियों तथा और लोगों के बीच सौहार्द बनाए रखने में लगे हुए हैं. पंजाब में अलग से खालिस्तान की मांग उठाई जा चुकी है और अन्ध-साम्प्रदायिक ताकतें पंजाबी भाषी सिखों और हिन्दुओं को बांटने के लिए मन्दिरों और गुरुद्वारों को दूषित करके साम्प्रदायिक भावना भड़काने में लगी हुई हैं. जहां एक तरफ आर. एस. एस. हिन्दु राष्ट्र का नारा देकर हिन्दु सम्मेलनों के माध्यम से साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहा है वहां दूसरी तरफ जमाते इस्लामी के नेतृत्व में मुस्लिम तत्ववादियों ने जम्मू-कश्मीर साम्प्रदायिक लाइन पर अपनी कारगुजारियों को तेज कर दिया है और देश की एकता की रक्षा करने वाली जनवादी ताकतों पर सबसे घृणित हमले शुरू कर दिए हैं. चर्च का एक हिस्सा आदिवासियों को बाकी पूरे देश से अलग करने के लिए अभियान में तेजी के साथ लगा हुआ है. यह विश्वास करने के लिए प्रत्येक कारण मौजूद हैं कि यह सब देश की उस अखण्डता और एकता को खण्डित करने के लिए घृणित साजिशों का ही एक हिस्सा है जो पिछली शताब्दी में बहुत सारी कुर्बानियों के द्वारा पैदा की गई थी. असम आंदोलन के पीछे अमेरिकी साम्राज्यवाद का हाथ स्पष्ट रूप से देखा गया है.

यह बैठक इन घृणित ताकतों के खिलाफ हस्तक्षेप करने तथा दृढ़ कदम उठाने में असफल केन्द्र की कांग्रेस (आई) सरकार की निन्दा करती है. दूसरी तरफ सरकार अपने संकीर्ण दलीय हितों के लिए उनके साथ बातचीत करती रही है और इन ताकतों के साथ समझौते करती रही है जब कि वामपंथी जनवादी शक्तियां कातिलाना हमले के बावजूद इन काली ताकतों के खिलाफ संघर्ष करती रही हैं. यह सरकार वामपंथी जनवादी ताकतों को सुरक्षा प्रदान करने में कतई असफल रही है जो कि राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही हैं.

यह बैठक सीटू तथा उन सभी वामपंथी जनवादी ताकतों को बधाई देती है जो तमाम कायरतापूर्ण हमलों का सामना करते हुए कीमती जान की कीमत पर राष्ट्रीय अखण्डता और देश की एकता की रक्षा कर रहे हैं. बैठक इन राक्षसी शक्तियों के हाथों अपनी जान कुरबान करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है.

यह बैठक मजदूर वर्ग को सावधान करती है कि वह यह महसुस करे कि मौजूदा पूंजीवादी सामन्ती सरकार राष्ट्रीय एकता की रक्षा सफलतापूर्वक नहीं कर सकती है और इससे देश की स्वतन्त्रता को ही खतरा पैदा हो गया है. मजदूर वर्ग को

शेष पृष्ठ ३८ पर

सीटू के सेक्रेटेरियट की बैठक

सीटू के सेक्रेटेरियट की बैठक ८ अगस्त को नई दिल्ली में संपन्न हुई. इसमें वर्किंग कमेटी के फैसलों के मुताबिक उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई.

राजस्थान सीटू का पुनर्गठन

वर्किंग कमेटी के फैसले के मुताबिक सेक्रेटेरियट ने सीटू की राजस्थान राज्य कमेटी का पुनर्गठन किया. राज्य कमेटी के ४१ सदस्य हैं और का० कृष्णकांत वर्मा, अध्यक्ष; का० दुर्गादास शिराली, महासचिव; का० हेतराम बेनिवाल, कोषाध्यक्ष, और का० भंवरलाल बापना इसके संयुक्त सचिव हैं. राज्य कमेटी की पूरी सूचि इस प्रकार है :

सीटू की पुनर्गठित राजस्थान राज्य कमेटी पदाधिकारी

१. का० कृष्ण कांत वर्मा	: अध्यक्ष
२. का० दुर्गादास शिराली	: महासचिव
३. का० हेतराम बेनिवाल	: कोषाध्यक्ष
३. का० भंवरलाल बापना	: संयुक्त सचिव

सदस्य

का० पूर्णानंद व्यास, का० इकबाल सिंह परिहर, का० प्रहलाद कुमार, का० टीकम सिंह, का० धनराज शर्मा, का० ए० खान, का० रवीन्द्र शुक्ल, का० बानू बेन, का० पी. सी. पांडे, का० शिवचरण पांडे, का० द्वारकेश जैन, का० इब्राहीम, का० गोविंद गुप्ता, का० रामनारायण, का० रामनायण भटनागर, का० बुला राम, का० लेखराज गांधी, का० आयलदास, का० जानकी बाई, का० मोहम्मद हकीम कुरेशी, का० मांगीलाल भाटी, का० श्याम लाल, का० किशोरसिंह, का० शेराराम, का० आर. के. स्वामी, का० राम कुमार, का० हरेकृष्ण शर्मा, का० गनेश बेरवाल, का० विशंभर सहाय, का० मांगीलाल, का० चीतर लाल नागर, का० प्रभुलाल श्रीमाली, का० राधारमण गौड़, का० योगेशचंद्र, का० पी. के. पांडे, का० धर्म पाल, का० श्री चंद्र.

राज्य कमेटी का पुनर्गठन करते समय सेक्रेटेरियट ने यह सैद्धांतिक स्थिति अपनाई कि जिन व्यक्तियों को चुनावों में मजदूरों ने अस्वीकार कर दिया है उनकी जगह चुने हुए व्यक्तियों को रखा जाए. लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया है कि सीटू से संबद्ध सभी प्रमुख यूनियनों का प्रतिनिधित्व राज्य कमेटी में हो. इस नई पुनर्गठित राज्य कमेटी को निर्देश दिया गया है कि यह जितनी जल्दी हो सके, सीटू केंद्र के मार्गदर्शन में सीटू की राजस्थान राज्य कमेटी का राज्य सम्मेलन आयोजित करे.

इसलिए सेक्रेटेरियट यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि कोई भी यूनियन या व्यक्ति जो वर्किंग कमेटी व सेक्रेटेरियट के फसले का उल्लंघन करता है कि और स्वयं को उस संदिग्ध संस्था के साथ संबंधित करता है जो सीटू की राजस्थान राज्य कमेटी के नाम से हाथरोई, अजमेर रोड, से कार्य कर रही है या इस द्वारा बुलाए गए सम्मेलन में भाग लेता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें यूनियन को असंबद्ध करना भी शामिल है.

शांति व एकजुटता दिवस

'शांति व एकजुटता दिवस' मनाए जाने के संबंध में उठाए गए कदमों पर सेक्रेटेरियट ने विचार किया और यह फैसला किया कि राज्य कमेटियों को इस संबंध में की गई तैयारियों की रिपोर्ट भेजने के लिए कहा जाए.

ट्रेड यूनियनों की कनफेडरेशन

सेक्रेटेरियट ने इस बात को नोट किया कि वर्किंग कमेटी में दोहराए गए 'ट्रेड यूनियनों की कनफेडरेशन' बनाने के प्रस्ताव ने कुछ रूचि पैदा की है और इसके विषय में स्पष्टीकरण मांगते हुए कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं. 'कनफेडरेशन' की रचना व कार्य प्रणाली के विषय में ठोस प्रस्तावों पर विचार किया गया. ठोस प्रस्तावों को जल्दी ही अंतिम रूप देने का फैसला किया गया.

राष्ट्रीय अभियान समिति के आगामी कार्यक्रम

वर्किंग कमेटी द्वारा लिए गए जायजे के मध्येनजर रखते हुए सेक्रेटेरियट ने फैसला किया कि श्रम विरोधी चार काले विधेयकों के खिलाफ, जो जैसा कि लग रहा है संसद के इस अधिवेशन में पारित हो जाएंगे, अभियान आंदोलन के लगातार कार्यक्रम के लिए सीटू प्रस्ताव रखेगी. यात्राकार्यक्रम का भी सुझाव दिया जाएगा. सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों का एक सम्मेलन बुलाने का भी सुझाव है ताकि वेतन को उत्पादकता से जोड़ने की कोशिश को शिकस्त दी जा सके.

ट्रेड यूनियन स्कूल

सेक्रेटेरियट ने इस तथ्य को नोट किया कि कई राज्य कमेटियों ने ट्रेड यूनियन स्कूल आयोजित कराने की इच्छा व्यक्त की है. सेक्रेटेरियट ने ग्रांट-इन-एड योजना के तहत आयोजित पिछले कार्यक्रमों के अनुभव की समीक्षा की और यह इस नतीजे पर पहुंचा कि भविष्य में ये स्कूल हम स्वयं ही आयोजित करेंगे. स्कूलों के लिए समय-सारिणी बनाई जानी चाहिए व इसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए.

भारतीय श्रम सम्मेलन के लिए कार्यसूचि

भारतीय श्रम सम्मेलन के लिये प्रस्तावित कार्यसूचि पर सेक्रेटेरियट ने विचार किया और इस को अंतिम रूप दिया. यह इस प्रकार है: (१) एस्मा, एन एस ए व चार काले विधेयकों की वापसी, (२) तालाबंदी, क्लोजर, व बीमार औद्योगिक प्रतिष्ठान, (३) वेतन नीति, (४) महिलाओं के लिए सुरक्षात्मक कानूनों की असफलता, (५) पी. एफ. व ई. एस. आई. कानूनों में संशोधन, (६) बेरोजगारी, (७) स्वचालन, (८) ठेका व बंधुआ श्रम.

(शेष पृष्ठ ३८ पर)

बंगाल हस्तशिल्प में सौंदर्य ही सौंदर्य

मस्तिष्कहीन मशीनों के उत्पादन से भिन्न, बंगाल हस्तशिल्प समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा, शिल्पकारिता और दैनिक उपयोग का संमिश्रण है.

पलंग की चादर, पर्दों का कपड़ा, दरियां, चटाई, थैले, लैंप, ट्रे और अन्य बहुत सी-रंगीन वस्तुएं—हर चीज में कोई गलती नहीं, आनंदवाणी, स्पष्टता की तृष्णा, और सजनात्मक संपन्नता.

जब तक आप में बेहतरीन कारीगरी में रूचि है, जब तक आप कुशल शिल्पकारिता के मूल्य की प्रशंसा करना जारी रखते हैं और जब तक आप सौंदर्य से आनंदित होते हैं, तब तक बंगाल हस्तशिल्प आपको दैनिक उपयोग के लिए कलात्मक वस्तुएं भेंट करता रहेगा.

मंजुषा (पश्चिम बंगाल हस्तशिल्प विकास निगम), लिंडसे स्ट्रीट, कलकत्ता, और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्गम-स्थानों पर आपका स्वागत है.

बंगाल हस्तशिल्प
कीमती, अमूल्य

पश्चिम बंगाल सरकार **कुटीर व लघु उद्योग निदेशालय**

पश्चिम बंगाल में

द्वितीय वाम-मोर्चा सरकार

पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार ने भारी बहुमत से १९ मई का चुनाव जीतकर और स्वयं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्ण बहुमत को बरकरार रखते हुए, पुनः दूसरी बार वाममोर्चा सरकार का गठन करके भारत के पूंजीवादी भूस्वामी राज्य में एक नये इतिहास का सृजन किया है.

कांग्रेस (आई) और अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतों ने सरकार के खिलाफ घिनौना अभियान चला रखा था तथा उन्होंने चुनाव रोकने की भरपूर कोशिशें की. परन्तु अन्तिम फैसला जनता के पक्ष में ही रहा. पश्चिम बंगाल की जनता ने वाममोर्चा सरकार को अपना कार्य आगे बढ़ाने का निर्देश देकर तथा पश्चिम बंगाल को इन्दिरा गांधी की अधिनायकवादी सरकार के खिलाफ लोकतन्त्र के दुर्ग के रूप में बनाने का पूरा पूरा समर्थन करते हुए बिना किसी गलती के अपना स्पष्ट अन्तिम फैसला दे दिया.

वाममोर्चा सरकार ने पहले पांच वर्षों में ३६ सूत्री कार्यक्रम के अधिकतर हिस्से को जनता के सहयोग से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से पूरा करके बहुत कुछ किया है. मरनासन्न खेतिहर अर्थव्यवस्था में नई जान डाली गई. खेत मजदूर, बटाईदार, तथा किसान आदि सभी गांव की जनता आपसी सम्बन्धों की नई भावना से अनुप्राणित हुई. कारखानों और कार्यालयों के मजदूरों, अध्यापकों, मध्यवित्त श्रेणी के लोग, सरकारी कर्मचारी और पुलिस तथा मेहनतकश जनता के अन्य हिस्सों ने अपने संघर्षों के लिए मान्यता हासिल की. शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में नए मूल्यों का प्रादुर्भाव हुआ. लोकतन्त्र को पंचायतों और नगरपालिकाओं तक फैला दिया गया. पिछड़े लोगों, अपंगों तथा असहाय लोगों के लिए सकारात्मक योजनाएं बनाई गईं. मजदूरों के समस्त संघर्षों में काम के अधिकार को निदेशक सिद्धान्त बनाया गया. वाममोर्चा सरकार ने एन एस ए और एस्मा को पूर्णरुपेण नामंजूर करते हुए केन्द्र सरकार से जनता के पक्ष में मांग की और अपने आपको जनता के संघर्षों का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया.

जनादेश प्राप्त करने के बाद द्वितीय वाममोर्चा सरकार १८ सूत्री माँग के लिए केन्द्र के खिलाफ जनता के संघर्षों को नेतृत्व देने के लिये तैयार है. उन मांगों में से कुछ इस प्रकार हैं :—

समस्त राज्यों को और अधिक विधायी और कार्यकारी शक्ति देने तथा राज्यों को उनके स्वयं के कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए साधनों की बेहतर उपलब्धि कराने की दृष्टि से केन्द्र राज्य सम्बन्धों का पुनर्गठन. केन्द्र के अधिकार मुद्रा व्यवस्था, योजना एवं आर्थिक समन्वय, विदेश नीति और विदेशी व्यापार, प्रतिरक्षा तथा संचार आदि कुछ विषयों तक ही सीमित हों. पंचवर्षीय योजनाओं को अन्तिम रूप देने तथा साधन इकट्ठा करने सहित तमाम आर्थिक फैसलों में राज्यों की ओर अधिक प्रभावकारी हिस्सेदारी हो. भारतीय संविधान की धारा ३५६ का खात्मा जिसके तहत केन्द्र सरकार चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन थोपने में सफल होती है. विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की की मंजूरी की जरूरत उन्हें रोके न रख सके, ऐसी गारण्टी की जाय.

संसद की शक्ति को खत्म करने तथा इसके सम्मान को घटाने की प्रक्रिया को रोका जाय. विदेशी आक्रमण की स्थिति को छोड़कर आपातकाल लागू करने के समस्त सम्वैधानिक प्रावधानों को खत्म किया जाय. एस्मा और एन०एस०ए० जैसे दमनकारी कानूनों को समाप्त किया जाय.

जूट जैसे कुछ बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाय. भारत सरकार तथा भारतीय चाय निगम बड़े पैमाने पर चाय उद्योग की मदद करें तथा मालिकों द्वारा बर्बाद किये जा रहे चाय बागानों के पुनरुद्धार तथा ग्रहण करने के लिये राज्य सरकार एवं पश्चिम बंगाल चाय विकास निगम के साथ सहयोग करें. केन्द्र द्वारा औद्योगिक लाइसेंस दिए जायं तथा पश्चिम बंगाल में नई बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिये केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं से पूंजी लगाने का प्रावधान किया जाय जिसमें हाल्दिया पेट्रो-केमिकल कंप्लेक्स, साल्ट लेक इलेक्ट्रानिक कम्प्लेक्स, फरक्का में एक औद्योगिक केन्द्र तथा आसनसोल रानीगंज क्षेत्र में कोयला पर आधारित उद्योग आदि भी शामिल हैं. राज्य में बन्द पड़ी और बीमार औद्योगिक इकाइयों को फिर से चालू करने तथा भविष्य में भी तालाबन्दी और बन्दी को रोकने के लिए सार्थक कदम उठाये जायं. औद्योगिक लाइसेंस देने तथा नियमन और उन्नयन के मामलों में राज्यों को और अधिक अधिकार देने के लिये आई०डी० व आर० ऐक्ट में सुधार किये जायं.

पूरे राज्य में उचित और निश्चित कीमतों पर १४ आवश्यक वस्तुओं की लगातार आपूर्ति की गारण्टी की जाय जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली उचित रूप से काम कर सके तथा कीमतों पर नियन्त्रण रखा जा सके. इन १४ वस्तुओं में प्रमुख अनाज, दालें, नमक, चीनी, कपड़ा, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, डीजल तेल, माचिस, कागज तथा साबुन आदि शामिल हैं.

किसी भी वर्ष में घाटे के बजट की जिम्मेदारी केन्द्र तथा राज्य दोनों ही सरकारें समान रूप से निभाएं.

पश्चिम बंगाल राज्य के स्वयं अपना एक व्यावसायिक बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव को केन्द्र की स्वीकृति.

राज्य सरकारों के राजस्व में होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति केन्द्र द्वारा की जाय क्योंकि सम्वैधानिक प्रावधानों के कारण राज्य सरकारें विदेश निर्यात किये जा रहे सामानों पर विक्रय कर लगाने के लिये अधिकृत नहीं हैं. संविधान के अनुच्छेद २६९ के प्रावधानों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाय जिसके

तहत केन्द्र द्वारा कुछ निश्चित शुल्क और कर लगाने तथा एकत्रित करने परन्तु सम्पूर्ण धनराशि को राज्यों को दे देने का प्रावधान है, केन्द्र सरकार इसे सुनिश्चित बनाये.

सभी कृषि उत्पादों, खासकर जूट जैसी नकदी फसलों के लिये उचित कीमत दी जाय जिससे कि उत्पादक के हितों की रक्षा की जा सके तथा औने-पौने दामों पर बिक्री को रोका जा सके.

कुटीर तथा लघु उद्योगों को यथोचित कानूनी संरक्षण.

संसद तथा अन्य निर्वाचित संस्थाओं के लिये मताधिकार की उम्र को घटाकर १८ वर्ष किया जाय.

शिक्षा एवं शहरी विकास के लिये प्लान और नान-प्लान वित्तीय बंटवारे में वृद्धि की जाय. शिक्षा को समवर्ती-सूची से हटाकर राज्य-सूची में शामिल किया जाय.

ट्रेड यूनियन कार्रवाइयों की रक्षा करने तथा सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों सहित समस्त मजदूर वर्ग के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित बनाने के लिये ट्रेड यूनियन तथा औद्योगिक सम्बन्ध कानूनों में संशोधन किये जायं.

सबके लिए रोजगार, सामाजिक बीमा, तथा बेरोजगारों के लिये बेरोजगारी भत्ते का प्रबन्ध किया जाय.

नेपाली भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाय तथा पश्चिम बंगाल के राज्य ढांचे के अन्तर्गत ही पहाड़ी क्षेत्रों को सार्थक क्षेत्रीय स्वायत्तता देने के लिये सम्विधान में संशोधन किया जाय.

शरणार्थी पुनर्वास कमेटी की सिफारिश के अनुसार शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये यथोचित धन दिया जाय. सरकार द्वारा बसाई गई और निजी बस्तियों के भूखण्डधारियों को अधिकार एवं अधिकार-पत्र प्रदान करने के लिये प्रबन्ध किया जाय.

इसके साथ-साथ सरकार प्रथम पांच वर्षों की उपलब्धियों को आधार बनाते हुए अपने मौजूदा ३४ सूत्री कार्यक्रम को लागू करने की कोशिश करेगी जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

राज्य की प्रशासनिक मशीनरी में ढांचे अथवा कार्यप्रणाली सम्बन्धी सुधारों की सिफारिश करने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त प्रशासनिक सुधार समिति का गठन. पुलिस कानूनों में सुधार.

सामूहिक कार्यप्रणाली, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और कार्यक्षमता, फाइलों का शीघ्रता से निपटारा, कार्यक्रमों में ठीक समय से हाजिरी तथा जन शिकायतों के प्रति बेहतर ध्यान आदि में सुधार करने के लिए कर्मचारियों के संगठनों के सहयोग से ठोस कदमों का उठाया जाना. भ्रष्टाचार की शिकायतों के खिलाफ ज्यादा तेजी और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सतर्कता में सुधार.

विकास कार्रवाइयों के संदर्भ में प्रशासन का विकेन्द्रीकरण, राज्य और जिला स्तर पर सरकारी विभागों में समन्वय के लिए संस्थागत प्रबन्ध में सुधार तथा विकास कार्य में चुने गये प्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार.

बिजली पैदा एवं वितरित करने के लिए चालू परियोजनाओं को निश्चित समय के अन्दर पूरा करना, कोलाघाट. राम्मम तथा टीटागढ़ परियोजनाओं को पूरा करके १९८६-८७ तक राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता को ३,५०० मेगावाट तक बढ़ाना, नई परियोजनाओं के लिए कार्यक्रम तैयार करना तथा उसके लिए केन्द्रीय अधिकारियों की सहमति हासिल करना, तथा विद्युत विभाग में प्रशासन का पुनर्गठन.

सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था के सुधार में आड़े आने वाली बाधाओं को खत्म करने के लिए नये कानूनी और प्रशासनिक कदम. निजी चालकों पर, उनसे उचित और अबाध सेवाओं के लिए; प्रभावकारी नियंत्रण के लिए कदम. अन्तर्देशीय जल यातायात व्यवस्था में सुधार.

पहाड़ी एवं अधिसंख्यक आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों में विकास के लिए देहाती इलाकों में ज्यादा और बेहतर सड़कें तथा नये औद्योगिक विकास केंद्र.

गरीबों के लिए मुफ्त आवासीय भूमि, सस्ती आवास योजना.

औद्योगिक उन्नति के लिए पहाड़ी क्षेत्रों व आदिवासी तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में चौतरफा मूल संरचनात्मक विकास पर विशेष जोर.

परिस्थिति एवं पर्यावरण की सुरक्षा तथा जल प्रदूषण एवं उन्मूलन की रोकथाम के लिए नीतिनिर्धारण.

औद्योगिक क्षेत्र

केन्द्र सरकार की मदद से राज्य की बन्द और बीमार औद्योगिक इकाइयों को फिर से चालू करना और पुनर्निर्माण करना. उद्योगों के उचित संचालन और बीमारी की रोकथाम के लिए वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए मशीनरी का गठन.

जिले में नये उद्योगों के लिए कार्यक्रम को प्राथमिकता.राज्य सरकार की कार्रवाइयों को कारगार बनाना. उद्योगों के विकास और विस्तार के लिए बाधाओं को दूर करने में मदद करना. कुटीर और लघु उद्योगों को वित्तीय, कच्चा माल तथा बाजार की सुविधा आदि के लिए मदद और विशेष ध्यान देने के काम को जारी रखना.

देहाती क्षेत्र

भूमिसुधार कानूनों तथा यथोचित भूमि-अभिलेख के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करना, राज्य की अर्थव्यवस्था के हित में शहरों और गांवों में जमीन के सही उपयोग के लिए कदम, न्यूनतम वेतन एवं आगे भी कर्ज से राहत दिलाने की गारण्टी सहित बर्गादारों और खेतमजदूरों के आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए और भी कानूनी और प्रशासनिक कदम.

कृषि उत्पादन के लिए उचित कीमत पर लागत वस्तुओं की उपलब्धि को सुनिश्चित करना किसानों को बेहतर उत्पादन के लिए नये प्रलोभन देना, कृषि उत्पादकों के लिए उचित कीमत और बेहतर बाजार तथा भण्डारण की सुविधा, विशेष रूप से सूखाग्रस्त इलाकों में नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना, प्याज उत्पादकों, पान एवं अंगूर की खेती करनेवालों तथा मछुआरों की मदद के लिए विशेष कदम.

जूट उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए राज्य जूट निगम

का गठन, नये जूट उत्पादनों तथा ऐसे उत्पादनों के व्यापारिक उत्पादन के लिए शोधकार्य को बढ़ावा देना.

कुल खेतिहर पैदावार की जमीन के ५० प्रतिशत को सिंचाई के अंतर्गत ले आना जिसका मात्र ३० प्रतिशत हिस्सा ही अभी सिंचाई के अंतर्गत है. बाढ़ नियंत्रण व सिंचाई परियोजनाओं को अधिक प्राथमिकता.

पंचायतें, नगरपालिकाएं और सहकारी समितियां

जनता की प्रभावकारी हिस्सेदारी तथा सरकारी एजेंसियों के साथ बेहतर सामंजस्य को सुनिश्चित बनाने के लिए पंचायत राज कानूनों और इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा.

अपनी विकास सम्बन्धी कार्रवाइयों को अपने आस पास की जरुरतों से जोड़ने के लिए नगरपालिकाओं को प्रोत्साहित करना, गरीब हिस्सों की जरुरतों को प्राथमिकता देने के लिए सी एम डी ए की कार्रवाइयों को जारी रखना, सभी नगरपालिकाओं में बेहतर जलपूर्ति कार्यक्रम बनाना.

सहकारिताओं को निहित स्वार्थों के चंगुल से मुक्त करना. तथा उन्हें लघु उद्योगों खेतिहर कार्रवाइयों, मत्स्य पालन और दुग्धशाला आदि के विकास के काम में सार्थक तरीके से लगाना.

शिक्षा, सामुदायिक और सामाजिक सेवाएं

६ से १४ वर्ष को आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा, मुफ्त दोपहर का खाना, युनिफार्म, चिकित्सा सुविधा तथा पुस्तकें के बांटने को सुनिश्चित बनाना. आदिवासी और हरिजन छात्रों के लिए मुफ्त छात्रावास सुविधा एवं आर्थिक सहायता सहित अधिक प्रलोभन, प्राढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सहित अशिक्षा को समाप्त करने के कार्यक्रम को प्राथमिकता देना. आम आदमी के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराना.

उच्च शिक्षा संस्थाओं के प्रशासन के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को जारी रखना, यथोचित शैक्षिक वातावरण बनाए रखने के लिए छात्रों, अध्यापकों, कर्मचारियों तथा संरक्षकों के सहयोग से कदम उठाना.

उच्चतम स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा देने की नीति का पालन तथा इसके लिए सुविधाएं जुटाना, इस संदर्भ में उर्दू नेपाली तथा संथाली भाषाओं को प्रोत्साहित करना, माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य अंग्रेजी शिक्षा तथा भाषा,शिक्षण के तरीके में सुधार को यथोचित महत्व देना.

राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा जनता के लिए उपलब्ध कराना तथा चिकित्सालयों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा को सुनिश्चित बनाना, सही तरीके से कार्य तथा अनुशासन को सुनिश्चित बनाना, समस्त देहाती स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए डाक्टर तथा अन्य चिकित्सा कर्मचारी, अस्पतालों में दवाओं और भोजन के लिए अधिक धन तथा उनकी किस्म और उपलब्धता को निश्चित करने के लिए कदम, अस्पतालों के आहातों में समाज-विरोधी तत्वों की गतिविधियों का खात्मा, ग्रामीण जल आपूर्ति पर जोर देने को जारी रखना, स्वैच्छिक परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा बच्चों की देखभाल सम्बन्धी योजनाओं को समर्थन देना.

बेरोजगारी भत्ता योजना को जारी रखना, खेतिहर मजदूरों तथा गांव के अन्य गरीबों के लिए कम काम के महीनों में काम देने के लिए प्रयास करना. सरकारी एवं अर्धसरकारी विभागों में सेवायोजन केन्द्रों के माध्यम से भर्ती को कड़ाई से लागू करना तथा निजी सेवायोजकों को इसी नीति पर चलने के लिए तैयार करना. सरकारी विभागों में सभी खाली जगहों को भरना तथा इसके लिए बेरोजगारी भत्ता पाने वालों को प्राथमिकता देना, सरकारी नौकरियों में प्रार्थना शुल्क का खात्मा.

पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय

हरिजनों एवं आदिवासियों के आर्थिक विकास के लिए, उनके लिए रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाएं जुटाने पर विशेष बल के साथ, योजनाओं को सख्ती से लागू करना.

पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पश्चिम बंगाल के अन्तर्गत ही स्वायत्तता हासिल करने के लिए कदम और एक वैधानिक अधिकारी के अधीन पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए जोरदार कार्यक्रम.

भाषा और संस्कृति

राज्य की समृद्ध विरासत एवं जनता की भावनाओं को प्रतिबिम्बित करने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा, संस्कृति के क्षेत्र में पतनशील प्रवृत्तियों के खिलाफ अभियान, जनसाधारण के लिए कम खर्ची के भ्रमण को बढ़ावा.

मजदूर वर्ग

मजदूर वर्ग एवं मेहनतकश जनता के जायज एवं लोकतांत्रिक आंदोलनों को समर्थन, औद्योगिक विवादों के शीघ्र निपटारे तथा मजदूरों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए औद्योगिक सम्बन्ध कानूनों में और भी संशोधन.

न्यूनतम वेतन कानून को लागू करने तथा मालिकों को इसके प्रावधानों के अनुसार बाध्य करने के लिए कानूनी और प्रशासनिक कदम, राज्य श्रम सलाहकार परिषद के कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के दायरे को विस्तृत करना तथा इसकी कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाना.

आवश्यक वस्तुएं

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे एवं सार्थकता को विस्तृत बनाना, राशन व्यवस्था के माध्यम से आवश्यक खाद्य सामग्री की आपूर्ति को सुनिश्चित बनाना, आवश्यक वस्तुओं में राज्य-व्यापार को विस्तृत किया जाना, आवश्यक वस्तुओं के यातायात एवं भण्डारण में बाधाओं का खात्मा, जखीरेबाजों और चोरबाजारियों के खिलाफ मिलीजुली प्रशासनिक और जनकार्यवाहियों की शुरुआत.

सरकार ने उचित गम्भीरता के साथ कार्यक्रम के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है.

फिर भी वाममोर्चा सरकार की विरोधी ताकतें भी सक्रिय हैं. वाममोर्चा सरकार किसी भी प्रकार के दम्भपूर्ण आत्मसंतोष से पीड़ित नहीं है. अपने वादों को पूरा करने के लिए इसे अभी भी एक लम्बा रास्ता पार करना है, और सरकार यह जानती है कि इन्दिरा कांग्रेसी ठगों के नेतृत्व में प्रतिक्रियावादी ताकतें जनता के आदेश को उलट देने की अपनी कोशिशों को तेज करेंगी. यह केवल जनता के संघर्ष और उनका सहयोग ही है जिस के माध्यम से द्वितीय वाममोर्चा सरकार को आगे बढ़ना है. □

१९८२ में त्रिपुरा

कार्यक्रमों का नियोजन एवं कार्यान्वयन ब्लाक पंचायत समिति एवं गांव पंचायत जैसी निम्नतम स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है.

भूमिकर की माफी तथा बटाईदारों के अधिकारों की स्थापना के लिए कानूनी संरक्षण की घोषणा के साथ छोटे किसानों में अपने भाग्य निर्माण की नई आशा जगी है.

स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना, अपनी मातभाषा को राज्य की दूसरी भाषा के रूप में मान्यता, सरकारी नौकरी में कोटे की यथोचित सुरक्षा के साथ त्रिपुरा के आदिवासियों ने समाज में अपना सम्मानजनक स्थान हासिल कर लिया है.

बढ़े हुए दर से वेतन लागू होने, बहुत से कल्याणकारी उपाय करने तथा जीवन की न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धि के साथ त्रिपुरा के मेहनतकशों ने अपने आपको पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय साबित कर दिखाया है.

बारहवीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा लाग करने, प्राथमिक छात्रों के लिए दोपहर का खाना देने, वजीफों की दर बढ़ाने एवं अन्य सुविधाएं देनेके साथ ही शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों को संख्या काफी बढ़ गई है.

त्रिपुरा में वाममोर्चा सरकार हर तरह के शोषण से मुक्त एकताबद्ध लोकतांत्रिक तथा आत्मनिर्भर समाज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है.

—सूचना, संस्कृति एवं पर्यटन निदेशालय—

त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रसारित.

त्रिपुरा प्रगति के पथ पर

तीस वर्षों से कांग्रेस सरकार की "नियोजित अर्थव्यवस्था" तथा इस संदर्भ में उठाए गए अन्य सभी कदमों ने वास्तव में अमीरों और गरीबों तथा ज्यादा विकसित और अविकसित राज्यों/क्षेत्रों के बीच की खाई को बढ़ाने का ही काम किया है. यहां तक कि तेज रफ्तार से उन्नति और गरीबी हटाने आदि के आश्वासनों से युक्त आपात्तकाल के दौर ने २० सूत्री आर्थिक कार्यक्रम ने भी देश के इस पिछड़े इलाकों पर कोई प्रभाव नहीं डाला. त्रिपुरा पहले राजाओं-महाराजाओं का राज्य रहा हैं और मुख्य रूप से खेती पर आधारित बाँझ सामन्ती अर्थव्यवस्था इसे उत्तराधिकार के रूप में मिली है जहां जनसंख्या बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी की रेखा के नीचे संघर्ष कर रहा है. ऐसे पिछड़े राज्य में इस सबको घोर उपेक्षा और हर क्षेत्र में लूट खसोट के कारण स्थायित्व प्रदान किया जा रहा है.

निम्नांकित कारणों से त्रिपुरा की समस्यायें काफी गम्भीर हैः—(क) यहां की जनता का अच्छा खासा प्रतिशत तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का है (लगभग ७० प्रतिशत) (ख) ज्यादातर आदिवासी जनता झूम खेती पर निर्भर करती है. (ग) यह एक खेतिहर राज्य है परन्तु प्रकृति के सहारे ही निर्भर करता है.

शरणार्थियों के पुनर्वास की नाम मात्र भी व्यवस्था नहीं की गई और उनका कोई आर्थिक आधार नहीं है. आदिवासियों को परम्परागत जीवन की तरफ पुनर्वासित करने के लिए कोई भी नियोजित प्रयास नहीं किया गया.

सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त रोजगार की और कोई सुविधा न होने के कारण देहाती तथा पढ़े-लिखे बेरोजगारों की समस्या वर्षों से एक गम्भीर समस्या रही है.

लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, यथोचित संचार व्यवस्था का अभाव, सभी आवश्यक सामग्रियों की बहुत अधिक कीमतें आदि ऐसी समस्यायें हैं जिन्हें हल किया जा सकता है, फिर भी लगभग ३० वर्षों से इधर कोई ध्यान नहीं दिया गया.

फिर भी राज्य में चाय बागान, बागवानी, कृषि, रबर की खेती, कागज मिल के लिए बाँस-जूट मिल, मत्स्यपालन, भूमिगत तेल/गैस की खोज तथा स्थानीय हस्तकला और हैंडलूम आदि की काफी सम्भावनाएं थी.

इन क्षेत्रों की पूर्ण उपेक्षा अथवा उचित देखभाल के अभाव के कारण गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है. यह ध्यान देने योग्य है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों का प्रतिशत जोकि १९६९-७० में ६३.२ प्रतिशत था, १९७३-७४ में बढ़कर ८३.८ प्रतिशत हो गया.

ऐसे क्षेत्रों की उपेक्षा तथा वहां की समस्याओं की उचित देखभाल न होने के कारण बहुत सी समस्यायें पैदा होती हैं और कुछ तो पृथकतावादी प्रवृत्तियों को जन्म देती हैं जैसे कि हम अपने देश के कुछ हिस्सों में देख रहे हैं.

त्रिपुरा की वाममोर्चा सरकार ने इन सब बाधाओं के खिलाफ आगे बढने की चुनौती को स्वीकार किया है.

परिवारों का पुनर्वास

जून १९८० में त्रिपुरा की वाममोर्चा सरकार को उन परिवारों को फिर से बसाने का काम हाथ में लेना पड़ा जो कि विदेशी ताकतों के सहयोग से अलगाववादी शक्तियों द्वारा फैलाये गये दंगों से प्रभावित हुए थे.

दो बातों में विशेष रूप से ध्यान देना था, (क) सुरक्षा और (ख) जीविका. पहला काम गांवों में सुरक्षा दलों के पहरों तथा गश्तों का इन्तजाम करके किया गया. जिसके समन्वय का काम जिला मजिस्ट्रेटों ने किया जोकि स्वयं तमाम सुरक्षा दलों के प्रतिनिधियों की बैठकें करके उस मंच के माध्यम से राहत कार्य का निरीक्षण भी कर रहे थे. दूसरे काम को कृषि और उद्योग निगमों के माध्यम से आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम शुरू करके अंजाम दिया गया.

एक महत्वपूर्ण रणनीति थी संक्रमण कैम्पों का निर्माण जिस ने बहुत से परिवारों को आसानी से अपने गांव वापस जाने में काफी मदद की. कई स्थानों पर बनाए गए इन संक्रमण कैम्पों में ५०,००० लोगों के लिए रहने की जगहें थी. साधारण आवासीय अनुदान के अतिरिक्त लोगों को उनके मकानों के पुनर्निर्माण के लिये कैम्पों में प्रयोग किये गये बाँस तथा अन्य सामान भी ले जाने की इजाजत दे दी गई. इससे परिवारों की मदद के साथ ही साथ कैम्पों को उजाड़ने में भी मदद मिली. इन कैम्पों की सर्वप्रमुख सुविधा यह थी कि लोग कैम्पों में रहते हुए भी अपने मकानों का निर्माण कर सकते थे. दूसरी समस्या जिसका अपने गांव लौटने पर लोगों को सामना करना पड़ा वह जीविका और जिन्दा रहने की समस्या थी क्योंकि उनमें से बहुतों ने अपने खेतों को जोता बोया नहीं था· खेती शुरू करने के लिये लोगों को उचित मात्रा में खेती की जरूरियात की चीजें मुफ्त में दी गई तथा इसके अतिरिक्त कैम्पों से जाने पर विभिन्न इलाकों की जरूरत के मुताबिक कुछ दिनों तक घर चलाने के लिये छः हफ्ते तक का राशन भी दिया गया. हस्तकला तथा हैंडलूम आदि व्यवसायों को शुरू करने के लिये उद्योग विभाग के द्वारा आवश्यक मदद भी की गई.

गिरे हुए मकानों को फिर से बनाने के लिये अभी तक २१,७०० परिवारों को (२००० रु० प्रति परिवार) मदद की जा चुकी है तथा चल सम्पत्ति की हानि के लिये ३६,००० परिवारों को (२५०/-प्रति परिवार) मदद की गई है. ४६,५०० परिवारों को २५० प्रति हैक्टर प्रति परिवार तक कृषि के लिये जरूरी सामान (खाद, बीज, छोटे कृषि औजार, जमीन जोतने के लिये मदद) दिये गये. २५७० परिवारों को पशु, मुर्गियां और सुअरें मुफ्त अथवा कम कीमत पर दी गई. पानी इकट्ठा करने के लिये ११८ बाँधों के निर्माण का कार्य शुरू किया गया तथा ३९०

प्रभावित मछुआरों को नायलान के धागे देकर मदद दी गई. उद्योग विभाग ने १३००० परिवारों को रेशम उत्पादन हस्तकला, बुनाई और अन्य खादी व ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिये नकद अथवा सामानों के रूप में मदद दी. पुस्तकें मुफ्त में उपलब्ध कराई गईं तथा अनाथों, अविवाहित महिलाओं तथा बूढ़े और अशक्त लोगों के लिये विशेष कार्यक्रम बनाये गये. अनाथ बच्चों के पालनपोषण की जिम्मेदारी लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिये ६० रुपये-प्रति बच्चे की दर से भत्ता प्रदान किया गया. घायल होने के कारण शारीरिक रूप से अपंग लोगों की देखभाल करने के लिये विशेष प्रबन्ध किये गये. प्रभावित परिवारों को उनके गांव लौटने के बाद उन्हें रोजगार देने के लिये ८,८०० परियोजनाओं की शुरुआत की गई. दंगों में एक या दो सदस्यों को खोने वाले १००० परिवारों को आवश्यक योग्यता में छूट के साथ सरकारी नौकरी दी गई. जनता की मदद और सहयोग तथा प्रभावित परिवारों की परिपक्वता के कारण ही फिर से सामान्य हालत पैदा करना सम्भव हो सका.

कृषिकार्य में प्रगति

कार्यनीति

कृषि-उत्पादन के लिये नीति वास्तव में निम्न उपायों पर बनाई गई है:—

(i) **सिंचित क्षेत्र में वृद्धि**:—१९७९-८० तक मात्र ३४००० हैक्टेयर जमीन सिंचित थी जिसमें से मात्र ४००० हैक्टेयर के लिये स्थायी और सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था थी. वर्ष १९८४-८५ तक ५०,००० हैक्टेयर जमीन को सिंचाई के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है जिसमें से १३००० हैक्टेयर जमीन सुनिश्चित, स्थाई सिंचाई व्यवस्था के अन्तर्गत होगी.

(ii) **एच वाई वी के अन्तर्गत इलाकों में वृद्धि**:—धान की खेती वाले क्षेत्र का केवल ५०% हिस्सा एच वाई वी के अंतर्गत था और १९८४-८५ के अन्त तक इसे ६७.६% तक बढ़ा देने का प्रस्ताव है.

(iii) **फसल की पैदावार में वृद्धि**:—यह कुछ सन्तोष की बात है कि त्रिपुरा ने १६५% फसल की पैदावार हासिल कर ली है. कोशिश जारी रखनी होगी और वास्तव में और तेज करनी होगी जिससे कि इसे और भी बढ़ाया जा सके. कृषि विभाग कम समय की फसलों को चालू और प्रचारित करता रहेगा जिससे यहां तक कि तीन फसलें भी हासिल की जा सकें. यह कोशिश न केवल घाटियों की नीची जमीन पर बल्कि पहाड़ी क्षेत्र के समतल टीलों पर भी की जायगी.

(iv) **बीज उत्पादन क्षमता में विकास**:—समय से और उचित मात्रा में प्रमाणित बीज इकट्ठा करना किसी भी कृषि विकास कार्यक्रम के लिये महत्वपूर्ण है.

(v) **बागवानी और प्लांटेशन फसलों में प्रगति**:—जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा खेती के योग्य नहीं है परन्तु बागवानी और प्लांटेशन फसलों के लिये बहुत ही योग्य है. बागवानी फसलों तथा कृषि कार्य के लिये अच्छी किस्में निर्धारित करने के लिए अभी तक बागवानी-शोध-केंद्र की स्थापना नागीचेरा में की गई है जिससे कि बागवानी और प्लांटेशन फसलों के विकास का कार्य वैज्ञानिक तरीकों से तेजी के साथ किया जा सके.

(vi) **भण्डारण और गोदाम**:—कृषि विभाग दक्षिण में बिखोरा में एक शीतालय (Cold Storage) का निर्माण कर रहा है. केंद्रीय गोदाम निगम और सहकारिता विभाग दोनों ही अगरतला में एक शीतालय का निर्माण कराएंगे. त्रिपुरा के लिए खाद की आपूर्ति करने वाला हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन भी खाद में बफर स्टाक के रख-रखाव के लिए अगरतला में एक गोदाम बनाने पर विचार कर रहा है.

सहकारिता आंदोलन में प्रगति

जनवरी १९७८ में वाममोर्चा सरकार के गठन से अब तक के चार वर्षों में त्रिपुरा में सहकारिता आन्दोलन ने जोरदार प्रगति की है. इन वर्षों में सहकारिता संगठनों को केवल राज्य के दूर दराज के कोने-कोने तक ही नहीं पहुंचाया है बल्कि इसमें कुछ ऐसे गुणात्मक परिवर्तन भी किए गये हैं जिससे कि वे सचमुच में सहकारिता संगठन कहे जा सकते हैं और गांव की गरीब जनता पूंजीवादी व्यवस्था के भद्दे और दमनात्मक आर्थिक शोषण के चंगुल से अपने आपको मुक्त कराने में मदद के लिए इन संगठनों की तरफ आशा और विश्वास के साथ देख सकती है. शोषण के खिलाफ कमजोर जनता की ढाल तथा कौम के कमजोर हिस्सों की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण आधार के रूप में सहकारिता आन्दोलन को विकसित किया जा रहा है.

कर्ज के क्षेत्र में इस आन्दोलन की प्रमुख कोशिश जनता के कमजोर हिस्सों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहकारी कर्जदायी संस्थाओं को तेज करने तथा इनके संगठन को और मजबूत बनाने की रही है. इन लक्ष्यों को हासिल करने के इरादे से आदिवासी इलाकों में कमजोर हिस्सों के पक्ष में स्पष्ट घोषणा के साथ लार्ज साइज मल्टीपरपज सोसायटीज (LAMPS) की स्थापना का कार्य यथोचित गम्भीरता के साथ लागू किया जा चुका है. अभी तक आदिवासी अर्धमैदानी इलाकों में ऐसी ५३ सोसायटियों का गठन किया जा चुका है तथा दो और प्रस्तावित सोसायटियों का गठन हो रहा है. इससे राज्य में कुल ५५ लैम्प्स (LAMPS) के गठन का लक्ष्य पूरा हो जायगा. ये संगठन आदिवासी क्षेत्रों की जनता की बहुत कुछ सेवाएं कर रही हैं। इन सेवाओं में कृषि उत्पादन, कर्ज उपभोग ग्रहण, उपभोग सामग्रियों की पूर्ति, कृषि उत्पादनों तथा वन्य उत्पादनों का विक्रय आदि शामिल हैं.

उद्योगों का विकास

औद्योगीकरण के लिए कदम, औद्योगिक संस्थाओं और उत्पादन व प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से उद्योग के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुवात करके उठाए गये.

एक बार औद्योगिक परिस्थितियां पैदा हो जाने के बाद कारखाना खोलने वालों को आकर्षित करने तथा औद्योगिक विकास के लिए निवेश उपलब्ध कराने के लिए सरकार स्वयं बहुत सारे उदार प्रलोभनों के साथ आगे आई.

की राशि इन प्रलोभनों के लिए आरक्षित कर दी गई है.

१९७७-७८ में पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या ९५६ थी जो १९७८-७९ में १२२१ हो गई और अब इनकी संख्या १६७८ तक पहुंच चुकी है. इस दौरान त्रिपुरा में प्लाईवुड निर्माण, प्रिस्ट्रेस्ड पोल्स, पी वी सी पाइप, दवा निर्माण तथा ईंट भट्टा आदि से सम्बन्धित कई औद्योगिक इकाइयां निजी क्षेत्र में स्थापित हो चुकी हैं. राज्य में महत्वपूर्ण लघु औद्योगिक इकाइयों में मुख्यतः अल्युमिनियम के बर्तन, फल सुरक्षा और डिब्बाबन्दी, इमारती लकड़ी के लिए ऐस्को (ASCO) प्लांट, चमड़ा, चर्मशोधन तथा जूते बनाना, आर० सी० सी० स्पन पाइप, रसायन, मिट्टी के खपड़े, रो-रोकिंग मिल, आटा मिल, स्टील फर्नीचर, करी पावडर, काटन जिनिंग, स्प्रे पेंटिंग, ब्लाक प्रोसेसिंग, रंगाई, छाते का हत्था, टायर रिट्रेडिंग, मोमबत्ती बनाना, तेल मिल, आरा मिल, स्याही, जिल्दसाजी, स्टील के बक्से तथा छापाखाना आदि हैं.

त्रिपुरा में राज्य व केन्द्र सरकारों तथा वित्तीय संस्थानों से छोटे प्रतिष्ठानों को प्रलोभन, प्रशिक्षण, वित्तीय मदद तथा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करा करके लघु और अत्यन्त छोटे उद्योगों की उन्नति और विकास की देख भाल करने के लिए जिला औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना की गई है. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान डी आइ सी योजना तथा राज्य की मदद के तहत ३५९ इकाइयों को १८.३८ लाख रुपयों का कर्ज दिया जा चुका है. वर्ष १९८०-८१ के दौरान ८१ इकाइयों को इन योजनाओं के तहत कर्ज दिए गये.

औद्योगिक क्षेत्र

इस समय अरुन्धुतीनगर, बधार घाट, कुमार घाट, उदयपुर और धरम नगर में पांच औद्योगिक क्षेत्र चल रहे हैं. इन केन्द्रों कुल कारखानों की संख्या ६० है जिनमें से ५९ आवंटित हो चुके हैं और बधारघाट में एक शेड का आवंटन बाकी है. वर्ष १९८०-८१ में इन उद्योगों का कुल उत्पादन ९.९५ लाख रुपयों के बराबर रहा त्रिपुरा के अन्य इलाकों में और भी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है. सदर, धरम नगर, कोवाई और बेलोनिया के उप मण्डलों में इस उद्देश्य के लिए स्थान का चयन किया जा चुका है. इन नये केन्द्रों का विकास पुनर्गठित टी आई डी सी के द्वारा किया जायगा.

इस समय रेशम उत्पादन के काम में ४,००० लोग लगे हुए हैं जबकि १९७७ में केवल दो हजार ही थे. आशा है कि निकट भविष्य में इस उद्योग में करीब १२,००० लोग काम करेंगे.

हैंडलूम

हैंडलूम त्रिपुरा का सबसे बड़ा उद्योग है और बुनाई तो अनिवार्य रूप से आदिवासी घरेलू उद्योग है. मौजूदा समय में गैर आदिवासी लोग इस उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. त्रिपुरा के हथकरघा बुनकरों ने वर्ष १९७८-७९ में २१८ लाख कीमत का कपड़ा पैदा किया जो कि वर्ष १९७९-८० में बढ़कर ६३६ लाख रुपये हो गया तथा इस समय यह १० करोड़ से भी आगे निकल चुका है. हथकरघा उद्योग के विकास कार्यक्रम में धागे के आवागमन खर्च पर आर्थिक सहायता, हथकरघा उत्पादनों की बिक्री पर छूट, करघे और अन्य उपकरण खरीदने के लिए बुनकरों की सहकारिताओं तथा व्यक्तिगत बुनकरों को अनुदान, गृह निर्माण के लिए शतप्रतिशत अनुदान, धागे की आपूर्ति के लिए ७५ प्रतिशत अनुदान, उत्पादनों के यातायात खर्च पर ५० प्रतिशत आर्थिक सहायता आदि शामिल हैं। उस योजना के अन्तर्गत लाभ उठाने वालों में ४४१२ मछुवारे जिन्हें जाल के लिए नायलान के धागे दिये गये. और लगभग ४,००० बुनकर शामिल हैं जिन्हें वर्कशेड के लिए तथा करघा और धागे के रूप में मदद दी गई. त्रिपुरा के विभिन्न हिस्सों में ९ मार्गदर्शक केन्द्र हथकरघा बुनकरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं.

सामाजिक कल्याण

त्रिपुरा में संगठित समाज-कल्याण कार्यक्रमों को मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है.

(i) **सामाजिक तौर पर कम सुविधा प्राप्त समूहों के लिए कार्यक्रम** :—अनाथों, विधवाओं, अविवाहित माताओं, नैतिक खतरे में पड़ी महिलाओं, वयोवृद्ध और अशक्तों के लिए संस्थागत कार्यक्रम इसे समूह के अन्तर्गत आते हैं.

(ii) **विकलांगों के लिए कार्यक्रम** :—बहरों और अन्धों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए विशेष आवासीय संस्थाएं, विकलांगों, बहरों और अन्धों के लिए छात्रवृत्ति इस समूह में आते हैं.

(iii) **आर्थिक तौर पर कम सुविधा प्राप्त समूहों के कार्यक्रम** :—असहाय बच्चों तथा असहाय महिलाओं के लिए संस्थागत कार्य क्रम इस समूह में आते है.

(iv) **सामाजिक तौर पर असमायोजित समूह** :—पेशेवर भिखारियों तथा अपराधी बच्चों के कल्याण के लिए प्रारम्भिक कार्य इस श्रेणी में आते हैं.

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

वृद्धावस्था पेंशन योजना

त्रिपुरा में १९७८ में वाममोर्चा मंत्रिमण्डल के गठन के साथ ही वृद्धावस्था पेंशन योजना पर विचार किया गया तथा ८० वर्ष और इससे ऊपर आयु वर्ग के उन लोगों को, जिनकी वार्षिक आय तमाम साधनों से ४,००० रुपये से अधिक नहीं है और जो किसी भी तरह का कार्य नहीं कर सकते हैं, १९७९-८० से १० रुपये मासिक की दर से पेंशन शुरू कर दी गई है.

अंधों और विकलांगों के लिए मासिक पेंशन योजना

इस योजना के अन्तर्गत १८ वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के अंधों और विकलांगों को, जिन्हें कोई अन्य पेंशन नहीं मिलती है तथा किसी भी तरह से जीविका कमा सकने में असमर्थ हैं, ३० रुपया मासिक पेंशन देने पर विचार किया जा रहा है.

विधवा पेंशन योजना

समाज कल्याण निदेशालय ने असहाय विधवाओं को आर्थिक मदद देने के लिये एक योजना चालू करने के लिये सरकार को कहा है. वाममोर्चा सरकार इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है.

स्कूली शिक्षा

मातृभाषा में शिक्षा

मौजूदा सरकार प्रारम्भिक स्तर पर पढ़ाई को आसान बनाने के लिये प्रारम्भिक शिक्षा को मातृभाषा में देने की सोचती है. तदनुसार प्राइमरी स्कूलों में ३० अथवा अधिक आदिवासी छात्र होने पर काकबरोक भाषा में पाठ पढ़ाने की व्यवस्था की जा चुकी है तथा पांचवी कक्षा तक की पाठ्य पुस्तकें बंगला तथा काकबरोक दोनों में उन बच्चों को मुफ्त दी जा रही हैं. ऐसे विद्यालयों में काकबरोक अध्यापकों की भी नियुक्ति की जा चुकी है.

मुफ्त शिक्षा

वाममोर्चा सरकार ने अपनी नीतियों के मुताबिक १२ वीं कक्षा तक समस्त छात्रों के लिये मुफ्त शिक्षा का प्रबन्ध किया है.

अर्धमैदानी आदिवासी इलाकों के लिए शैक्षिक सुविधाएं

राज्य में मैदानी और अर्धमैदानी इलाकों के बीच संस्थागत सुविधाओं के क्षेत्र में काफी अरसे से स्पष्ट अन्तर बरकरार रहा है. मौजूदा सरकार अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले इलाकों में नई संस्थाएं खोलकर इस अन्तर को कम करने के लिए विशेष कोशिश कर रही है.

मौजूदा सरकार अपनी तमाम शैक्षिक गतिविधियों को इस तरीके से चला रही है जिससे कि समाज के सुविधा प्राप्त और वंचित हिस्सों के बीच बहुत दिनों से चले आ रहे सुविधा संबंधी अन्तर को धीरे धीरे कम किया जा सके तथा जल्दी से जल्दी समाज के कमजोर हिस्सों तक शिक्षा का प्रसार किया जा सके.

आदिवासी कल्याण

वाममोर्चा सरकार ठीक ही यह दावा कर सकती है कि उसने वर्षों से वंचित और तिरस्कृत त्रिपुरा की आदिवासी जनता के प्रति अपने वादों को पूरा कर दिखाया है. जिला परिषद से अलग आदिवासियों के जीवन को उन्नत बनाने के लिये उठाये गये किसी भी कदम को देखने से वे अपने आप ही सच्चाई का बयान करेंगे.

मजदूर वर्ग के समर्थन में

जनवाद के झंडे को बुलन्द रखने के लिये वाममोर्चा सरकार ने सत्ता सम्भालते ही सभी राजनैतिक बन्दियों को रिहा कर दिया और उनके खिलाफ मामलों को वापस कर लिया. पिछली कांग्रेस सरकार के हाथों उत्पीड़ित समस्त ट्रेड यूनियन नेताओं तथा मजदूरों को पिछले वेतनों के साथ बहाल कर दिया गया.

कांग्रेस शासन के दौरान विभिन्न उद्योगों और कारखानों के मजदूरों के साथ बन्धुवा मजदूरों की तरह व्यवहार किया जाता था तथा मालिकों के द्वारा उनका क्रूर शोषण होता था. सीटू ने इसके खिलाफ एक लम्बा संघर्ष छेड़ा. वाममोर्चा सरकार ने मालिकों को अनुशासित किया और सभी कारखानों को फैक्ट्री ऐक्ट के अन्तर्गत ला दिया तथा समस्त श्रम कानूनों के लाभ मजदूरों तक पहुंचा दिए. इसने विभिन्न दुघटनाओं में प्रभावित मजदूरों को ३०,४०० रुपये का मुआवजा देने के लिये मजबूर कर दिया. इन्कार कर दिया. एस्मो के खिलाफ विरोध करने के लिए वाममोर्चा ने ११ सितम्बर १९८१ को पूरे राज्य में बन्द का आह्वान किया. १९ जनवरी १९८२ को इसने पुनः इन्दिरा प्रशासन की श्रमिक विरोधी तथा अधिनायकवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए पश्चिम बंगाल के वाममोर्चे के साथ पूर्ण बन्द का आयोजन किया और इस प्रकार मार्गदर्शक का काम किया.

ईंट भट्ठा मजदूर

त्रिपुरा की वाममोर्चा सरकार ने हजारों हजार ईंट भट्ठा मजदूरों को गुलामी के बंधन से मुक्त करके एक नये इतिहास की रचना की है. कांग्रेस शासन के दौरान एक किलो आटे के लिए पाशविक परिस्थितियों में १२ घण्टों तक काम करते हुए ये मजदूर बुरी तरह से शोषित होते थे तथा ठेकेदारों के द्वारा इनकी औरतों के साथ बलात्कार भी किया जाता था. रांची से आये मजदूरों का मामला तो अखबार की सुर्खियों में भी आ चुका है. वाममोर्चा सरकार ने उन्हें ९१,३९३ रुपये देने के लिये मालिकों को मजबूर कर दिया. ठेकेदारों तथा निजी मालिकों की इजारेदारी को खत्म करने के लिए इसने स्वयं सरकार के अधीन भट्ठे खोल दिये. दूसरी ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि जब कि अन्य स्थानों पर १,००० ईंटे बनाने का रेट १२ से १५ रुपयों तक ही है, त्रिपुरा में इसे ३६.५० रुपये कर दिया गया, तथा सभी भट्ठा मजदूरों को बोनस का विधान बना दिया गया.

जनता के बीच एकता और सद्भाव की सुरक्षा

प्रगति विरोधी और तोड़-फोड़ की ताकतों के खिलाफ संघर्ष करते हुए त्रिपुरा की वाममोर्चा सरकार ने आदिवासी और गैरआदिवासी जनता के बीच एकता और सद्भाव को सफलतापूर्वक बनाये रखा और जनता के सभी हिस्सों के जनवादी अधिकारों की रक्षा की. सीमित ताकत होने के बावजूद त्रिपुरा सरकार के द्वारा की गई इन्कार न की जा सकने योग्य प्रगति इसलिए सम्भव हो सकी क्योंकि यह सरकार मजदूरों और मेहनतकशों के हितों की रक्षा के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है. सरकार ने जनता से नजदीकी रिश्ते कायम रखा और उनसे सहयोग हासिल किया. □

पढ़ने लायक नवीनतम पुस्तक

जर्मन फासीवाद एवं न्यूरेमबर्ग अदालत

लेखक : शांति शेखर बोस

कीमत : सात रुपये

मिलने का पता :

नैशनल बुक एजेंसी (प्रा०) लि०,
२, सूर्यसेन स्ट्रीट, कलकत्ता-७०००१२

नैशनल बुक सेंटर
१४, अशोक रोड, नई दिल्ली-११०००१

अगरतला नगरपालिका ने नया रूप ग्रहण किया

अगरतला नगरपालिका की जिम्मेदारी २३ वर्षों के लम्बे अन्तराल के बाद २५ जून १९७८ को इसके चुने हुए प्रतिनिधियों को दी गई.

मौजूदा नगरपालिका ने दो क्षेत्रों में कार्य शुरू किया है· एक तरफ इसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विकास के लिए सकारात्मक कदम उठाएं हैं तथा दूसरी तरफ ९० प्रतिशत गरीब जनता के हितों को देखते हुए अगरतला शहर के विकास के लिए व्यापक योजनाएं तैयार की हैं·

नगरपालिका ने ७७·१५ कि० मी० सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत किया है· पानी की आपूर्ति के लिए अल्प एवं दीर्घ कालिक योजनाएं शुरू करने के अतिरिक्त इसने २६.६७ कि० मी० नालियों के निर्माण एवं मरम्मत का काम शुरू कर दिया है· हावड़ा नदी के दक्षिणी किनारे पर ६० लाख गैलन क्षमता के एक जल शोधक संयंत्र का निर्माण शरू किया जाएगा· इसमें १,१३,१२,००० रुपये खर्च होंगे· शहर क्षेत्र के ९ बाजारों में से मुख्य बाजार में दुकानों, गलियों, शौचालयों तथा पेय जल की व्यवस्था की जा चुकी है· दूसरे बाजारों के विकास के लिए प्रबन्ध किया जा रहा है· बटतला में ४० लाख रुपयों की लागत से एक सुपरमार्केट के निर्माण की योजना बनाई गई है·

स्वयं रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगार नवजवानों को २१९ दुकानें दी गई हैं :

शहरी मल एवं जल निकास के लिए सी० एम० डी० ए० के सहयोग से एक महायोजना (Master Plan) तैयार की गई है· लगभग ६० कि० मी० सड़कों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा कुछ मुख्य सड़कों का फिर से नामकरण किया गया है· दुर्गाबारी वीथी के पश्चिम तरफ एक पार्क का निर्माण शुरू किया गया है· चिल्ड्रेंस पार्क का नवीनीकरण लगभग पूरा होने को है.

हरिजन मजदूरों के लिए आधुनिक सुविधा सम्पन्न मकानों का निर्माण शुरू किया जा चुका है· ११२ में से ३२ मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है· मौजदा मकानों का भी नवीकरण किया गया है·

अनाथों को सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठित करने की जिम्मेदारी के साथ १०० सीटों वाले एक अनाथालय का निर्माण किया गया है· शहर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गरीब मोचियों के लिए शेडों का निर्माण किया गया है· बहुत दिनों से विचाराधीन मांग को पूरा करने के लिए टाउन हाल के निर्माण का काम शुरू किया गया है· विकास कार्यक्रमों में समन्वय बनाए रखने के लिए प्रत्येक वार्ड में टाउन कमेटियों का गठन किया गया है·

—अगरतला नगरपालिका द्वारा प्रसारित

वर्किंग कमेटी में पारित प्रस्ताव.........

(पृष्ठ २६ से आगे)

यह भी समझना चाहिए कि जब तक वे आगे बढ़कर नहीं आते और राष्ट्रीय एकता तथा देश की एकता और स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए तमाम मजदूर वर्ग को एकजुट करके तमाम देश भक्त और जनवादी ताकतों को लाम बन्द नहीं करते तब तक इन घृणित साजिशों को पराजित नहीं किया जा सकता है. यह बैठक सभी सीटू यूनियनों का आह्वान करती है कि वे राष्ट्रीय एकता के खिलाफ हमलों का एकजुट होकर सामना करने के लिए अपनी कोशिशों को पुनः दूना कर दें और अपनी भूमिका निभाएं. इस भूमिका को केवल अपने विनाश की कीमत पर ही नजर अन्दाज किया जा सकता है. □

सीटू सेक्रेटेरियट...........

(पृष्ठ ३७ से आगे)

न्यूनतम वेतन के लिये संघर्ष

सेक्रेटेरियट ने दिल्ली राज्य कमेटी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि दिल्ली व आसपास के राज्यों से प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई जाए ताकि बेहतर न्यूनतम वेतन के लिए आंदोलन की संभावना पर विचार किया जा सके. कामरेड पी. राममूर्ति ३ सितंबर को इस बैठक को आयोजित करेंगे.

सीटू का पांचवा सम्मेलन

सेक्रेटेरियट ने पांचवें सम्मेलन की तारीख व स्थान पर विचार किया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला. यह फैसला हुआ कि आगामी बैठक में इस पर निर्णय लिया जायेगा.

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में वेतन समझौता वार्ताएं

सेक्रेटेरियट ने भेल व इस्पात उद्योग में वेतन समझौता वार्ताओं की मौजूदा स्थिति की तथा कोयला उद्योग में जे बी सी सी आई को पुनर्गठित करने के कदम के बारे में रिपोर्ट सुनी. समझौतावार्ताओं में अपनाई जाने वाली नीति पर विचार किया गया.

विद्युत मजदूरों का सम्मेलन

सेक्रेटेरियट ने विद्युत मजदूरों का एक सम्मेलन आयोजित करने के सवाल पर विचार किया और सम्मेलन के लिए उठाए जाने वाले कदमों को तय किया.

सेक्रेटेरियट ने पिछली वर्किंग कमेटी के अध्यक्षीय भाषण, महासचिव की रिपोर्ट व प्रस्तावों को, अगर लागत इसकी इजाजत दे तो, प्रकाशित करने का भी फैसला लिया. □

1. त्रिपुरा अपेक्स वीवर्स कोआप्रेटिव सोसाइटी लिमिटेड का पंजीकरण 19 फरवरी 1979 को हुआ.
2. सदस्यता—52 प्राइमरी वीवर्स सोसाइटी और राज्य सरकार ने भी भाग लिया.
3. त्रिपुरा राज्य के 800 (आठ सौ) बुनकर (वीवर) परिवारों को लाभ.
4. बुनकरों के कमजोर तबकों से हथकर्घा वस्तुओं को खरीदना और उनके लिए बाजार का प्रबन्ध करना.
5. हथकर्घा वस्तुओं की सालाना खरीद (पिछले साल)—35 लाख
   " " " " बिक्री (")—20 लाख

संपर्क करें

त्रिपुरा अपेक्स वीवर्स कोआप्रेटिव सोसाइटी लिमिटेड
त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रायोजित

पंजीकृत कार्यालय : अगरतला, त्रिपुरा
खोदा बागान, अगरतला.

राष्ट्रीय प्रश्न : नवें दशक की चुनौती

औचित्य भट्टाचार्य

भारत में हाल ही में राष्ट्रीय प्रश्न बहुत ही गंभीर हो गया है. कोई जनवादी समाधान न होने की वजह से इस समस्या को प्रतिक्रियावादी व साम्राज्यवादी अपने दुष्ट स्वार्थों के लिए सफलता के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं. उत्तरी-पूर्वी भारत में पृथकतावादी राष्ट्रीयतावादी व जनजाति आंदोलन तथा अन्य स्थानों में खालिस्तान, झारखंड व अन्य आंदोलन बढ़ती गंभीरता की मिसालें हैं.

इन आंदोलनों के प्रमुख इरादे हैं भारत के बहुजाति मजदूर वर्ग को एक दूसरे से लड़ने वाले खेमों में विभाजित करना तथा राष्ट्रीय अखंडता की जड़ को कमजोर करके जनवादी ताकतों की एकता व संघर्षों को तोड़ना. इन आंदोलनों ने हमेशा ही हर तरह से मजदूर वर्ग को नुक्सान पहुंचाया है और शोषक वर्गों की मदद की है. असम में विदेशी विरोधी आंदोलन के दौरान टिम्बर व बंबू निर्यात की गई नाकेबन्दी ने करीब एक लाख मजदूरों को पूरे एक साल के लिए बेरोजगार कर दिया, इसमें २२ हजार प्लाईवुड तथा वेनीर मिलों के मजदूर भी शामिल हैं. इसने मेहनतकशों व समूची जनता के अन्य हिस्सों को भी नुक्सान पहुंचाया. जूट पैदा करने वाले किसानों को एक साल में ५० करोड़ रुपये की हानि हुई सरकारी एजेंसियों के बयानों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के प्रनिष्ठानों, तेल व खाद, को १२.७२ करोड़ रुपये तथा रेलवे को ३० करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ. गांवों को जलाए जाने तथा हजारों को उनके घरों व झोंपड़ियों से उखाड़ देने से हुए नुक्सान का कोई अन्दाजा नहीं है क्योंकि किसी ने भी इसका हिसाब नहीं लगाया.

इसके अलावा असम में, मजदूरों व कर्मचारियों के संगठनों को आंदोलन के नाम में तोड़ दिया गया तथा उनके अखिल भारतीय संबन्धों पर हमले हुए.

इन हालात में मजदूर वर्ग को राष्ट्रीय एकता, मजदूर वर्ग की एकता और जनवादी प्रगति के आधार पर मजदूर के लिए भारत में राष्ट्रीय प्रश्न के समाधान के लिए संघर्ष का नेतृत्व अपने हाथ में ले लेना जरूरी है.

फूटपरस्त ताकतों के पीछे साम्राज्यवादी

हाल ही का अनुभव यह बताता है कि अन्तरराष्ट्रीयतावादी आंदोलन व पृथकतावादी जनजाति आंदोलनों में साम्राज्यवादी एजेंसियां घुसपैठ कर गई हैं. वे आज राष्ट्रीय कट्टरतावादी तथा इस द्वारा फैलाई गई फूट के सभी मामलों में सक्रिय हैं. छटे दशक से ही ये एजेंसियां पूर्वी सीमा के पहाड़ी राज्य में सक्रिय रही हैं. अपने इस परीक्षण केंद्र से उन्होंने पृथकतावादी दृष्टिकोण के किटाणु चारों ओर फैलाए हैं. वे एक बार १९४७ की तरह देश को विभाजित करना चाहती हैं. धार्मिक आवेश को को एक बार फिर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इस बार मुख्य हथियार है कट्टरतावाद तथा जुझारू जनजाति पृथकतावाद.

यह स्पष्ट है कि मजदूर वर्ग राष्ट्रीय समस्या के जनवादी समाधान के लिए संघर्ष में अगुवा भूमिका तब तक नहीं निभा सकता जब तक वह इस शत्रु को शिकस्त न दे दे या जब तक वह इसे नजर अन्दाज करता रहे.

साम्राज्यवाद के खिलाफ इस संघर्ष को सैद्धांतिक स्तर तक पहुंचाना होगा; आर्थिक व राजनीतिक लड़ाइयां समय की पुकार का सामना नहीं कर सक रहीं हैं. यह सोचना गलत होगा कि साम्राज्यवादियों, उनकी एजेंसियों और उनके पिट्ठुओं द्वारा लगातार व तेज प्रचार और उन द्वारा प्रचारित राजनीतिक, सामाजिक विचार व अवधारणाएं भारत में मजदूर वर्ग व अन्यों पर प्रभाव नहीं डालेंगी. समकालीन घटनाएं इस बयान की सच्चाई का सबूत हैं.

असम में, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों व राजनीतिज्ञों के एक हिस्से ने सोचा कि १९४७ में देश के विभाजन के कुछ अच्छे पहलू थे और उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया. (स्पष्टतया वे इस तथ्य से प्रभावित हुए थे कि असम में वे इस द्वारा बड़े बंगला भाषी जिले से मुक्त हो गए थे.) संकीर्ण राष्ट्रीयतावादी भावनाओं से प्रभावित होकर वे पेड़ के लिए तने को समझने में असफल हुए और ब्रिटश साम्राज्यवादियों की इस बड़ी साजिश को समझ न सके. हाल ही में साम्राज्यवादी इस कमजोरी का फायदा उठा सके और उत्तर पूर्वी भारत में अपनी साजिश का जाल बिछा सके. शासक पार्टी की राज्य में आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने में तथा स्थानीय प्रसाधनों को जनता के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिये इस्तेमाल करने में सफलता के खिलाफ असम की जनता के जायज व कड़वे प्रतिरोध को साम्राज्यवादी एजेंसियों द्वारा भारत से इसे अलग करने के लिए रूझान को मजबूत करने में बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया गया है. उनके प्रचार से भ्रमित होकर असम में बहुतेरों ने आंदोलन के दौरान यह महसूस करना शुरू कर दिया कि वे साम्राज्यवादियों की 'गंभीर' मदद से राज्य के प्रसाधनों को विकसित करने में कामयाब हो जाएंगे.

अंग्रेजों ने १९४७ में देश का विभाजन करके नव-स्वतंत्र उपमहाद्वीप के राज्यों के लिए कई गंभीर समस्याएं छोड़ दीं थीं. धार्मिक कट्टरतावाद की भारी वृद्धि, अल्पसंख्यकों पर दमन, लाखों शरणार्थियों का स्थानातरण, और उनके पुनर्वास का कठिन कार्य और भारत-पाक विवाद ये सब विभाजन के जहरीले फल हैं. पूर्वी भारत में खतरनाक आंदोलन के विवाद के पीछे, जिसने बहुजातीय भारत की एकता के केंद्र पर ही भारी चोट पहुंचाई, ये सब समस्याएं एक बार फिर इसका कारण बन गईं. यह आश्चर्य की बात है कि असम में आंदोलनकारियों व उपरोक्त बुद्धिजीवियों ने विभाजन से उत्पन्न समस्याओं के लिए साम्राज्यवादियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि उन्होंने उन दलित

व असहाय शरणार्थियों पर इसका दोष लगाया जिन्हें अपने ही देश में 'विदेशी' करार दे दिया गया और जिनको अपनी ही मातृभूमि में शरण लेनी पड़ी.

भारत के विभाजन के पैंतीस साल बाद भी ऐसे व इसी तरह के अन्य विचारों का जबरदस्त प्रभाव वास्तव में हैरान करने वाला है.

प्रत्येक को यह तथ्य नोट करना चाहिए कि असम आंदोलन के इन सब पहलुओं को मध्येनजर रखते हुए भी, बी जे पी-आर एस एस जैसी व जनतादल के हिस्सों जैसी पार्टियों ने इस आंदोलन को खुलेआम समर्थन दिया है. बिलकुल यही वे पार्टियां व दल हैं जो साम्राज्यवादियों को भारत में साजिश करने के दोष से मुक्त करने के लिए गवाह के रूप में कार्य करते रहे हैं.

कांग्रेस सरकार ने न केवल राजनीतिक आर्थिक मामलों में 'अमेरिकी माडल' अपनाया है बल्कि शिक्षा, कृषि, औद्योगिकरण व प्रशासन में भी इसे अपनाया है. यहां भारत में, अमेरिकी एजेंसियों को विश्वविद्यालयों, पत्रकारिता, व प्रचार व्यापार में घुसपैठ निर्बाध है. वे अनेक चीजों में खुले हाथ से पैसा देते हैं और एक गरीब देश में धनशक्ति एक बड़ी ताकत होती है. इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी सिद्धांतों, विचारों, विचारधाराओं व रहन सहन का 'सामाजिक आधार' भारत में पैदा हो गया है. इस आधार को बहुर्राष्ट्रीय निगमों द्वारा और भी मजबूत बनाया जा रहा है. अपनी प्रकृति के मुताबिक ही यह 'सामाजिक आधार' मजदूरवर्ग का दुश्मन है.

इसलिए, भारत की जनता की एकता, राष्ट्रीय एकता और मजदूर वर्ग एकता के लिए आज कोई भी संघर्ष तब तक शुरू नहीं किया जा सकता जब तक अधिनायकवाद व फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ संघर्ष को साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष के साथ नहीं जोड़ा जाता. मजदूर वर्ग में इस चेतना को तेज करना होगा.

मजदूर वर्ग आंदोलन में, प्रगतिवादी तत्व भी अंध-राष्ट्रीयतावाद के खतरे से पूरी तरह सचेत नहीं लगते हैं. कुछ लोग सोचते हैं कि विभिन्न जातियों को फूटपरस्त ताकतों को नजरअंदाज करते हुये एकजुट रखा जा सकता है, यह एक तरह की बनावटी एकता ही है. इस तरह का विचार काल्पनिक ही है, क्योंकि यह स्पष्ट चेतना को नकारती है जो मजदूर वर्ग एकता की आधारशिला है.

असम आंदोलन—वर्तमान दौर

इस संबंध में, असम में पृथकतावादी आंदोलन के खिलाफ ढाई साल के संघर्ष के अनुभव के अध्ययन से कुछ फल मिल सकता है. इसमें कोई शक नहीं है कि पृथकतावादी आंदोलन ने मजदूर वर्ग आंदोलन व एकता को भारी नुकसान पहुंचाया है.

इस समय इस आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त नहीं है और यह धीरे-धीरे पिट रहा है. तो भी इसका प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है और इसका नेतृत्व अभी छिन्न-भिन्न नहीं हुआ है. अपने अलगाव का सामना करते हुए, आंदोलन के एक हिस्से ने आतंकवादी तरीके से अपने प्रभाव को बरकरार रखने की कोशिश की है. स्पष्ट कारणों की वजह से यह कारगार साबित नहीं हुआ.

दूसरी ओर, इस आंदोलन का विरोध करने के लिये वामपंथी व जनवादी ताकतों में समझ में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है. जनता पार्टी तक भी वामपंथी व जनवादी विपक्ष के अधिनायकवाद विरोधी खेमे में पृथकतावादियों के खिलाफ लड़ने के लिये अस्थायी तौर पर शरीक हुई.

इस सबके परिणामस्वरूप, आंदोलन के नेताओं को अपनी नीति बदलकर नई नीति ढूंढनी पड़ी. इस समय कांग्रेस (आई) ने असम पर गोगोई की अल्पसंख्यक सरकार थोप दी तथा आंदोलनकारियों व नौकरशाही को खुश करने के लिए कई कदम उठाये गए. जैसे ही गोगोई की सरकार का पतन हुआ कांग्रेस (आई) सरकार ने राज्य विधान सभा को भंग कर दिया और तब से चुनाव में जीत के लिए एक हिस्से को पक्ष में करने की कोशिश कर रही है.

ऐसे दृष्टिकोण के कारण, एक साल से भी ज्यादा समय की समझौतावार्ताओं के बावजूद 'विदेशी नागरिकों' के सवाल पर कोई भी समाधान नहीं हो सका. इसके विपरीत इन वार्ताओं के नाम पर आंदोलनकारी टूटे हुए धागों को जोड़ने तथा आंदोलन को पुनः शुरू करने के लिए समय पा सके.

इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में श्रीमती गांधी यह आशा कैसे कर सकीं कि आंदोलनकारी उसी तरह का व्यवहार करेंगे जिस तरह वह चाहती थीं ? साम्राज्यवादियों से मुकाबला किए बिना वह परिणाम की कामना कर रही हैं. इसका कोई परिणाम नहीं होगा; साम्राज्यवादी आंदोलन में घुस चुके हैं और उनकी एजेंसियों ने इस क्षेत्र में अपने पैर जमा लिए हैं. इसको भुलाते हुए कोई भी पृथकतावादी आंदोलन के साथ निबट नहीं सकता है.

'चौथे विश्व' का सिद्धांत

आंदोलन के नेता, जिनके पुराने नारों को अंधाधुंध इस्तेमाल किए जाने से जो कमजोर हो गए थे, अब नए फूटपरस्त नारों की तलाश कर रहे थे. उन्हें पता था कि इसकी कहां खोज की जाए. जल्दी ही उन्होंने सी आई ए के संकलण से नई व दुराशय योजना ले ली. यह 'चौथे विश्व' का सिद्धांत है. इस नवीनतम अवधारण की खोज सी आई ए के अधिकृत शोधकर्ता व जाने-माने अमरीकी पण्डित माइरन वैनर ने की है. इसी व्यक्ति ने 'विदेशी-विरोधी' आंदोलन को बुनियादी नारे दिए थे. इसके अनुसार, तीसरी दुनिया में एक 'चौथा विश्व' है जिसका तीसरी दुनिया के देशों द्वारा शोषण व दमन किया जा रहा है. एशिया व अफ्रीका के इन कुछ देशों में जनजाति व अन्य पिछड़े तात्विक दल तथा अन्य विकसित क्षेत्र हैं—जो श्री वैनर के अनुसार तीसरी दुनिया के अन्दर 'चौथे-विश्व' की परिभाषा में आते हैं. उस के कुछ बुद्धिजीवियों ने इस सिद्धांत पर आधारित होकर भारत में असम व उसके आसपास के जनजाति-क्षेत्रों को 'चौथे विश्व' के क्षेत्र माना है. और उन्होंने इसके उत्थान के लिए भारत के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया है न कि सामंती, पूंजीपति व साम्रा-

[illegible] इस सिद्धांत ने, जादू की तरह, तीसरी दुनिया के देशों के अपने पुराने शासकों व मौजूदा खून चूसने वाले विश्व साम्राज्यवाद के साथ जबरदस्त गम्भीर मतभेदों को ताक पर रख दिया है. इसके साथ-साथ, यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण सिद्धांत लूटमार करने वाले साम्राज्यवादियों के लाभ के लिए तीसरी दुनिया के अन्दर आपसी क्लेशों व विवादों को उकसाता है.

इस सिद्धांत के अनुसार, भारत में जनजाति व पिछड़े हिस्सों व क्षेत्रों के मजदूर वर्ग तथा अन्य मेहनतकशों के एक बड़े तबके को अपनी प्रगति के लिए भारतीय जनता के खिलाफ संघर्ष करना होगा, न कि पूंजीपतियों, जमींदारों व साम्राज्यवादी दमनकारियों के खिलाफ.

इस देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं हैं जो इस संदिग्ध सिद्धांत को मान लेंगे. अनेक बुद्धिजीवियों के न केवल डालर के साथ बल्कि अमेरिकी वजीफों तथा अमेरिकी सिद्धांतों के साथ लगाव की करीब-करीब कोई सीमा नहीं है.

साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों को मजबूत करो

उपरोक्त तथ्य उस खतरनाक स्थिति को बयान करते हैं जिसका भारत में जनवादी ताकतों को सामना करना है और जिस पर इसे जीत हासिल करनी है.

श्रीमती गांधी की शासक पार्टी साम्राज्यवादी साजिश व उन द्वारा रचे जा रहे फूटपरस्त आंदोलन के खिलाफ संघर्ष करने में पहल नहीं करेगी. असम के अनुभव यह बताते हैं कि श्रीमती इंदिरा गाँधी की सरकार, जहाँ यह हमारे देश में साम्राज्यवादी हस्तक्षेप के खिलाफ कभी-कभी शिकायत करती है, वहाँ यह विदेशी हस्तक्षेपकर्ताओं की पहचान करने की परवाह नहीं करती और न ही यह जनता के सामने पृथकतावादियों के असल चेहरे को बेनकाब करती है. यह अमेरिका पर इतनी निर्भर हो गई है कि इसके लिए अमेरिकी साजिशों को बेनकाब करना असंभव है. यह सच है कि वे, भारत सरकार व इसके नेता, पृथकतावादी माँगों व आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जहां तक मजदूर वर्ग व जनवादी ताकतों पर पृथकतावादियों के हमलों का सवाल है, वे वास्तव में पृथकतावादियों के ही साथ हैं. इसके अलावा, उनके पास सच्चा अधिकार और नैतिक ताकत नहीं रही जिससे वे देश की स्वतंत्रता, एकता व अखंडता की रक्षा के लिए जनता को प्रेरित कर सकें.

आज मजदूर वर्ग को यह जिम्मेदारी लेनी है.

असम में सीटू व अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनें, कांग्रेस (आई) की इंटक को छोड़कर, जनवाद व मजदूर वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए तथा मजदूर वर्ग के अंतर्राष्ट्रीयतावादी विभाजन के खिलाफ संघर्ष करती हैं हालांकि उन पर फूटपरस्त ताकतों द्वारा लगातार हमले होते रहे हैं. उन्होंने असम के मजदूर वर्ग आंदोलन को इसके अखिल भारतीय संबंधों से काटने की कोशिश को नाकाम किया. इस लगातार संघर्ष का परिणाम २३ नवंबर के दिल्ली प्रदर्शन व १९ जनवरी की प्रतिरोध हड़ताल में असम की भागीदारी में प्रदर्शित हुआ.

साम्राज्यवादियों व पृथकतावादियों के खिलाफ मजदूर वर्ग का अखिल भारतीय संघर्ष असम के मजदूर वर्ग के मौजूदा संघर्ष को शक्ति प्रदान करेगा.

पृथकतावादियों तथा उनके समुद्रपार के संरक्षकों के खिलाफ संघर्ष करना काफी नहीं है. अविकसित व ध्यानरहित क्षेत्रों में जनता व जनजातियाँ. जो सामंती-पूंजीपति शासक पार्टी द्वारा अपनाई गई नीतियों से उत्पन्न पिछड़ेपन व गरीबी का शिकार हैं, पृथकतावादी प्रचार के जाल में इसलिए फंस गई हैं क्योंकि शासक पार्टी की नीतियों के खतरनाक परिणामों को खत्म करने का मार्ग उन्हें नहीं दीख पड़ रहा था. मजदूर वर्ग को जनता के तबकों के साथ मजबूती से खड़ा होना होगा और उनकी प्रगति व विकास के लिए संघर्ष करना होगा. मजदूर वर्ग को समानता, जातियों व जनजाति दलों के विकास के लिए समान अवसरों व उनके शीघ्र आर्थिक उत्थान के लिए और उनके वास्तविक स्वतंत्रता के अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा. इस संबंध पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा की मौजूदा सरकारों द्वारा उठाए गए सही कदमों के चारों ओर मजदूर वर्ग को लामबंद करना भी इस संघर्ष का एक हिस्सा है.

इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता की एकता व उन्नत्ति के खिलाफ मौजूदा दशक में साम्राज्यवादियों व प्रतिक्रियावादी ताकतों द्वारा फेंकी गई इस चुनौती का मुकाबला मजदूर वर्ग बड़ी ही दृढ़ता के साथ करेगी. □

मध्य प्रदेश

मजदूरों के संघर्ष ने बन्द मिलों को खुलवाया

एक साल से भी ज्यादा समय के मजदूरों को लम्बे व कठिन संघर्ष ने मध्य प्रदेश सरकार को उज्जैन में विनोद व विमल मिलों को ७ जुलाई को खोलने के लिये मजबूर कर दिया. करीब ८ हजार मजदूरों ने, जो अपने परिवारों सहित भुखमरी की स्थिति में पहुंच गये थे, इन मिलों को खुलवाने के लिये लगातार संघर्ष किया. इस प्रक्रिया में उन्हें पुलिस व प्रबन्धकों के गुंडों के द्वारा बर्बर दमन का सामना करना पड़ा. सीटू द्वारा शुरू किये गये इस संघर्ष में सभी ट्रेड यूनियनें शामिल हो गई थीं. सभी विपक्षी राजनीतिक दलों ने 'मिल चलाओ संघर्ष समिति' बनाने में हिस्सा लिया. स्थानीय जनता से मजदूरों को समर्थन मिला. सफल उज्जैन बन्द आयोजित किये गये. समिति के नेताओं व मजदूरों को गिरफ्तार किया गया. लेकिन वे विचलित नहीं हुए. मध्य प्रदेश सरकार ने ७ जुलाई को एक नये प्रबन्धन के तहत मिल खोलने की घोषणा की. मजदूरों को बैचों में लिया जा रहा है. विमल मिल में ११ जुलाई तक ७०० मजदूर काम पर चले गये थे जबकि विनोद मिल में करीब १०० ही काम पर गये थे. काम पर जाने वाले हरेक मजदूर को ५०० रुपये अग्रिम दिया गया. जो अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें १५० रुपये दिये गये हैं. लेकिन फिर भी हर चीज अभी ठीक ठाक नहीं है. मजदूर सचेत हैं और प्रक्रिया को तेज करने के लिये सरकार पर लगातार दबाव डाल रहे हैं. अगर कोई बात हो गई तो मजदूर फिर से भी संघर्ष शुरू करने के लिये तैयार हैं. □

बदनाम प्रेस विधेयक

बिहार राज्य विधान सभा में कांग्रेस (आई) सरकार द्वारा समूचे विपक्ष को नजरअंदाज करते हुए पारित किया गया प्रेस विधेयक उन सबसे गंदे अधिनायकवादी कदमों में से एक है जो केंद्र से शुरू होकर कांग्रेस (आई) शासित राज्यों में फैलते हैं. यह एक और मिसाल है जो कांग्रेस (आई) सरकार के थोड़ा थोड़ा करके अघोषित एमर्जेंसी लागू करने के इरादे को बेनकाब करती है. यह विधेयक, जिसका नाम 'इंडियन पैनेल कोड एंड कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (बिहार अमेंडमैंट) एक्ट, १९८२" है, प्रेस की आवाज का गला घोंटता है और इस तरह यह जनता के बुनियादी अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता पर सीधी चोट है. ब्लैकमेल करने के इरादे से ऐसी बातें प्रकाशित करने के लिए, जो वरिष्ठ अफसरान से लेकर छोटे पुलिस अफसरान तक एग्जीक्यूटिव की नजर में अश्लील व असभ्य हैं, यह विधेयक अधिकारियों को संवाददाताओं, संपादकों, पत्रकारों व प्रकाशकों के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार देता है. इसके साथ ही यह एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेटों को अश्लील या असभ्य लेखों को नोट करने की तथा पहले विरोध पर दो साल की कैद, जुर्माना या दोनों को सजा देने और उसके बाद के अपराधों पर तीन साल की कैद की सजा देने की शक्ति देता है. कफन में अंतिम कील गाड़ने के लिए इसमें कसूरों के कारण जमानत न देने का प्रावधान है. दूसरे शब्दों में यदि कोई कांग्रेस (आई) के नेताओं को षड्यंत्रकारी गतिविधियों को प्रकाशित करता है तो इस विधेयक के तहत वह जमानत हीन दोष अपराध कर रहा है और उसे इसके अनुसार सजा दी जाएगी. इस प्रकार कांग्रेस (आई) अपनी घोटाले की तथा गैरकानूनी गतिविधियों को कानूनी और इसे बेनकाब करने को गैरकानूनी बना रही है. ट्रेड यूनियन व जनवादी आंदोलन का लक्ष्य बिलकुल इसके विपरीत है. इसे कांग्रेस (आई) की तनाशाही भूमिका के घिनौने इरादों तथा वास्तविकता को लगातार बेनकाब करना है और इसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए आम जनता को लामबंद करना है.

देशव्यापी प्रतिरोध

इसके खिलाफ पत्रकारों, ट्रेड यूनियनों, विपक्षी पार्टियों, व जनवादी जनता के सभी हिस्सों के प्रतिरोध समूचे देश में फट पड़े. संसद में प्रश्नकाल का बहिष्कार करके पत्रकारों ने इतिहास लिख दिया है. राज्य सभा में सभी विपक्षी पार्टियों के सदस्य खड़े हो गए और संवाददाताओं की प्रशंसा की जब उन्होंने अपने परिचय कार्ड वापस कर दिए और बहिर्गमन कर गए. वे जगन्नाथ मिश्रा द्वारा नई दिल्ली में बुलाए गए उस सवांददाता सम्मेलन से भी बहिर्गमन कर गए जिसमें मुख्यमंत्री बेशर्मी के साथ अपने विधेयक का बचाव करने की कोशिश कर रहे थे. बिहार में भी पत्रकारों ने अपने परिचय कार्ड वापस कर दिए. समूचे बिहार में ११ अगस्त को प्रतिरोध दिवस मनाया गया. पुलिस ने पटना में २१ अगस्त को पत्रकारों के प्रतिरोध मार्च पर लाठियां बरसाईं जिसमें ३० घायल हुए और २०० से भी ज्यादा को गिरफ्तार किया गया. २३ अगस्त को पटना बंद करने का आह्वान किया गया. सीटू ने लाठी चार्ज की कड़ी निंदा की. राष्ट्रीय अभियान समिति ने इस विधेयक का प्रतिरोध किया है. राज्य अभियान समिति ने एकजुट आंदोलन का कार्यक्रम तैयार करने के लिए ५ सितम्बर को एक सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है. समूचे देश में पत्रकारों तथा मजदूरों, अध्यापकों, छात्रों व युवकों के अन्य हिस्सों ने चहुमुखी आंदोलन शुरू कर दिए हैं. इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने एक दिन की देश व्यापी हड़ताल का प्रस्ताव रखा है. न्यूजपेपर व न्यूजएजेंसी एंप्लाईज आर्गेनाइजेशन की कनफेडरेशन ने आह्वान का समर्थन किया है. एक बयान में कनफेडरेशन के अध्यक्ष व सीटू के उपाध्यक्ष, एस. वाई. कोल्हातकर ने कहा है कि कनफेडरेशन की यूनिटें हड़ताल की तारीख तय करने के लिये विचार विमर्श कर रही हैं. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व केंद्रीय विधि मंत्री को ज्ञापन दिए जा रहे हैं. विधेयक से कांग्रेस (आई) तक में गंभीर मतभेद हो गया है. मुख्यमंत्री ने अपने ही विधायक को इसके खिलाफ प्रतिरोध करने के लिये कारण बताओ नोटिस दिया है. पटना शहर कांग्रेस (आई) कमेटी के सचिव ने मुख्यमंत्री की आलोचना की कि केंद्रीय नेताओं से सलाह लिये बिना 'काला विधेयक' विधान सभा में रखा गया है. यूथ कांग्रेस (आई) के एक हिस्से ने लाठीचार्ज की निंदा की है.

संसद में

लोक सभा में ७ अगस्त को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए सी पी आई (एम) के सांसद, अजीत बैग, ने कहा कि यह विधेयक बहुत ही क्रूर है क्योंकि जहां हत्यारों व डाकुओं को जमानत दी सकती है वहां पत्रकारों को इस विधेयक के प्रावधानों के तहत जमानत देने से इंकार करके यह उन्हें सबसे बुरा अपराधी करार देता है. उन्होंने कहा कि 'काले विधेयक को पेश करने वाले राजनीतिज्ञों के उस दल से सम्बघित है जिन्होंने भ्रष्टाचार, धांधलियों व राजनीतिक उदासीनता से लेकर दुरूपयोग तक की रीढ़ की हड्डी तोड़ कहानियों से कुख्याति हासिल की है" उन्होंने हरिजनों पर अत्याचार, भागलपुर, धनबाद कोयला क्षेत्र में माफिया की गतिविधियों, बैंक के साथ धोखा करने के कथित कांड तथा बंधुआ मजदूरों के शोषण, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री शामिल हैं, आदि के उदाहरण दिए. उन्होंने फिर कहा कि प्रधान मंत्री तक ने केंद्रीय सरकार की आलोचना किए जाने पर समाचार पत्रों की भारी आलोचना की है. ये सब आकाश में मंडराते अधिनायकवाद के काले बादलों की ओर इशारा करते हैं उन्होंने जोर दिया कि सर्वोच्च मंच (संसद) को समूचे जनवादी ढांचे के स्तम्भ के रूप में स्वयं को स्थापित करना है और चौथी एस्टेट (प्रेस) के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करनी है. □

बिहार के पत्रकारों के साथ सीटू की एकजुटता

सीटू के अध्यक्ष बी.टी. रणदिवे तथा महासचिव पी. राममूर्ति, एम.पी. ने १२ अगस्त को यह बयान जारी किया है:

सीटू बिहार प्रेस विधेयक की निंदा करती है जिसका लक्ष्य समाचार पत्रों को तंग करना और धमकाना है ताकि बिहार में भ्रष्टाचार व कुप्रशासन के बारे में जो अब काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है, वास्तविक स्थिति प्रकाश में न आ सके. समाचार पत्रों का मुंहबंद करने की यह निर्लज्ज कोशिश इस तथ्य से भी साबित होती है कि जब मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का सामना एडिटर्स गिल्ड के प्रतिनिधियों से हुआ तो वे अपनी सरकार के घोषित लक्ष्यों को जायज ठहराने के लिए कोई तत्व नहीं पेश कर सके. बिहार में इंडियन पैनेल कोड व क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन के साथ-साथ बिहार प्रेस विधेयक पारित होने से एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें बिहार सरकार के किसी भी एग्जीक्यूटिव द्वारा, चाहे वह स्वयं ही भ्रष्टाचार या कुप्रशासन का अपराधी क्यों न हो, किसी भी पत्रकार को जेल भिजवाया जा सकता है. केंद्र में कांग्रेस (आई) सरकार द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार करना, जो यह दावा करती है कि इस क्रूर कानून लागू करने से पहले इससे सलाह नहीं ली गई बढ़ते अधिनायकवाद को प्रदर्शित करता है और समाचारपत्रों की स्वतंत्रता के पूर्ण-हनन की ओर इसके रूझान को व्यक्त करता है जैसा कि घृणित आंतरिक एमर्जेंसी के दौरान किया गया था.

सीटू मांग करती है कि भारत सरकार राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के लिये विधेयक के प्रति अपनी सहमति न दे और उड़ीसा व तमिलनाडु की राज्य सरकारों से कहे कि वे अपने राज्यों में पारित इसी प्रकार के विधेयकों को वापिस लें, नहीं तो ऐसा लगेगा कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता थोड़ी-थोड़ी करके छीनी जा रही है.

समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की जोरदार रक्षा के लिये और इस घिनौनी करतूत के खिलाफ अपने एकजुट प्रतिरोध के लिये सीटू पत्रकारों व एडिटर्स गिल्ड का हार्दिक अभिनंदन करती है. यह पत्रकारों के किये गये आह्वान का स्वागत करती है कि वे भ्रष्टाचार, कुप्रशासन, व भाई भतीजावाद के संबंध में वास्तविक स्थिति के लिये, जो बिहार के समूचे सरकारी तंत्र में छाई है, स्थान को दो गुना कर दे. सीटू बोलने की स्वतंत्रता के बुनियादी अधिकार की रक्षा में, जिसका समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अभिन्न हिस्सा है, उनके संघर्ष का समर्थन करती है और उनके साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करती है. □

त्रिपुरा सरकार की एक और उपलब्धि

भट्ठे में बनी ईंटें

टी एस आई सी मार्का ईंटें उत्तम श्रैणी की हैं

और कीमत भी बहुत कम है

—स्वयं सरकार द्वारा १४ भट्ठों का संचालन

४००० देहाती मजदूरों को रोजगार

—मुख्यतः सरकारी जरूरतों की पूर्ति

राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान

त्रिपुरा लघु उद्योग निगम लि०

३३-आफिस लेन, अगरतला-७९९००१

द्वारा प्रसारित

सरकार द्वारा श्रमविरोधी काले विधेयक पारित

चार श्रम विरोधी विधेयकों में से दो, औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक व वेतन की अदायगी (संशोधन) विधेयक, अब कानून बन गए हैं क्योंकि सरकार ने संसद में समूचे विपक्ष के प्रतिरोध बहिर्गमन के बीच अपने बहुमत का फायदा उठाते हुए इन विधेयकों को पारित करा लिया. इंदिरा गांधी का समर्थन करने के लिए केवल लोक सभा में डी एम के तथा राज्य सभा में ए. आई. डी एम. के. ने प्रतिरोध में भाग नहीं लिया.

दस साल के बाद आयोजित किए जा रहे भारतीय श्रम सम्मेलन से ठीक पहले इन विधेयकों को पारित करना त्रिपक्षीय विचार विमर्श का मजाक उड़ाना है क्योंकि संगठित श्रम के विचारों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है. सीटू के महा सचिव पी. राममूर्ति, एम. पी., ने राज्य सभा में औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक पर बोलते हुए कहा कि "इन सभी विधेयकों का वास्तविक लक्ष्य मजदूरों को उनके अंतिम हथियार हड़ताल के अधिकार से वंचित करना है केवल जिसके द्वारा ही वे अड़ियल मालिक को उनके साथ कुछ ठीक समझौता करने के लिए मजबूर कर सकते हैं." सरकार के इस दावे को गलत साबित करते हुए कि विधेयक विवादों के निपटारे के समय को कम करने के लिए पेश किया गया है, उन्होंने कहा कि वास्तव में यह इसके विपरीत है. शिकायत निपटारा प्राधिकरण नियुक्त किए जाने से सामूहिक सौदेबाजी को खत्म कर देगा और विवादों के निपटारे में अनिश्चित कालीन देर होगी तथा इसके खिलाफ कोई भी समाधान उपलब्ध नहीं होगा. उन्होंने कहा कि कानून के दायरे से अनेक मजदूरों को निकालना सुप्रीम कोर्ट के फसले के खिलाफ है जिसके उन्होंने कई उदाहरण प्रस्तुत किये. अनुचित श्रम व्यवहार पर अध्याय के बारे में उन्होंने कहा कि "मजदूरों के संबंध में हर वह चीज जिसका आपने प्रावधान किया है सिद्ध की जा सकती है और मालिकान के संबंध में कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता और मैं यह कहता हूं कि आप मालिकान के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाएंगे क्योंकि आपका समूचा इतिहास यही बताता है." ट्रेड यूनियन नेताओं के पदाधिकारी बनने पर रोक लगाने वाले प्रावधान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्या सरकार ऐसे ही प्रावधान प्रबंधकों के लिए भी बनाने को तैयार है. इस अरोप का खंडन करते हुए कि ट्रेड यूनियन नेता व्यावसायिक आंदोलनकारी हैं उन्होंने कांग्रेस (आई) पक्ष को पंडित नेहरू द्वारा १९२८ में कहे गए ये शब्द बताए: "यह नहीं है कि हम जनता को उत्तेजित करते हैं; भूख, गरीबी व बेरोजगारी ही वे प्रमुख कारण हैं जो जनता को विद्रोह की ओर ले जा रहे हैं." उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि ३३ साल की आजादी के बाद भी स्थिति बदली नहीं है. यह कहते हुए उन्होंने समापन किया कि "हम ट्रेड यूनियन आंदोलन, हम अपना जीवन दे देंगे लेकिन संघर्ष के अधिकार को नहीं छोड़ेंगे."

लोक सभा में सीटू सचिव ई. बालानंदन एम. पी. ने कहा कि यह विधेयक "सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को छीनने के लिए अनिवार्य सेवा अनुरक्षण कानून का अगला हिस्सा है."

कानून के दायरे से निकाले गए मजदूर तबकों का उल्लेख करते हुए उन्होंने व्यंग्य पूर्वक पूछा कि क्या वे देवदूत हैं जो मानव दया के संदेश को अपने जीवनयापन के हालात की परवाह न करते हुए फैलाते हैं.

उन्होंने कहा कि सामूहिक सौदेबाजी के दायरे से भारी तादात में लोगों को बाहर निकालने की यह एक अत्याचारी व भद्दी कोशिश है. सरकार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के व विभागीय प्रतिष्ठानों को इस कानून के दायरे से छूट देने का अधिकार भी पाना चाहती है. ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों की प्रकृति का धारानुसार विश्लेषण करते हुए, उन्होंने कहा कि "जनवाद पर हमला और मजदूर वर्ग पर हमला आई एम एफ के साथ किए गए समझौतों की शर्तों का एक भाग है." उन्होंने इंडियन लेबर जरनल (मई १९८२) में प्रकाशित एक लेख की ओर इशारा किया जिसमें कहा गया है कि मजदूरों का वास्तविक वेतन, संगठित क्षेत्र तक में भी, लगातार कम हो रहा है. अब बी. पी. ई. ने ५ सूत्री फार्मूला बनाया है जो अगर वेतन कटौती नहीं तो वेतन जाम जरूर करेगा. इसलिए यह विधेयक मजदूरों सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को छीनने की नीयत से बनाया गया है. हम यहां पश्चिम बंगाल के साथ तुलना करते हैं जहां वाम मोर्चा सरकार ने अपने कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार दिया है और कहा कि,, संगठन के अधिकार, सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार, हड़ताल के अधिकार व्यापक बना देने से आसमान गिर नहीं जाएगा." उन्होंने यह कह कर समापन किया कि मैं अपनी पूरी ताकत के साथ इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह एक बिलकुल गलत कदम है और एक बुरा कदम है.

सीटू की वर्किंग कमेटी के सदस्य एम. एम. लारेंस, एम. पी.,. ने वेतन की अदायगी (संशोधन) विधेयक पर बोलते हुए कहा कि इस विधेयक का नाम "वेतन की अदायगी नहीं विधेयक" होना चाहिए था. उस प्रावधान का उल्लेख करते हुए जो मालिकान द्वारा कल्याण कार्यों के लिए की जाने वाली कटौती को कानूनी बनाता है, उन्होंने कहा कि वेतन की अदायगी न करने को अब कानूनी बनाया जा रहा है. ट्रेड यूनियन सदस्य के लिए यूनियन के चंदे को वेतन से काटने की अनुमति देने वाली धारा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह चैक आफ प्रणाली है. चैक-आफ प्रणाली का नतीजा बम्बई कपड़ा मजदूरों की हड़ताल से प्राप्त किया जा सकता है. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ प्रबंधकों से जिसने मजदूरों के वेतन से कटौती की अपना सदस्यता चन्दा प्राप्त करता रहा और यूनियन की सदस्यों के

(शेष पृष्ठ ५० पर)

कोयला मजदूरों द्वारा

देशव्यापी हड़ताल की तैयारी

धनवाद के रेलवे इंस्टीट्यूट में १ व २ अगस्त को सम्पन्न अखिल भारतीय कोयला मजदूर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले लगभग ७०० प्रतिनिधियों ने पिछले समझौते को पूरी तरह से लागू करवाने और नये वेतन समझौते के लिए संघर्ष करने के लिए पूरे कोयला उद्योग में आन्दोलन छेड़ने के लिए अपना दृढ़ निश्चय जाहिर किया जिससे ७ लाख कोयला मजदूरों के लिए उचित जीवन स्तर हासिल करना सम्भव हो सकेगा.

सुनील बसु राय (सीटू), शफीक खान (एटक), जयन्त पोद्दार (एच. एम. एस.) और बी. एस. आजाद (बी. एम. एस.) को मिलाकर गठित अध्यक्ष मण्डल ने सम्मेलन की कार्यवाही का संचालन किया तथा एम. के पंधे (सीटू), कल्याण राय (एटक), समरेन्द्र कुण्डू (एच एम. एस.) एवं टी. सी. जुम्दे (बी. एम. एस) को लेकर बनी स्टीयरिंग कमेटी ने सम्मेलन का मार्गदर्शन किया.

प्रारम्भ में ही केन्द्रीय ट्रेड यूनियन नेताओं ने सम्मेलन की पृष्ठ-भूमि की स्पष्ट व्याख्या की. उन्होंने सी. आई. एल प्रशासन द्वारा अपनाई जा रही नीतियों को स्पष्ट किया तथा कोयला मजदूरों की जायज मांगों को हासिल करने के लिए देशव्यापी आन्दोलन संगठित करने की जरूरत पर विशेष जोर दिया.

बहस में ५० प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. सी. आई. एल. प्रशासन की नीतियों के खिलाफ संघर्ष के लिए एकता को मजबूत बनाने की जरूरत ही तमाम भाषणों का केन्द्रीय विषय रहा.

सम्मेलन ने कई प्रस्ताव पारित किए. सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के लिए, जिसके कारण कोयला खानों में बहुत सी दुर्घटनाएँ हो रही हैं, प्रशासन की भर्त्सना की तथा बम्बई के कपड़ा मजदूरों को उनकी ७ माह पुरानी हड़ताल के लिए बधाई दी और हड़ताली मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करके उनकी मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की. सम्मेलन ने विहार प्रेस विधेयक को रद्द करने की मांग करते हुए बिहार के पत्रकारों पर दमन की निन्दा की तथा चारों श्रमिक विरोधी विधेयकों को वापस लेने की मांग करते हुए उनकी निन्दा की. सम्मेलन ने कोयला उद्योग में महिला रोजगार की गिरावट पर चिन्ता व्यक्त की और महिला कामगारों के लिए समुचित रोजगार-सुरक्षा की मांग की तथा सूखा प्रभावित लोगों के लिए शीघ्र राहत दिए जाने की मांग की . सम्मेलन ने नई खदानों में जमीन खोने वालों के साथ किये गये अन्याय की भर्त्सना की तथा उन्हें रोजगार देने की मांग की.

सम्मेलन ने ११ सितम्बर को प्रदर्शन और सभाएं करके "अखिल भारतीय विरोध दिवस" मनाने के लिए कोयला मजदूरों का आह्वान करते हुए एक घोषणापत्र पास किया. शीघ्र ही देशव्यापी हड़ताल की तैयारी करने के लिये क्षेत्रीय सम्मेलन करने का भी निर्णय लिया गया. इसने समय समय पर कार्यक्रम तै करने के लिये प्रत्येक केन्द्रीय ट्रेड यूनियन के दो-दो प्रतिनिधियों को लेकर एक संघर्ष समिति का भी गठन किया. समर मुखर्जी (सीटू), पी. के. ठाकुर (एटक) ओ. पी. आधी (बी. एम. एस. तथा जयन्त पोद्दार (एच. एम. एस.) ने प्रस्ताव के महत्व पर प्रकाश डाला.

तेज बारिश के बावजूद तेतुलताला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता समरेन्द्र कुण्डू ने की तथा अन्यों के अतिरिक्त समर मुखर्जी, कल्याण, राय बी. एस. आजाद, जयन्त पोद्दार, मधु बनर्जी, आर. एस. के. बख्शी आदि ने सम्बोधित किया.

सम्मेलन ने विभिन्न कोयला क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों में विशेष उत्साह पैदा कर दिया तथा कोयला मजदूरों के लिये बेहतर काम काज एवं रहन-सहन के स्तर के लिये संघर्ष करने के लिये एकता और दृढ़ निश्चय की भावना शुरू से अन्त तक व्याप्त रही.

सम्मेलन द्वारा पारित घोषणापत्र का पूरा प्रारूप नीचे दिया जा रहा है.

इण्डियन माइन वर्कर्स फेडरेशन (एटक), आल इण्डिया कोल वर्कर्स फेडरेशन (सीटू), अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ (बी. एम. एस.) तथा हिन्द खान मजदूर फेडरेशन द्वारा आयोजित एवं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (दारा) यू. टी. यू. सी तथा बहुत सी असम्बद्ध इकाइयों के प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी के साथ सम्पन्न अखिल भारतीय कोयला मजदूर सम्मेलन पेयजल के प्रबन्ध, आवास, चिकित्सा तथा शैक्षिक सुविधाओं, कल्याण सुविधाएं, प्रलोभन, पदोन्नति; ग्रेच्युटी, क्षतिपूर्ति, कठिनाई भत्ता तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता लागू न किये जाने के कारण पूरे देश में ७ लाख कोयला खदान मजदूरों में व्याप्त गहरे असन्तोष पर ध्यान देता है. सी. आई. एल. प्रशासन द्वारा मनमानी नीति अपनाए जाने के कारण समिति (Standardisation committee) के समक्ष निपटाराधीन बहुत से मामलों को बगैर तै किए ही छोड़ दिया गया. जबकि प्रशासन इन मामलों को तै करने में जानबूझ कर देर कर रहा था. इंटक ने सी.आई.एल. प्रशासन तथा भारत सरकार से सांठ-गांठ करके कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति (jbcci) का बहिष्कार करने का निर्णय किया और कोयला मजदूरों के विचाराधीन मामलों पर चल रही वार्ता पर पानी फेर दिया. इंटक नेताओं की इस गद्दारी ने कोयला मजदूरों के हितों को गम्भीर नुकसान पहुंचाया है और इन सब हालात पर सी. आई. एल. प्रशासन बहुत ही खुश है. जे. बी. सी. सी. आई के

पहले के निर्णयों का उल्लंघन करके सी. आई. एल. मुख्यालय ने कोयला खदानों में काम की स्थिति से सम्बन्धित बहुत सी समस्याओं पर मनमाना आदेश जारी कर दिए।

सी. आई. एल. प्रशासन मजदूरों को बिना विश्राम के रात दिन काम करने के लिए मजदूरों का खदान अधिनियम कर खुला उल्लंघन करता रहा है. सुरक्षा नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है जिससे मुख्य रूप से छत गिरने से बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही हैं तथा कोयला मजदूरों की मौतें हो रही हैं. मामूली सफाई तथा बुनियादी सुविधाओं के अभाव में मजदूरों का जीवन अत्यन्त कष्टमय हो रहा है. ज्यादा से ज्यादा स्थाई प्रकृति के कार्यों को ठेकेदारों को दिया जा रहा है, जिनकी संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है, यहां तक कि प्रतिबन्धित श्रेणियों में भी. और इस प्रकार सैकड़ों करोड़ रुपया ठेकेदारों को दिया जा चुका है. ठेकेदारों तथा अधिकारियों के एक हिस्से के बीच गहरा सम्बन्ध है परन्तु भारत सरकार इस मामले में कोई कदम उठाने से इंकार करती है. अभी हाल में धनबाद में एक लेखा परीक्षक की जघन्य हत्या ने, जिसमें कुछ अधिकारियों का हाथ होने का आरोप है. कोयला मजदूरों की लूट अधिकारियों की गहरी हिस्सेदारी को स्पष्ट कर दिया है. कोयला क्षेत्रों में सक्रिय माफिया गैंग सी. आई. एल. प्रशासन व स्थानीय प्रशासन तथा इंटक के मठाधीशों के गुप्त सहयोग से लूटमार का अपना धन्धा जारी रखे हुए हैं।

खुली कोयला खदानों के मशीनीकरण अभियान के कारण बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों को फालतू घोषित किया जा रहा है जब कि रोजगार की क्षमता घट रही है. कोयला खानों में महिला कामगारों की छंटनी प्रशासन द्वारा अपनाई गई मनमाना नीति का ही परिणाम है. जबर्दस्ती भूमि दखल कर लेने के कारण निर्वासित लोगों को रोजगार देने में सी. आई. एल प्रशासन की निर्दयता ने बहुत सी नई कोयला खानों में सामाजिक तनाव पैदा कर दिया है.

मौजूदा वेतन समझौता ३१ दिसम्बर १९८२ से खत्म होने जा रहा है और कोयला मजदूर आगामी समझौतों के दौरान अपनी हालत में सुधार की आशा लगाए बैठे हैं. फिर भी भारत सरकार ने एकतरफा और मनमाने तरीके से इंटक को चार सीट देकर जे. बी. सी. सी. आई. का पुनर्गठन कर लिया है जो कि पूरी तरह अनुचित है. एच. एम. एस. प्रतिनिधित्व को दो हिस्सों में बांट कर एक सीट एच. एम. एस. के नाम से काम कर रहे इंटक समर्थक ग्रुप को दे दी गई. सरकार का यह कदम केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के आन्तरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप है. सरकार ने बी. एम. एस. के प्रतिनिधि को बिना कोई कारण बताए अलग कर दिया है. इंटक के हित के लिए प्रत्येक केन्द्रीय ट्रेड यूनियन से एक प्रतिनिधि पर आधारित पुराने ढांचे को जिसने प्रभावी तरीके से काम किया है, खत्म कर दिया गया है. एटक सीटू तथा एच. एम. एस. के प्रतिनिधियों के समक्ष इसके सिवाए और कोई विकल्प नहीं है कि वे इस मनमाना कदम के खिलाफ विरोध स्वरूप नवगठित जे. बी. सी. सी. आई. की १२ अगस्त १९८२ की पहली बैठक का बहिष्कार करें.

वेतन समझौते और एक गम्भीर धमकी हैं क्योंकि ... निक संस्थान ब्यूरो ने भविष्य में वेतन वृद्धि को उत्पादकता के साथ जोड़ने तथा उसे भी पूर्वगामी प्रभाव से लागू न करने के निर्देश जारी कर रखे हैं. वेतन वृद्धि १०% से अधिक नहीं होनी चाहिए. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (१९६०) में होने वाली प्रति प्वाइंट वृद्धि पर १.३० रुपये से अधिक महंगाई भत्ता न देने की बी. पी. ई. की जिद के कारण कोयला मजदूरों का जीवन-स्तर पुनः नीचे गिरेगा. यह सम्मेलन इन निर्देशों की भर्त्सना करता है तथा इन्हें तुरन्त खत्म करने की मांग करता है. यह सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धान्तों का खुला उल्लंघन है.

समस्त कोयला क्षेत्रों की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सम्मेलन की दृढ़ राय है कि कोयला मजदूरों के देशव्यापी एक जुट आन्दोलन के बिना उनके जीवन और काम के हालात में कोई सुधार सम्भव नहीं है और न ही बी. पी. ई. के खुले हस्तक्षेप को ही रोका जा सकता है. अत : यह सम्मेलन मजदूरों की निम्नांकित मांगों को स्वीकार करने के लिए प्रशासन को मजबूर करने के लिए कोयला मजदूरों के हड़ताल सहित देशव्यापी आंदोलन के लिए तैयारी करने का निर्णय लेता है.

१. पिछले समझौते के बाकी मुद्दों का तुरन्त निपटारा.

२. पुनर्गठित जे. बी. सी. सी आई. का तुरन्त खात्मा और सरकार तथा सी. आई. एल. प्रशासन द्वारा मनमाने ढंग से भंग पिछली जे. बी. सी. सी. आई. की पुनः बहाली.

३. वेतन समझौतों के लिए बी. पी. ई. के निर्देशों को रद्द करना.

४. कोयला मजदूरों के नये मांग पत्र का ३१ दिसम्बर १९८२ से पूर्व शीघ्र निपटारा.

इन मांगों को हासिल करने के लिए सम्मेलन ११ सितम्बर १९८२ को "कोयला मजदूरों का अखिल भारतीय विरोध दिवस" मनाने तथा इसके लिए एकजुट विशाल प्रदर्शन एवं रैली आयोजित करने का निर्णय लेता है. ८ सितम्बर १९८२ को सी. आई. एल. के चेयरमैन को निम्न तार भेजा जाना चाहिए

"विचाराधीन मामले को तै न करने, जे. बी सी. सी. आई. के मनमाना पुनर्गठन, वेतन समझौतों के लिए बी. पी. ई. के श्रमिक विरोधी निर्देशों के खिलाफ जोरदार विरोध. पिछले जे. बी. सी. सी. आई. की बहाली और नये मांग पत्र पर वार्ता के लिए मांग.

(यूनियनों एवं खदानों का नाम)

यह सम्मेलन सितम्बर माह में सभी कोयला क्षेत्रों में क्षेत्रीय संयुक्त सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लेता हैं जिससे कि शीघ्र ही कोयला मजदूरों की अखिल भारतीय हड़ताल संगठित करने के लिए गम्भीर तैयारियां की जा सकें.

सम्मेलन पुनः भावी कार्यक्रम तै करने के लिए एटक, सीटू एच. एम. एस. तथा बी. एम. एस. के दो दो प्रतिनिधियों की एक संघर्ष समिति गठित करने का निर्णय करता है जिससे कि पूरे देश में कोयला मजदूरों का लम्बा संघर्ष छेड़ा जा सके.

सम्मेलन कोयला मजदूरों के सभी हिस्सों से सम्मेलन तथा संघर्ष समिति द्वारा तै किए गये कार्यक्रमों को सफल बनाने के (शेष पृष्ठ ५८ पर)

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आह्वान

ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति की बैठक २४ अगस्त को नई दिल्ली में संपन्न हुई जिसमें त्रिपक्षीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग लेने के सवाल पर विचार किया गया. समिति ने इस बारे में एकमत कदम उठाने का फैसला किया क्योंकि अभियान समिति के घटकों की एकता में दरार डालने के सरकार की कोशिश साफ दिखाई पड़ती है. कुछ घटक इस बारे में अपनी स्थिति पहले अपने संगठनों में तय करना चाहते थे जिसके लिए समय की जरूरत थी इसलिये इस पर फैसला समिति की ३१ अगस्त की आगामी बैठक में किया जायेगा. सीटू ने सुझाव दिया कि सम्मेलन के शुरू होने के दिन, १७ सितम्बर, को एस्मा, औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक व वेतन की अदायगी (संशोधन) विधेयक को, संगठित श्रम से सलाह लिये बिना, लागू करके की जा रही ट्रेड यूनियन अधिकारों में कटौती के खिलाफ प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाया जाये.

बैठक में समर मुखर्जी, एम. के. पंधे व नृसिंह चक्रवर्ती (सीटू) इंद्रजीत गुप्ता व वाई. डी शर्मा (एटक), ओ. पी. आघी आर. के भगत व राम दास (बी. एम. एस.) प्रीतीश चन्दा व ज्ञान सिंह (यूटी यूसी-एल. एस), जे. एस. दारा (राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस), प्रतुल चौधुरी (यूटी यूसी.) और डी. डी. शास्त्री (टीयू. सी. सी.) ने भाग लिया. समर मुखर्जी ने बैठक की अध्यक्षता की.

बैठक ने भेल, इस्पात व कोयला उद्योगों के मजदूरों के सम्मेलनों की समीक्षा की और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के मजदूरों व कर्मचारियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन ९-१० अक्तूबर को हैदराबाद में आयोजित करने का फैसला किया. ऐसे सम्मेलन की जरूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का ब्यूरो (बी. पी. ई.) सार्वजनिक क्षेत्र में वेतन समझौता-वार्ताओं में लगातार हस्तक्षेप कर रहा है और वेतनों को उत्पादकता से जोड़ने की कोशिशें जारी हैं तथा पिछले समझौतों के बन्द से वास्तविक वेतनों में कमी का पूरा मुआवजा देने से इंकार किया जा रहा है, आदि आदि.

कपड़ा उद्योग से संबंधित समस्याओं पर भी एक त्रिपक्षीय समिति बनाने के भारत सरकार के प्रस्ताव पर भी बैठक ने विचार किया. बम्बई के करीब आठ महीनों से संघर्षरत कपड़ा मजदूरों के साथ समझौता वार्ता करने से इन्कार करने के लिए भारत सरकार की इस बैठक ने निंदा की. पहले मजदूरों की हड़ताल पर समझौता करने की बजाए एक समिति नियुक्त करना सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार से वंचित करना है और संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति ने पहले ही इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है. राष्ट्रीय अभियान समिति ने इसलिए समिति में भाग न लेने का फैसला किया है और इसने मांग की कि सरकार पहले बम्बई के कपड़ा मजदूरों के संघर्ष के नेताओं के साथ समझौता करें.

राष्ट्रीय अभियान समिति ने बिहार प्रेस विधेयक और २१ अगस्त को पटना में पत्रकारों पर बर्बर लाठीचार्ज की कड़ी निन्दा की. बैठक के समय दिल्ली यूनियन आफ जरनलिस्ट्स का दिल्ली में सम्मेलन हो रहा था. इसके पास राष्ट्रीय अभियान समिति ने एक संदेश भेजा जिसमें उनके संघर्ष के साथ पूरी एकजुटता व समर्थन व्यक्त किया गया. इसमें ३ सितम्बर को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने के उनके फैसले का भी समर्थन किया गया.

बैठक ने महाराष्ट्र व हरियाणा के पुलिसकर्मियों पर ढाए गए दमन की निन्दा की और सभी गिरफ्तार किए गए पुलिस कर्मियों की रिहाई, पुलिस एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न खत्म करने और उनकी जायज शिकायतों पर समझौता करने की मांग की गई. □

रेल समाचार

रेल कर्मचारियों ने मांग दिवस मनाया

ए. आई. आर. एफ. की वर्किंग कमेटी के निर्णयानुसार रेल कर्मचारियों ने पूरे देश में ९ अगस्त को १९८० के बीकानेर सम्मेलन में तै की गई लम्बे अर्से से विचाराधीन मांगों के लिये महाप्रन्धक कार्यालयों पर प्रदर्शन किया.

अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार कलकत्ता में पूर्व, दक्षिण पूर्व एवं एम. टी. पी. रेल मुख्यालयों पर तथा बम्बई में सेंन्ट्रल रेलवे मुख्यालय पर विशाल रैलियों का आयोजन किया गया. कठिनाइयों के बावजूद नई दिल्ली में उत्तर रेलवे मुख्यालय पर भी प्रदर्शन किया गया.

रेलकर्मचारियों का सम्मेलन

रेल मजदूरों के संगठनों ने भारतीय रेलों में मौजूदा हालात से अवगत करनेके लिये कलकत्ता और कटिहार में जन सम्मेलनों का आयोजन किया. यद्यपि कलकत्ता में ईस्टर्न रेलवेमेन्स यूनियन ने सम्मेलन में हिस्सा लिया परन्तु कटिहार का सम्मेलन केवल कैटेगरीवाइज संगठनों को ही संचालित करना पड़ा. आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के महासचिव एस. के. धर प्रमुख वक्ता रहे.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा खलासियों की छटनी स्थगित

मदुराई में दक्षिण रेलवे के अधिकारियों ने १९ जुलाई को शिवगंगा के १०५ खलासियों को छंटनी का नोटिस दिया. रेलवे इम्प्लाईज यूनियन ने छंटनी के खिलाफ स्थगन के लिये सर्वोच्च

(शेष पृष्ठ ५८ पर)

नाविकों द्वारा चेतावनी हड़ताल

भारतीय नाविकों ने कलकत्ता व हल्दिया में ५ अगस्त को एक दिन की संपूर्ण हड़ताल की. हड़ताल का आह्वान वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फडरेशन आफ इंडिया तथा फारवर्ड सीमेन्न यूनियन आफ इंडिया (सीटू) ने दस महीनों की सेवा की गारंटी या 700 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता हर नाविक को देने की मांग करते हुए किया था हड़ताल का फैसला २६ जुलाई को कलकत्ता में संपन्न एक सम्मेलन में लिया गया था ताकि भारत सरकार को भारतीय नाविकों में बेरोजगारी पर सेवामुक्त एडमिरल एस. एम. नंदा की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करने तथा उन्हें लागू करने के लिए मजबूर किया जा सके. यही फैसला उसी दिन हल्दिया बंदरगाह में संपन्न एक और सम्मेलन में भी लिया गया था. मद्रास व हल्दिया बंदरगाह के समुद्री जहाजों के सेवामुक्त स्टाफ के सदस्यों के साथ साथ कलकत्ता व बम्बई की विभिन्न जहाजरानी कम्पनियों के व्यापारी समुद्री जहाजों के सेवामुक्त भारतीय नाविकों ने हड़ताल में भाग लिया. प्रबंधकों की भड़कावे की कार्यवाहियों तथा धमकियों के बावजूद हड़ताल ने भार लादने, उतारने व जहाजों पर अन्य गतिविधियों को बिलकुल ठप्प कर दिया था.

दर्दनाक हालात

कई दशकों से ३० हजार से भी ज्यादा नाविक बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं. भारत सरकार ने ३५ साल की आजादी के बाद भी पंजीकृत नाविकों की स्थिति सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं. नाविकों के लिए एकमात्र कानून, यानि, उपनिवेशिक मर्चेंट शिपिंग एक्ट,१८५४ के मामूली सुविधाओं के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है.

कलकत्ता बंदरगाह में १०,०५४ पंजीकृत नाविकों में से केवल ३,८०० को बारी बारी से रोजगार मिलता है. इसी तरह से बम्बई बंदरगाह में २६,००० पंजीकृत नाविकों में से केवल १३,००० को रोजगार मिलता है. ऐसे हालात में कलकत्ता स्थित एक नाविक को ६ से ९ महीनों की नौकरी के बाद ३३ से ४० महीनों तक पूरी तरह बेरोजगारी में अपने परिवार के साथ दिन गिनने पड़ते हैं. इसी तरह बम्बई में उसे ६ से ९ महीनों की सेवा के बाद १६ से २० महीने खाली रहना पड़ता है. जहां नाविकों की यह अनुमानित स्थिति है वहां भारत सरकार समय समय पर जहाज मालिकान को नए जहाज खरीदने के लिए, व्यापार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तथा भारी मुनाफा कमाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंडी हासिल करने के लिए आर्थिक सहायता देती रही है और भारतीय नाविकों के दास-व्यापार की घिनौनी प्रथा को जीवित रखती रही है.

संघर्षों का दमन

नाविकों ने अतीत में हड़ताल सहित कई लंबे व कठिन संघर्ष किये हैं. लेकिन भारत सरकार व पश्चिम बंगाल की पिछली सरकारें इस समस्या पर चुप रहीं और उन पर आतंक ढाना शुरू कर दिया. उन्होंने पुलिस लगा दी और नाविकों के हर आन्दोलन को दबाने के लिए गुंडा हमले कराए. उन्हें भारतीय व विदेशी बंदरगाहों में गुंडा हमलों व भारी दमन का सामना करना पड़ा.

वाम मोर्चा सरकार

पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार के सत्ता में आने के बाद ही नाविकों को संघर्ष की नयी रोशनी मिली. सीटू के नेतृत्व में जुझारू संघर्ष किए गए और पुलिस ने दखल अंदाजी नहीं की. कांग्रेस (आई) के गुंडों को खदेड़ दिया गया. समूचे देश में नाविकों की एकता स्थापित हुई और एक सफल अखिल भारतीय हड़ताल आयोजित हुई. भारतीय नाविकों की संगठित ताकत ने १९११ से व्यापारिक जहाजों पर बार बार हड़ताली संघर्ष किए जिसमें ११ से २४ मार्च १९८१ की ऐतिहासिक हड़ताल शामिल है. वाम मोर्चा सरकार ने संघर्षरत नाविकों का पूरा समर्थन किया.

विशेषज्ञ समिति

भारत सरकार अंत में भारतीय नाविकों की बेरोजगारी की समस्या पर और उसके समाधान के लिए सिफारिशें करने के लिए सेवामुक्त एडमिरल एस एम नंदा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनाने के लिए मजबूर हुई. नंदा समिति ने फरवरी में १८ सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सरकार को दी जिसमें बेरोजगार नाविकों को आर्थिक सहायता देना भी शामिल है. हालांकि फेडरेशन सभी सिफारिशों से सहमत नहीं थी लेकिन फिर भी औद्योगिक शांति के लिए इसने इसे लागू करने की सरकार से अपील की. लेकिन बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी सरकार इन सिफारिशों पर चुपचाप बैठ गई जिससे नाविक हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो गए.

चेतावनी हड़ताल

पोर्ट एंड डॉक व सी आई डब्लू टी सी (तैराकी यूनिट) के मजदूरों सहित हजारों भारतीय नाविकों व अन्य औद्योगिक मजदूरों ने सम्मेलन में भाग लिया जिसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री कृष्णपद घोष ने किया. सम्मेलन के प्रस्ताव ने भारत सरकार को चेतावनी दी कि ५ अगस्त की हड़ताल के बाद भी यदि यह नंदा समिति की सिफारिशों को लागू करने में असफल होती है तो भारत व विदेशों में भारतीय नाविक लगातार हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे. इसने नाविकों का सिफारिशों को लागू करवाने के लिए लगातार संघर्ष छेड़ने का आह्वान किया.

मांग सप्ताह

कलकत्ता में गोदी व बंदरगाह मजदूर १८ से २५ अगस्त तक मांग सप्ताह मनाएंगे. इसका फैसला कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा मजदूरों की विभिन्न मांगों पर समझौता करने से भागने के

(शेष पृष्ठ ५८ पर)

राज्य सरकार कर्मचारियों का अखिल भारतीय मांग दिवस

अपने १२-सूत्री मांग पत्र के समर्थन में देश के ५० लाख राज्य सरकार कर्मचारी व अध्यापक २५ अगस्त को मांग दिवस मनाएंगे. यह फैसला १३ से १६ जून को पटना में संपन्न आल इंडिया स्टेट गवर्नमैंट एम्प्लाईज फेडरेशन (ए. आई. एस. जी ई एफ) के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया गया.

गहराते आर्थिक संकट का विश्लेषण करते हुए उसके परिणामस्वरूप देश में कर्मचारियों व मजदूरों की सेवा शर्तों के बिगड़ाव और कांग्रेस (आई) सरकार द्वारा उनके ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों पर बढ़ते हमलों पर सम्मेलन ने विचार किया.

हालात की पुकार के अनुसार राज्य सरकार कर्मचारियों ने स्वयं को संगठित किया और न केवल कीमत वृद्धि के खिलाफ आंदोलन किया बल्कि अपनी सेवा शर्तों में बुनियादी बदलाव के लिए भी संघर्ष किए. सरकारी कर्मचारियों की आचार संहिता को खत्म करने की मांग नौकरशाही प्रशासन की दासता की बेड़ियों से कर्मचारियों को मुक्त कराने के लिए आंदोलन के मुख्य नारों में से एक थी. वेतन ढांचा मध्यकालीन था जो बढ़ती कीमतों को मुकाबला नहीं कर सका. ट्रेड यूनियन अधिकारों की सुरक्षा और चारों ओर उत्पीड़न की दौड़ एक ज्वलंत सवाल बन गया.

सत्ता में आने के बाद वाम मोर्चा सरकार ने सदियों पुरानी सरकारी कर्मचारियों की आचार संहिता को खत्म कर दिया और राज्य सरकार कर्मचारियों को हड़ताल के अधिकार के साथ साथ पूरे ट्रेड यूनियन अधिकार प्रदान किए. पश्चिम बंगाल सरकार ने गुप्त सालाना रिपोर्ट खत्म करके खुली कुशलता रिपोर्ट लागू की. वेतन संशोधन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान भी इस द्वारा बढ़ाए गए. इसके अलवा, इसने उन सभी बर्खास्त कर्मचारियों की सेवाओं को बहाल किया जो तत्कालीन कांग्रेसी निजाम और आपात्तकाल के शिकार हुए थे.

लेकिन अन्य राज्यों में अधिनायकवादी कांग्रेस (आई) की सरकारों ने अपने कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने या उनके साथ अर्थपूर्ण वार्ताएं शुरू करने की बजाए उन पर वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से इन्कार करते हुए सर्वमुखी हमले तेज कर दिए. संघर्षरत कर्मचारियों को जबरदस्त उत्पीड़न और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा. बदनाम बिहार सरकार ने तो अपने कर्मचारियों पर देखते ही गोली चलाने तक के आदेश दे दिए थे.

इन हालात में सम्मेलन ने निम्नलिखित १२ सूत्री मांग पत्र पर अखिल भारतीय स्तर पर संघर्ष शुरू करने का फैसला किया. कीमतें स्थिर करना और नियंत्रित कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि की गारंटी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना, महंगाई की पूरी भरपाई के साथ महंगाई भत्ते का एक राष्ट्रीय फार्मूला और महंगाई भत्ते की अदायगी रोकने को खत्म करना, १५वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित जरूरत पर आधारित नियमों के अनुसार वेतन पुनर्रचना के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाना, सभी को बोनस, महंगाई भत्ते का अदायगी के लिये राज्य सरकारों को पर्याप्त कोष देना, जम्मू-कश्मीर व अन्य स्थानों में सभी बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली, छंटनी न करना, आठ घंटे से ज्यादा काम के घंटे नहीं तय करना, पूरे ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकार, आचार संहिता खत्म करना, एन एस ए, एस्मा व अन्य श्रमविरोधी कानूनों को वापस लेना, संविधान के अनुच्छेद ३१० व ३११(२) सी तथा जम्मू-कश्मीर संविधान के अनुच्छेद १२६(२) सी को रद्द करना, केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा ए. आई. एस. जी. ई. एफ. को मान्यता देना.

राजधानियों व अन्य स्थानों में रैलियां, धरने, प्रदर्शन आयोजित करके और बिल्ले लगाकर मांग दिवस मनाया जाएगा. मांग दिवस को सफल बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर अभियान आंदोलन शुरू कर दिया गया है. समूचे पश्चिम बंगाल में १२ अगस्त को सरकारी कर्मचारियों ने रैलियां आयोजित की. कलकत्ता में शहर के विभिन्न हिस्सों से सरकारी कर्मचारी जुलूसों में आए और बीबीडी बाग में आयोजित विशाल रैली में भाग लिया. □

केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों ने माँग दिवस मनाया

देश में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने २० जुलाई को दोपहर के खाने के समय में अपने अपने कार्यस्थलों पर भारी प्रदर्शन आयोजित करके अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया. दिल्ली में कर्मचारियों ने केन्द्रीय वित्त मंत्री के निवास के सामने धरना आयोजित किया. मांग दिवस के लिए आह्वान कनफेडरेशन ने किया था. लंबे अर्से से चला आ रही मांगों में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के समान वेतन करने के लिए वेतन ढांचे में संशोधन, महंगाईभत्ते की किस्तों की अदायगी, सभा तरह के उत्पीड़न का खात्मा आदि शामिल हैं.

पश्चिम बंगाल में समूचे राज्य में कलकत्ता से शुरू होकर जिला व उपमंडल मुख्यालयों में इसे जबरदस्त तरीके से मनाया गया. पश्चिम बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि रेलवेकर्मियों की विभिन्न श्रेणियों, सुरक्षा कर्मचारियों, डाक-तार कर्मचारियों व अन्यों ने केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की को-आर्डिनेशन कमेटी के नेतृत्व में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पुरजोर एकता का सबूत दिया. एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता, में आयोजित विशाल रैली ने कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे केन्द्रीय सरकार की उनकी एकता को तोड़ने की सभी कोशिशों को एकजुट होकर नाकाम कर दें और इसने सरकार को चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी गयीं तो और भी बड़े व जुझारू संघर्ष किए जाएंगे. □

बंबई की कपड़ा हड़ताल आठवें महीने में

बम्बई के कपड़ा मजदूरों की ऐतिहासिक हड़ताल १९ अगस्त से आठवें महीने में पहुंच गई जब कि सरकार अभी भी अपनी कठपुतली इंटक की आर०एम०एम०एस० यूनियन को गले लगाए है. १६ अगस्त को संघर्ष ने एक नया मोड़ लिया जब कि "जेल भरो" कार्यक्रम के अन्तर्गत ४ हजार मजदूरों ने गिरफ्तारी दी. मजदूरों का मनोबल उस समय उच्चतम अवस्था में दिखाई पड़ा जब कि समस्त गिरफ्तार ५०० मजदूरों ने ५ रुपया जुर्माना देने अथवा एक दिन के लिए जेल जाने का आदेश होने पर जुर्माना देने से इंकार कर दिया और पूरे एक दिन हिरासत में रहना स्वीकार किया. "जेल भरो भाई जेल भरो" का गगनभेदी नारा लगाते हुए चार प्रमुख मिलों से मंत्रालय तक हजारों मजदूरों ने मार्च किया. सीटू कार्यकारिणी समिति का सदस्या अहिल्या रंगनेकर ने ऐतिहासिक क्रान्ति मैदान सेराजभवन तक एक अन्य जुलूस का नेतृत्व किया. नासिक औरंगाबाद तथा अन्य जगहों से भी जुलूसों और रैलियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं. बम्बई नगर निगम ने सात माह पुरानी कपड़ा मजदूरों की हड़ताल का समाधान करने में सरकार की असफलता के खिलाफ विरोध व्यक्त करते हुए कोई कार्रवाई किए बिना ही अपनी बैठक को स्थगित कर दिया. निगम में इन्दिरा कांग्रेसी दल इससे अलग रहा.

एक जुटता दिवस

सीटू के आह्वान पर १२ अगस्त को पूरे देश में विभिन्न यूनियनों ने एकजुटता दिवस मनाया. बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन किया गया तथा कनारा बैंक स्टाफ यूनियन, बम्बई, प्रागमनन्दा सेवा सदन एंप्लाईज यूनियन, प० बंगाल, मेटल एण्ड ओर वर्कर्स यूनियन, कलकत्ता, स्टोन, प्लेट वर्कमेन्स यूनियन, कलकत्ता तथा अन्य तमाम यूनियनों ने प्रस्ताव पारित करके महाराष्ट के मुख्य मंत्री तथा केन्द्रीय श्रम मंत्रालय को प्रेषित किया. विभिन्न जगहों पर धन एकत्रित किया जा रहा है. ☐

बंबई में गोली बारी की सीटू द्वारा निन्दा

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे तथा महामंत्री व सांसद पी. राममूर्ति ने १९ अगस्त को निम्नांकित बयान जारी किया.

सीटू अपनी जायज मांगें पूरी न किए जाने पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मात्र काले बिल्ले लगाने वाले पुलिस कर्मचारियों को दण्डित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की सहमति से गोली बारी तथा अन्य दमनकारी कदम उठाए जाने की निन्दा करती है. उनकी शिकायतों पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाना था, यह सच्चाई यह प्रमाणित करती है कि रात के अंधेरे में पुलिस कर्मचारी संगठन के नेताओं को गिरफ्तार करना गलत इरादों पर आधारित था और इस दमनकारी कदम ने ही विस्फोटक स्थिति पैदा कर थी. अंधाधुन्ध गोली वर्षा से चार लोगों की जानें गई तथा बहुत से लोग घायल हुए. सी. आर. पी. तथा बी. एस एफ द्वारा छेड़ी गई हिंसा ने जनप्रतिरोध पैदा कर दिया है तथा बम्बई में नागरिक जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है जिसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है.

सीटू संघर्षरत महाराष्ट्र के पुलिसजनों के साथ एकजुटता का इजहार करती है तथा महाराष्ट्र सरकार से गिरफ्तार नेताओं को रिहा करने एवं वार्ता के जरिए उनकी मांगों को पूरा करने की मांग करता है. सीटू सरकार को चेतावनी देती है कि साधारण पुलिस कर्मचारियों की समस्याओं को मानवीय और हमदर्दी पूर्ण दृष्टि कोण से हल करने में असफलता पुनः स्थिति को खराब करने में ही मदद करेगी क्योंकि ऐसी ही स्थिति हरियाणा तथा अन्य जगहों पर भी पैदा हो रही है. ☐

श्रम विरोधी काले विधेयक

(पृष्ठ ४३ से आगे)

प्रति कोई जिम्मदारी नहीं रही. अब आर० एम० एम० एस० के नेताओं के खिलाफ मजदूरों ने विद्रोह कर दिया है. इसके बाद भी सरकार इस प्रणाली को खत्म नहीं करती उल्टे यह इसे अन्य क्षेत्रों तक ले जाना चाहती है. उन्होंने इस श्रम-विरोधी विधेयक का विरोध किया.

पी० राममूर्ति ने भी विधेयक के इन प्रावधानों का राज्य सभा में विरोध किया.

यह ध्यान रहे कि असम में चाए बागान मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा जो चैक-आफ प्रणाली के तहत पहले इंटक का सदस्य रहा अब इससे बाहर आ गया है और सीटू में शामिल हो गया है. इनके वेतन से कटौती खत्म नही हुई है और इस जबरन कटौती के खिलाफ उनको बहुत ही कठिन संघर्ष करना पड़ा.

इस तरह से श्रम विरोधी विधेयक अब कानून बन गए हैं. लेकिन समूचे देश में मजदूर इन श्रम विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. इन कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए रेलवे यूनियनों, औद्योगिक मजदूरों की यूनियनों, वेतन भोगी कर्मचारियों, अध्यापकों व अस्पतालों व अन्य कर्मचारियों की यूनियनों द्वारा अनेक तार व प्रस्ताव सरकार के पास भेजे जा रहे हैं. आठ जुलाई से शुरू होकर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात व सबसे दूर के क्षेत्र अंडेमान निकोबार से लगातार रैलियों व प्रदर्शनों को आयोजित करने की खबरें मिल रही हैं. अस्पतालों व अन्य कर्मचारियों की कोआर्डिनेशन कमेटी के बम्बई में संपन्न एक सम्मेलन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि यह इस कानून को वापस नही लेती है तो हड़ताली कार्यवाही की जाएगी. सीटू अध्यक्ष बी० टी० रणदिवे व महासचिव पी. राममूर्ति ने १० अगस्त को एक बयान जारी करके सरकार की निंदा की है कि इसने विपक्ष के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किए बिना अपने बहुमत का फायदा इन विधेयकों को पारित करने में उठाया है. उन्होंने मजदूर वर्ग का आह्वान किया कि वे अपने संघर्षों को तेज करें तथा अपनी एकजुट शक्ति के साथ हड़ताल के अधिकार की रक्षा करें. ☐

संसद पर दहेज विरोधी प्रदर्शन

नई दिल्ली में तीन अगस्त को ५,००० महिलाओं और बड़ी संख्या में पुरुषों ने नववधुओं को जलाने में आई बाढ़ को रोकने तथा दहेज प्रथा के खात्मे की माँग करते हुए जंतर मंतर से बोट क्लब तक जुलुस निकाला. इस प्रदर्शन का आह्वान नवगठित दहेज विरोधी चेतना मंच की तरफ से किया गया था जिसने महिलाओं युवकों, छात्रों, ट्रेड यूनियनों तथा व्यावसायिक लोगों के विभिन्न संगठनों को एक मंच पर इकट्ठा कर दिया. इस मार्च में सीटू, डी वाई. एफ. आई, एस. एफ. आई., एटक, ए. आई. एस. एफ. आदि सहित लगभग ६० संगठनों ने हिस्सा लिया.

इस कार्यक्रम का निर्णय जुलाई में हुई इन संगठनों की एक बैठक में लिया गया था. तब से आन्दोलन में शामिल होने के लिए समाज के विभिन्न हिस्सों को लामबन्द करने के लिए संगठनों ने तेजी से काम किया. दिल्ली और इसके आस पास के इलाकों में २० हजार पर्चे बाँटे गये तथा ५ हजार पोस्टर चिपकाए गये. आल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमेंस एसोसिएशन की दिल्ली इकाई (जनवादी महिला समिति) ने करोलबाग, विजयनगर, आजादपुर, मोतीनगर, शक्तिनगर, नानकपुरा तथा रमेशनगर आदि विभिन्न जगहों पर नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया. इसी प्रकार नेशनल फेडरेशन आफ इण्डियन वूमेन और नारी दक्षता समिति ने कनाट प्लेस, लाजपतनगर, मालवीय नगर, आर के. पुरम तथा अन्य स्थानों पर सभाओं का आयोजन किया. डेमोक्रेटिक टीचर्स फोरम ने एस. एफ. आई और ए. आई एस. एफ. के साथ शिक्षण संस्थाओं तथा विभिन्न महिला कालेजों में सभाओं का आयोजन किया. जनवादी महिला समिति ने ३० जुलाई को गाजियाबाद में पद यात्रा तथा ३१ तारीख को फरीदाबाद में कई सभाओं का आयोजन किया.

महिला संगठनों द्वारा, एस. एफ. आई., डी. वाई. एफ. आई तथा सीटू आदि जनसंगठनों की मदद से, किये गये प्रथम प्रयासों का परिणाम उस समय स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था जब कामगार महिलाएं, छात्राएं, अध्यापिकाएं, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स, गृहिणियों, डाक्टरों, तथा अन्य पेशों की तमाम महिलाएं दहेज के कारण होने वाली मौतों के ऊपर सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त करने के लिए तेज धूप में राजधानी की सड़कों पर निकल पड़ी. युवतियों के चेहरों पर सामंती जंजरों को तोड़ने तथा दहेज प्रथा को खत्म करने की दृढ़ भावना देखी गयी. बहुत से पीड़ित मां-बाप और रोती हुई माताएं अपनी बेटियों की हत्याओं के खिलाफ न्याय पाने की आशा में जुलूस के साथ कदम बढ़ाते हुए देखी गयीं. यह सामाजिक अभिशाप के खात्मे की एक नई आशा के साथ मिला हुआ अत्यन्त कारुणिक दृश्य था.

सभा की अध्यक्षता ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता अमृता प्रीतम ने की. आल इण्डिया डेमोक्रेटिक वूमेंस एसोसिएशन की महासचिव, संसद सदस्या, सुशीला गोपालन ने सभा को सम्बोधित करते हुए इन घोर आपराधिक कृत्यों के प्रति पूर्ण उदासीनता के लिए सरकार की तीव्र आलोचना की. उन्होंने कहा कि १९७५ और १९७९ में दर्ज किए गये नववधू हत्या के क्रमशः ३५ और ५४ मामलों में से केवल दो मामलों में ही सजाएं हो सकीं. अन्य सब को बेदाग छोड़ दिया गया. बहुत सारे मामले तो पुलिस के द्वारा दर्ज भी नहीं किए जाते हैं क्योंकि उन्हें अपराधी सास ससुर की तरफ से घूस दिया जाता है. इन लोगों के लिए लड़की की शादी करना एक व्यापार है और इसके लिए उन्हें सरकारी मशीनरी से प्रोत्साहन मिलता है. दहेज विरोधी कानून १९६१ में ही बना लिया गया था परन्तु इसके अन्तर्गत मात्र ११ मामले ही दर्ज किए गये. उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं इन कानूनों को लागू करने का राजनैतिक इरादा नहीं रखती है जिससे कि अपराधियों को कानून के हवाले किया जा सके. जनता को इसे अपनी ताकत से लागू करना होगा. उन्होंने तमाम महिला संगठनों को सामाजिक इकाइयों तथा महिलाओं के ऊपर अत्याचार को खत्म करने के लिए अन्य जनसंगठनों के साथ आगे आकर शक्तिशाली आन्दोलन संगठित करने के लिए आह्वान किया.

अन्य वक्ता थीं, एन. एफ. आई. डब्लू. की विमला फारुकी तथा महिला दक्षता समिति की प्रमिला दण्डवते.

सभा के पश्चात संगठनों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने लोक सभा अध्यक्ष से मुलाकात की तथा उन्हें ज्ञापन दिया जिसमें दहेज तथा तड़क भड़कपूर्ण शादियों पर पूर्ण और प्रभावी रोक लगाने के लिए कई उपायों की मांग की गई है.

इस प्रदर्शन ने दहेज की बुराई के खिलाफ जो राष्ट्र पर एक कलंक है, महिलाओं के एकजुट आन्दोलनों के शुरूआत का

(शेष पृष्ठ ५८ पर)

बोट क्लब की ओर बढ़ता हुआ दहेज विरोधी जुलूस

युद्ध के खिलाफ और शांति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष

यहूदीवादी हमले के खिलाफ

इस्राइल

लगभग ५ हजार प्रदर्शनकारी लेबनान में अमेरिकी समर्थन प्राप्त इस्राइली युद्ध के खिलाफ ७ अगस्त को तेल अवीव के मुख्य मार्गों से गुजरे. उन्होंने बेरूत से इस्राइली फौजों की वापसी और पी एल ओ के साथ बातचीत की मांग की. प्रदर्शन को युद्ध विरोधी वामपंथी समिति ने आयोजित किया था. बाद में जेरूसलम में प्रधान मंत्री बेगिन के दफ्तर के सामने उन्होंने क्रमिक भूख हड़ताल की.

इटली

लेबनान पर इस्राइली आपराधिक हमले के खिलाफ १७ जून को रोम में हजारों लोगों ने फिलिस्तीनी व लेबनीज जनता के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए प्रदर्शन में भाग लिया. प्रदर्शन का आयोजन इटैलो फिलिस्तीनी समिति व इटैली-अरब एसोसिएशन ने संयुक्त रूप में किया था.

फ्रांस

तीन फ्रांसीसी ट्रेड यूनियन संगठनों:सी जी टी; सी एफ डी टी व एई एन ने २२ जून को पेरिस में एक भारी प्रदर्शन किया और संयुक्त रूप से पी. एल. ओ. को खत्म करने के लिए लेबानान पर किए गए अमेरिकी समर्थन प्राप्त इस्राइली हमले की निंदा की. प्रदर्शन ने पी.एल.ओ. के छापामारों के साथ एक-जुटता व्यक्त की.

अफगानिस्तान

अफगानिस्तान के सेंट्रल ब्यूरो आफ लेबर यूनियंज ने एक घोषणा में अमेरिकी साम्राज्यवाद के समर्थन से लेबनान पर किए गए इस्राइली हमले की निंदा की और कब्जाए गए समूचे अरब क्षेत्र से इस्राइली फौजों की वापसी की मांग की.

क्यूबा

क्यूबन मजदूर आन्दोलन ने पी एल ओ के खिलाफ अमेरिकी समर्थन प्राप्त इस्राइल के नरसंहारी युद्ध को तुरंत रोकने की मांग की. क्यूबा में पी एल ओ के प्रतिनिधि ने लजारो पेना ट्रेड यूनियन स्कूल में आयोजित एक बैठक में कहा कि फिलिस्तीनी व लेबनीज जनता अंत तक लड़ती रहेगी क्योंकि अरब जनता ही अब खतरे में है.

पेरू

पेरू के राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन के एक सौ से भी ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्तियों ने एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें उन्होंने लेबनान पर इस्राइली नरसंहारी हमले की निंदा की है और फिलिस्तीनी क्रांति के साथ एकजुटता व्यक्त की है.

अमेरिकी युद्ध तैयारियों के खिलाफ

जापान

एक संयुक्त शांति मार्च आयोजित किया गया जिसका आह्वान ट्रेड यूनियनों, जनवादी संगठनों और जापानी द्वीप, ओकीनावा, पर जिसे फार ईस्ट में पेंटागन की गतिविधियों के लिए एक बड़ा अड्डा बना दिया गया है, न्यूक्लीयर हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए संघर्षरत काउंसिल ने किया था. यह मार्च द्वीप के सभी महत्वपूर्ण नगरों से गुजरा और बैठकें आयोजित की और ओकीनावा को न्यूक्लीयर मुक्त क्षेत्र बनाने की मांग की.

पश्चिम जर्मनी

पश्चिम बर्लिन में मई में संपन्न जर्मन ट्रेड यूनियन कनफेडरेशन (डीजीबी) की १२ वीं कांग्रेस ने नाटो से अपील की है कि यह पश्चिम यूरोप में नए अमेरिकी मध्यम रेंज के मिसाइलों को लगाने की अपनी योजना रद्द कर दे और पहले लगाए गए सभी मिसाइलों को हटा दे. पश्चिमी जर्मनी व पश्चिम यूरोप में लगाए गए अमेरिकी मिसाइलों के खिलाफ़ बोन्न में १० जून को चार लाख लोगों ने प्रदर्शन किया. अन्य पश्चिम यूरोपीय देशों, अमेरिका, जापान व कनाडा के शांति आन्दोलनों के प्रतिनिधियों ने भी इस प्रदर्शन में भाग लिया.

इटली

देश में नए अमेरिकी न्यूक्लीयर हथियारों को लगाने के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए समूचे इटली से ३ लाख लोग रोम में इकट्ठा हुए. दसियों हजार ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने लाल झंडे लिए 'इटली नाटो से बाहर हो, नाटो इटली से बाहर हो' के नारे लगाते हुए प्रदर्शन में भाग लिया. मार्च का के आगे एक विशाल बैनर था जिस पर लिखा था "कोमिसो कल का हीरोशिमा नहीं बनना चाहता" इटली में सिसिलियन नगर का नाम कोमिसो है जिसे नए क्रुइज मिसाइलों के लिए नाटो का अड्डा बनाया गया है. सिसिलियन शांति व निरस्त्रीकरण समिति ने एक ज्ञापन पर दस लाख हस्ताक्षर एकत्रित किए हैं, जिसमें इटली की सरकार से मांग की गई है कि वह कोमिसो मिसाइल, अड्डे के निर्माण को रोक दे.

अमेरिका

निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के दूसरे विशेष अधिवेशन के समय सामाजिक संगठनों व चर्च के प्रतिनिधियों के एक दल ने १० मई को वाशिंगटन व अन्य अमेरिकी शहरों में निरस्त्रीकरण के लिए अभियान शुरू किया. अमेरिकी जनता के विभिन्न तबकों का प्रतिनिधित्व करने वाले इन भागीदारों ने आणविक हथियारों के परीक्षण, विकास, उत्पादन व स्थापन पर रोक लगाने और इन हथियारों को इस्तेमाल करने में पहल न करने की न्यूक्लियर शक्तियों की शपथ की मांग की. (सोवियत संघ ने पहले ही यह घोषणा की है कि यह न्यूक्लीयर हथियार इस्तेमाल करने में पहल नहीं करेगा).

सोवियत यूनियन

दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे को मनाने को लिएएक सप्ताह के दौरान लेनिनग्राद के हजारों लोगों ने शांति के लिये प्रदर्शन किया. उकराइने में ओऐगोराद में चेकोस्लोवाक शांति समर्थनों सहित दस हजार लोगों ने शांति के लिये प्रदर्शन किया. ऐसे ही प्रदर्शन कीव, कर्च व ब्रेस्ट के किले, जो जून १९४१ में नाजी युद्ध का शिकार होने में सबसे पहले था, में आयोजित किये गये. □

समझौता वार्ताओं में धीमी प्रगति के खिलाफ भेल मजदूरों द्वारा प्रतिरोध

सम्पूरे देश के भेल मजदूरों ने १२ अगस्त को बी. पी. ई. के हस्तक्षेप के कारण वेतन समझौत ावार्ताओं में धीमी प्रगति के खिलाफ अपनी प्रतिरोध आवाज बुलन्द की. भोपाल सम्मेलन में निमित संघर्ष समिति ने इसका आह्वान किया था. सभी प्लांट कार्यालयों में मजदूरों ने प्रतिरोध प्रदर्शन आयोजित किये. प्रबंधकों के दृष्टिकोण के खिलाफ मजदूरों का रोष व्यक्त करने लिये भेल के चेयरमैन को तार भेजे गये.

हालांकि संयुक्त समिति की बैठक ५ व ६ अगस्त को हरिद्वार में होनी थीं लेकिन प्रबंधकों ने इसे स्थगित कर दिया. प्रबंधकों द्वारा अपने प्रस्ताव में कोई भी सुधार करने से इन्कार करने के कारण १२ व १३ अगस्त की बैठक कोई निर्णय नहीं ले सकी.

मौजूदा कर्मचारियों के वेतन में ७० रुपये की सुविधा देने के पहले प्रस्ताव पर प्रबंधक अड़े हुए हैं. हालांकि प्रबंधकों ने स्कूटर के लिए अग्रिम देने के लिए वेतन सीमा को वापस लेना स्वीकार किया, लेकिन कोष की उपलब्धता की पूर्वशर्त मजदूरों को कोई खास सुविधा देने में नाकामयाब रही. लेकिन स्कूटर व मोपेड रखने वालों को स्कूटर भत्ता देने से इन्कार करना मजदूरों को स्कूटर रखने में सहायता नहीं कर रहा है. स्कूटर की पूरी कीमत को ऋण के रूप में देने की प्रबंधकों की मांग भी प्रबंधकों ने अस्वीकार कर दी.

एन. एम. आर. मजदूरों के लिए प्रबंधकों ने वेतन वृद्धि करना स्वीकार किया और अकुशल मजदूरों के लिए १२ रुपये दैनिक, अर्द्ध कुशल के लिए १४ रुपये दैनिक और कुशल व अतिकुशल के लिए रु० १६.२० पैं. दैनिक वेतन देने का प्रस्ताव रखा जिसे मजदूरों ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि ये उद्योग में व्यावसायिक वेतनों से कम थे.

मजदूरों में सबसे ज्यादा असंतोष का सवाल एच. आर. ए. सी. सी. ए. व ट्रांसपोर्ट भत्ते पर समझौता न करना है. पिछले समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इन पर समझौता होना था. हालांकि मजदूर हैदराबाद व त्रिची जैसे शहरों में रहते हैं, प्लांट शहरी सीमा से बाहर स्थित हैं और सरकार इन शहरों के लिए मान्य भत्ता भी देने के लिए तैयार नहीं है. हालांकि प्रबंधकों ने इन मांगों के औचित्य को सिद्धान्त: स्वीकारा है लेकिन सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं दी है. इससे पहले संयुक्त समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये सरकार से अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया था. एक बार फिर १२ अगस्त की बैठक में यह अनुरोध किया गया. लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई संकेत नहीं दिया है. हैदराबाद व त्रिची में कई मजदूरों ने यूनियनों से कहा है कि जब तक ये मांगें नहीं मानी जाती समझौते पर हस्ताक्षर न किये जाएं.

भेल संघर्ष समिति ने २५ अगस्त को सभी प्लांटों व कार्यालयों में धरना आयोजित करने का आह्वान किया. इसने संयुक्त समिति की बैठक की पूर्व संध्या, २७ अगस्त, को दिल्ली में कम्पनी के मुख्यालय पर प्रबंधकों व सरकार की देर करने वाली नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध जाहिर करने के लिये धरना आयोजित करने का फैसला किया.

सभी प्लांटों में सफल धरने आयोजित किये गये. हैदराबाद में इंटक के मजदूरों तक ने धरने में भारी संख्या में भाग लिया. मुख्यालय पर धरने को स्थगित करना पड़ा क्योंकि मनगढ़ंत कारणों से प्रबंधकों ने संयुक्त समिति की बैठक स्थगित कर दी.

भेल मजदूरों का पिछला समझौता ३१ अगस्त को खत्म हो जायेगा और प्रबंधकों ने अभी तक कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया है कि समझौता पिछली तारीख से ही यानि एक सितम्बर से ही लागू होगा.

मांग पत्र पर समझौता होने में देरी मजदूरों में भारी रोष पैदा कर रही है. यदि स्थिति ज्यों की त्यों रही तो संघर्ष समिति को आंदोलन तेज करना पड़ेगा. □

'सीटू मजदूर प्रेस' पर नक्सलपंथियों का हमला

छः अगस्त को मुजफर अहमद मैमोरिल ट्रस्ट द्वारा संचालित दिल्ली में ओखला स्थित प्रेस "प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स" पर, जहां से सीटू मजदूर एवं वर्किंग क्लास आदि सीटू की पत्रिकाएं तथा मा० क० पा० एवं एस० एफ आई० के पत्र लोकलहर पिपुल्स डेमोक्रेसी तथा स्टूडेंट स्ट्रगल आदि छपते हैं, नक्सलपंथियों के एक समूह ने हमला किया.

यह आक्रमण ट्रेड यूनियनों एवं जनता तथा मजदूरों के जनवादी आन्दोलन के प्रकाशनों को अव्यवस्थित करने की नक्सली योजना का एक हिस्सा था. नक्सलियों के द्वारा और कई मौकों पर इस प्रकार की कोशिशें की गई थीं. प्रेस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद उनके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की.

इस शैतानीपूर्ण योजना को नक्सलियों ने प्रेस के कुछ भूत पूर्व कर्मचारियों की समस्याओं के लिए प्रदर्शन के बहाने से तैयार की थी. उन्होंने पत्थरों से शीशे तोड़ते तथा अन्य नुकसान पहुंचाते हुए अचानक प्रेस पर धावा बोल दिया. उस क्षेत्र की सीटू से सम्बद्ध यूनियनों के कार्यकर्ताओं ने जो प्रेस की सुरक्षा के लिए वहां एकत्रित हो गये थे नक्सलियों को प्रेस में घुसने से रोका. इस घटना में ५ मजदूर तथा कुछ प्रेक्षक घायल हो गये जिन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज कराना पड़ा. एक प्रेक्षक हरीराम को अस्पताल में भर्ती तथा आपरेशन कराना पड़ा.

उस समय मामला चरम सीमा पर पहुंच गया जब पहले ही रिपोर्ट दर्ज किए होने के बावजूद पुलिस ने गुण्डों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आधी रात को प्रेस के प्रबन्धक सेन (शेष पृष्ठ ५८ पर)

रिजर्व बैंक प्रशासन द्वारा अस्थिरता पैदा करने की कोशिश

हर तरफ के दमन एवं अदालती मामलों के जरिये एकतरफा १५% कार्यभार-वृद्धि थोपे जाने के खिलाफ रिजर्व बैंक कर्मचारियों के संघर्ष को दबा सकने में असफल रिजर्व बैंक प्रशासन ने कलकत्ता में क्लीयरिंग हाउस से हटकर तथा राज्य सरकार के लेन देन के लिए बहुत सी खिड़कियों को बन्द करके अपना आक्रमण जनता एवं पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ घुमा दिया है. इसने केवल जनता को ही गम्भीर परेशानियों में नहीं डाल दिया है बल्कि इसने राजस्व प्राप्तियों को रोककर राज्य सरकार को अत्यन्त उलझन में डाल दिया है. इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से वाममोर्चा सरकार की वित्तीय क्षमता को अस्थिर करना है, क्योंकि कैश काउंटरों को बन्द करने और क्लीयरिंग हाउस से हटने का कर्मचारियों के संघर्ष से कोई मतलब नहीं है जो कि मात्र करेंसी नोट और वेरीफिकेशन सेक्शनों तक ही सीमित है. रिजर्व बैंक प्रशासन समय की बचत करने के लिये देश के विभिन्न केन्द्रों में प्रतिदिन करोड़ों रुपये की करेंसी नोटों को बिना गिने अथवा जांच किये हुये रद्द करने की अपनी घृणित "परिवर्तित कार्यप्रणाली" के द्वारा न केवल प्रति दिन १२०० कर्मचारियों के काम को रद्द कर रहा है बल्कि इसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिये काले धन के व्यापारियों के साथ अपनी सांठ गांठ को भी उजागर कर दिया है.

आल इण्डिया रिजर्व बैंक इम्प्लाईज एसोसिएशन की केन्द्रीय कार्यकारिणी ने अपनी हाल की बैठक में नई परिस्थितियों पर विचार किया और परेशान जनता के हित में अपने संघर्ष का रूप बदलने का निर्णय लिया. कार्यकाल की समाप्ति के बाद अतिरिक्त कार्य को वापस करने के बजाय अब यह कड़ाई के साथ वर्क मैन डाक में निहित कार्यप्रणाली का पालन करेगा. एक तरफ प्रशासन को जनता को भ्रमित अथवा परेशान करने की इजाजत न देने तथा दूसरी तरफ काम में लगने वाले अतिरिक्त समय को दर्ज करने का निर्णय लिया गया. एसोसिएशन के महासचिव आशीस सेन ने १३ अगस्त को बैठक के बाद प्रेस को दिये गये एक बयान में प्रशासन से बन्द काउंटरों को तुरन्त खोलने तथा क्लीयरिंग हाउस में हिस्सा लेने की मांग की. उन्होंने पुनः प्रशासन से कर्मचारियों के खिलाफ दण्डात्मक कदमों को वापस लेने तथा विवाद को हल करने के लिए एसोसिएशन के साथ सार्थक वार्ता शुरू करने की मांग भी की। कर्मचारियों को उनके जुझारु संघर्ष के लिये बधाई देते हुये उन्होंने बैंक कर्मचारियों के संघर्ष के साथ एकजुटता का इजहार करने वाली बिरादराना यूनियनों के प्रति आभार प्रकट किया. □

ए. आई. पी. डब्लू. एफ. का चौथा सम्मेलन

आल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन का चौथा सम्मेलन १६ से १८ सितंबर को सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में होगा.

सीटू के अध्यक्ष कामरेड बीटी रणदिवे, और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री व सीटू के उपाध्यक्ष, कामरेड ज्योति बसु को सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया है. □

परंपरागत और आधुनिक पहनावों का कलात्मक संगम

हमारे यहां साड़ियों, लुंगियों, साज सज्जा की वस्तुओं, चद्दरों, लाइसेम्पी, और रुमालों का अनोखा भण्डार है.

हमारी हस्तकला किसी से पीछे नहीं ! हमारे यहां बेंत के फर्नीचर, लकड़ी की मूर्तियों, बांस के खिलौने एवं बहुत सी सज्जा की हस्तनिर्मित वस्तुएं उपलब्ध हैं.

हां, हम कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं हैं, परन्तु हथकरघा और हस्तकला को हमने कुछ सुन्दरता प्रदान की है.

फोन नं.—१९६,१७१३

त्रिपुरा हथकरघा एवं हस्तकला विकास निगम लि०.
(त्रिपुरा सरकार का संस्थान)

महाराजा वीर विक्रम सरणी
अगरतला, त्रिपुरा-799001

भत्ता भी शामिल है, के आधार पर सभी मजदूरों को ३५ प्रति-

राज्यों के समाचार

पश्चिम बंगाल

जूट मजदूरों की संपूर्ण हड़ताल

पश्चिम बंगाल के ढाई लाख जूट मजदूरों ने १० अगस्त को एक दिन की संपूर्ण हड़ताल की. याद रहे कि पिछले १० अगस्त के ही दिन वेतन-फैसले के ग्रेडों व वेतनमानों को लागू करने की मांग करते हुए एक दिन की हड़ताल की गई थी. १९८१ की इस हड़ताल में सीटू, एटक, यू टी यू सी, टी यू सी सी व एच एम एस की यूनियनों ने भाग लिया था. जूट सामंतों के बढ़ते हमलों के कारण मजदूरों ने एक साल के अन्दर अपना एक जुट मंच और भी व्यापक कर लिया. मौजूदा हड़ताल का आह्वान सात संगठनों ने संयुक्त रूप से किया था. ये संगठन हैं: बंगाल चटकल मजदूर यूनियन (सीटू), फेडरेशन आफ चटकल मजदूर यूनियन (एटक), बंगाल प्रोविंसल चटकल मजदूर यूनियन (यू टी यू सी), पश्चिम बंगाल चटकल मजदूर फेडरेशन (टी यू सी सी), आल इण्डिया जूट टैक्सटाइल वर्कर्स फेडरेशन (एच एम एस), नेशनल यूनियन आफ जूट वर्कर्स (सुब्रता मुखर्जी नेतृत्व वाली इंटक) और राष्ट्रीय चटकल मजदूर यूनियन (काली मुखर्जी नेतृत्व).

हड़ताल को संपूर्ण बनाने के लिए यूनियों ने संयुक्त व स्वतन्त्र रूप से भारी अभियान शुरू किया था. गंगा के दोनों किनारों, बांस बेरिया से बेलूट तक एक ओर तथा दूसरी ओर बारालापु से हाजीनगर हुकुमचन्द तक, पर सभी जूट मिलों में धरना, प्रदर्शन, गेट मीटिंगें, व सम्मेलन आयोजित किये गये थे. पश्चिम बंगाल में हड़ताल के साथ-साथ मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश के जूट मजदूरों ने भी इस दिन हड़ताल की.

पिछले एक साल के दौरान, जूट मालिकों ने वेतन के ग्रेडों व वेतनमानों से सम्बन्धित फैसले का उल्लंघन करने के बाद जानबूझकर १६-१७ जूट मिलों को बिना कारण बन्द रखा जिससे ६० हजार से भी ज्यादा मजदूरों पर असर पड़ा. उन्होंने रिजर्व बैंक द्वारा कच्चे जूट की खरीद के लिए दिए गए २०० करोड़ रुपयों के उधार को दूसरे कार्यों में लगा दिया जिससे जूट किसान असहाय हो गये. उनके बलाक क्लोजर के प्रस्ताव को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा रद्द कर दिये जाने के बाद, उन्होंने अनेक मिलों में रोजाना शाम ६ बजे से रात १० बजे तक चार घंटों के लिये उत्पादन रोक दिया और ८ घंटों की बजाये ६ घंटों की शिफ्ट कर दी. उत्पादन में कटौती से जूट की वस्तुओं के दामों में तुरन्त वृद्धि हो गई. उन्होंने धागों की कीमत ३०-४० रुपये प्रति क्विंटल कम करके भारी मुनाफा कमाया और इस तरह जूट किसानों का खून चूसा.

जूट सामंतों की घोर श्रम विरोधी व अड़ियल नीतियों ने जिन्हें भारत सरकार की इजारेदार परस्त नीतियों से समर्थन प्राप्त था और जिसने जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग रद्द कर दी थी, जूट मजदूरों को हड़ताली कार्यवाही करनी पड़ी. हड़ताल करने के बाद मजदूर विभिन्न मिलों से जुलूस की शक्ल में आए और एस्प्लेनेड ईस्ट में एक भारी रैली की जिसकी अध्यक्षता काली मुखर्जी ने की. संबोधन करने वालों में नीरेन घोष, एम०पी०, बी०सी०एम०यू, अनिल दास चौधरी, बी०पी० सी०एम०यू, अरोबिंदो घोसल, टी०यू०सी०सी०, मोहन घोरोई, एच एम एस, और सुब्रता मुखर्जी, इंटक, शामिल थे. सुब्रता मुखर्जी ने इंटक के सिसिर गांगुली के नेतृत्व वाले इंटक की तथा यू टी यू सी (एल एस) की कड़ी निंदा की जिन्होंने हड़ताल में भाग लेने की बजाये नागरिक असहयोग शुरू कर दिया.

जूट सामंतों व भारत सरकार को चेतावनी देते हुए रैली ने एक प्रस्ताव पारित किया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो यह सांकेतिक हड़ताल एक व्यापक संघर्ष की शुरूआत होगी. मांगों में तालाबन्द जूट मिलों को बिना शर्त तुरंत खोलना व तालाबन्दी के समय का मुआवजा देना, उत्पादन में कटौती को तुरन्त रोकना, ३०० रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन कीमत और जूट किसानों के सीधे सारा कच्चा जूट खरीदना और वेतन फैसले के ग्रेडों व वेतनमानों को लागू करना शामिल हैं.

इस्पात मजदूरों का संयुक्त आंदोलन

राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा १७ व १८ जुलाई को बोकारो में आयोजित अखिल भारतीय इस्पात मजदूर सम्मेलन के फैसले के अनुसार पश्चिम बंगाल में इस्पात मजदूर यूनियनों ने कलकत्ता में सात अगस्त को एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया ताकि भारत सरकार के वेतन को उत्पादकता से जोड़ने के कदम के खिलाफ संघर्ष के लिए मजदूरों को लामबन्द किया जा सके.

सम्मेलन से पहले जारी किए गए एक संयुक्त बयान में सात यूनियनों: एसोसिएशन आफ सेल एंप्लाईज, बोकारो स्टील प्लांट एंप्लाईज मेनियन (कलकत्ता), आई आई एस सी ओ कलकत्ता आफिसिस एंप्लाईज यूनियन, हिंदुस्तान स्टील एंप्लाईज यूनियन (दुर्गापुर), कलकत्ता, हिंदुस्तान स्टील वर्कर्स यूनियन, ज्वाइंट एंप्लाईज यूनियन और सेंट्रल कोल वाशरीज एंप्लाईज यूनियन के नेताओं ने सरकार के कदम की निन्दा की जो मजदूरों के वेतन जाम की कोशिश है. इस्पात उद्योगों में मौजूदा समझौता ३१ अगस्त को खत्म हो गया. मजदूरों की मांगों पर नया समझौता करने के लिये बातचीत करने की बजाए सरकार ने बिना उत्पादन वृद्धि के कोई भी वेतन वृद्धि करने से इन्कार कर दिया और वह भी पिछली तारीख से. हालांकि यह 'उत्पादकता वर्ष' का पाखंड रच रही है, वास्तव में यह उत्पादन में कटौती की नीति अपना रही है. सरकार का यह कदम मजदूरों के सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को खत्म करने के लिये इसकी श्रम विरोधी नीतियों के आधार पर उठाया गया है. एन एस ए व एस्मा लागू करने के बाद, इसने अब आई डी कानून व टी. यू. कानून में मजदूरों के हड़ताल अधिकार को पूरी तरह छीनने के लिये संशोधन कर दिया है. उत्पादकता से जुड़ा वेतन थोपना तथा काले कानूनों को लागू करना पूंजीवादी योजना के संकट के

बोझ को मजदूरों पर लादने की सरकार की योजना का ही हिस्सा होता रहा है और साथ ही आई एम एफ की शर्तों को पूरा करने के लिए अधिनायकवादी तरीके में वेतन जाम करना व यूनियनों के संगठित कदम को शिकस्त देना है.

चहुमुखी हमलों के दौर में मजदूरों के पास एक ही विकल्प बचा है : एकजुट होकर संघर्ष करना. बयान में मजदूरों का आह्वान किया गया था कि वे सरकार के कदमों को शिकस्त देने के लिए एक संयुक्त आंदोलन की सफल योजना बनाने के लिए सम्मेलन में भारी तादाद में हिस्सा लें. □

बिहार

बर्खास्त मजदूरों की बहाली के लिये मजदूरों ने प्रबंधकों को मजबूर किया

धनबाद डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेशन कमेटी आफ एंप्लाईज एंड वर्कर्स एसोसिएशंज के नेतृत्व में इंडियन स्कूल आफ माइंस, धनबाद, के कर्मचारियों ने एक जुझारू संघर्ष किया और प्रबंधकों को बर्खास्त किए गए दो कर्मचारियों को बहाल करने के लिए मजबूर कर दिया. इंडियन स्कूल आफ माइंस के डायरेक्टर ने अपनी घोर श्रम विरोधी नीतियों के चलते दो कर्मचारियों को उनकी ट्रेड यूनियन गतिविधियों के कारण बर्खास्त कर दिया. इन कर्मचारियों को कोई कारण नहीं बताया गया. भारतीय खान विद्यापीठ संघर्ष समिति ने सात-सूत्री मांग-पत्र रखा और उनकी पहली मांग थी कि इन कर्मचारियों को बहाल किया जाए. प्रबंधक बातचीत से इंकार करते रहे. तुरंत आंदोलन शुरू करने के लिए डिस्ट्रिक्ट को आर्डिनेशन कमेटी ने २७ जुलाई को सभी यूनियनों का एक सम्मेलन बुलाया जिसे सीटू एटक का समर्थन प्राप्त था. स्कूल आफ माइंस के मजदूरों ने २८ जुलाई को अपने परिवारों के सदस्यों के साथ डायरेक्टर के दफ्तर के सामने धरना दिया और एक भारी रैली आयोजित की. रैली को संबोधित करने वालों में सीटू के जी०के० बक्शी, एटक के चिन्मय मुखर्जी, इन्द्रदेव सिंह, महासचिव, और यू० एस० चंदा, महासचिव, कोआर्डिनेशन कमेटी, शामिल थे. एकजुट आंदोलन के दबाव से सरकार ने त्रिपक्षीय बैठक बुलाई और प्रबंधक उत्पीड़ित कर्मचारियों को बहाल करने के लिए मान गए और साथ ही वे यह भी माने कि बाकी मांगों पर समिति के साथ बातचीत बाद में की जाएगी. □

सिनेमा मजदूरों का तालाबंदी के खिलाफ संघर्ष

बिहार सिनेमा कर्मचारी संघ (सीटू) के नेतृत्व में प्रिया म की तालाबंदी के खिलाफ बेटैय्या के सिनेमा मजदूरों ने संघर्ष किया है. सिनेमा का मालिक, जो कांग्रेस (आई) का नेता है और एम एल सी के चुनाव में उम्मीदवार है, जनता से लिए गए मनोरंजन कर को टिकटों पर न छाप कर हड़प रहा था. जब सभी ज्ञापनों पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो यूनियन ने मालिक के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया. अचानक ६ अगस्त की सुबह को मालिक ने सिनेमा में तालाबंदी कर दी और इसका कोई कारण नहीं बताया. सरकार ने इस मालिक की खुली गैर कानूनी हरकत पर कोई कदम उठाने की बजाए उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस का एक बड़ा दल भेज दिया. मजदूरों को आतंकित करने के लिए क्षेत्र के जाने माने गुंडों को लगा दिया गया है. सीटू के नेतृत्व में और एस एफ आई, डी वाई एफ आई व अन्य सभी ट्रेड यूनियनों के समर्थन से मजदूरों ने सिनेमा खोलने की मांग करते हुए जुझारू संघर्ष शुरू कर दिया है. □

राजस्थान

मजदूरों द्वारा अपने यूनियन कार्यालय पर कब्जा

कोटा में जे० के० सिंथेटिक्स मजदूर यूनियन के सदस्यों ने अपनी यूनियन के नेतृत्व को स्वयं चुनने और अपने कामकाज का स्वयं प्रबंध करने के अपने अधिकार का दृढ़ता से इस्तेमाल किया. उन्होंने दो अन्य यूनियनों के साथ मिलकर सीटू की राजस्थान कमेटी के महासचिव को एक संयुक्त अपील दी थी कि उनके चुनाव कराए जाएं. राज्य सीटू के महासचिव ने चुनाव कराए और इसमें पुराने नेतृत्व को करारी शिकस्त मिली. पराजित नेतृत्व कोर्ट में चला गया. हजारों मजदूर कोर्ट गये और यह दृढ़तापूर्वक कहा कि उन्होंने स्वयं अपने नेतृत्व चुना है. स्वाभाविक ही जज ने मजदूरों के अधिकार जिसे सीटू केंद्र ने भी मान्यता दी थी का सम्मान किया और २४ जुलाई १९८२ को मामला रद्द कर दिया.

लेकिन सीटू केंद्र के निर्देश और कोर्ट के फैसले के बावजूद विस्थापित नेतृत्व ने यूनियन आफिस पर गैर-कानूनी कब्जा जमाए रखा. ९ अगस्त को सदस्य यूनियन आफिस पर कब्जा करने गये. लेकिन पुराने नेतृत्व ने दफ्तर देने की बजाए मजदूरों पर घातक हथियारों से हमला कर दिया. कई मजदूर हालांकि घायल हो गये लेकिन उन्होंने दफ्तर पर से अपना कब्जा नहीं छोड़ा. मौके पर पुलिस आ गई और मजदूरों पर हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लिया. बाद में रात को पुलिस ज्यादा तादाद में आई और दफ्तर पर सील लगादी कि यह विवादा संपत्ति है.

सी पी आई (एम) के सांसद बसुदेव आचार्य व मसुदल हुसैन ११ अगस्त को कोटा गये और घायल मजदूरों से मिले और जिला कलेक्टर के पास एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया. उन्होंने कहा कि यूनियन दफ्तर के मामले को जल्दी से निपटाया जाए ताकि यूनियन सामान्य तौर पर कार्य कर सके. उन्होंने लगातार वर्षा में ही मजदूरों की एक सभा को संबोधित किया और उनके यूनियन के जनवादी कार्य के लिये संघर्ष का समर्थन किया. □

मजदूरों द्वारा बोनस की मांग

कोटा में सीटू से संबद्ध जे० के० टायर व कार्ड मजदूर यूनियन तथा जे० के० सिंथेटिक्स मजदूर यूनियन ने अपने-अपने प्रबंधकों को १९८१ के लिये उनके वार्षिक वेतन, जिसमें महंगाई

भत्ता भी शामिल है, के आधार पर सभी मजदूरों को ३५ प्रतिशत बोनस देने की मांग करते हुए नोटिस दे दिये हैं. उन्होंने उत्पादन पर मुनाफे के हिस्से के रूप में १,८०० रुपये प्रति मजदूर एक्स-ग्रेशिया की भी मांग की है. यूनियन ने इसकी अदायगी १५ दिन में करनेकी मांग की है, नहीं तो यूनियन द्वारा आंदोलन-कार्यक्रम तैयार किया जायेगा जिसमें घेराव, टूलडाउन हड़ताल व संघर्ष के अन्य तरीके भी शामिल हैं. उन्हें यह अल्टीमेटम देने के लिये मजबूर होना पड़ा क्योंकि प्रबंधक मांगों पर बातचीत शुरू नहीं कर रहे थे. □

सिंटेक्स मजदूरों का संघर्ष

दोंगारपुर में सिंटेक्स फैक्टरी के मजदूरों द्वारा सीटू यूनियन बनाने के तुरंत बाद प्रबंधकों ने पुलिस व गुंडों की मदद से मजदूरों पर जिनमें ज्यादातर जनजाति के लोग हैं, आतंक ढाना शुरू कर दिया. २७-सूत्री मांग-पत्र दिये जाने के बाद प्रबंधकों के कहने पर पुलिस ने कई मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया तथा प्रबंधकों के भाड़े के गुंडों ने करीब १५० मजदूरों को पीटा. लेकिन इससे अविचलित मजदूरों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया तथा एक हजार से भी ज्यादा मजदूरों ने एक भारी जुलूस निकाला तथा जिला मजिस्ट्रेट के पास गये जिन्हें एक ज्ञापन दिया गया. उसके बाद एक रैली आयोजित की गई जिसने प्रबंधकों और सरकार को चेतावनी दी कि यदि बातचीत द्वारा मजदूरों की मांगों पर समझौता नहीं किया गया तो और भी जबरदस्त संघर्ष किया जायेगा. □

हरियाणा

मजदूरों पर पुलिस दमन बढ़ा

सोनीपत : हरियाणा पुलिस ने गुंडों की मदद से सोनीपत में तिरुपति वूलन मिल्ज के सामने सीटू के नेतृत्व में आयोजित गेट मीटिंग में भाग ले रहे मजदूरों का बर्बर दमन शुरू कर दिया. उन्होंने अनेक मजदूरों को घायल कर दिया, महिला कामगारों के साथ छेड़छाड़ की तथा यूनियन के झंडे को फाड़ दिया. सीटू नेता हवासिंह व जगतसिंह को घसीट करके फैक्टरी के अन्दर ले जाकर मैनेजर के सामने बुरी तरह पीटा गया. सैकड़ों मजदूर मौके पर पहुंचे और दोनों नेताओं को छुड़वाया. आतंक से डरने से इंकार करके आसपास की फैक्ट्रियों के सभी मजदूर रोजाना गेट मीटिंगें तथा प्रतिरोध रैलियां आयोजित कर रहे हैं. डिप्टी कमिश्नर को एक जन स्मरणपत्र दिया गया जिसमें पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई.

जींद : मजदूरों को उत्पीड़ित न करने के सीटू के साथ समझौता होने के बाद के० सी० टैक्सटाइल के प्रबंधकों ने यूनियन के दो मजदूरों को २६ जून को बर्खास्त कर दिया. पुलिस ने सीटू कार्यकर्ताओं को अब पकड़-पकड़ कर पीटना शुरू कर दिया है.मजदूर ३० जून से मजदूरों की बहाली की और मजदूरों के संघर्ष में पुलिस हस्तक्षेप बन्द करने की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए.

हिसार : हिसार टैक्सटाइल मिल के प्रबन्धकों ने पिछले साल सितंबर १९८१ में सीटू, एटक, बी एम एस व अन्य यूनियनों के संयुक्त मंच के साथ १०८ दिनों की लंबी हड़ताल के बाद समझौता करने के बाद से ही मजदूरों पर दमन तेज कर दिया था. इसने छंटनी, मुअत्तिली व बर्खास्तगी करनी शुरू कर दी. मजदूरों को पीटने के लिए गुंडों को भाड़े पर रखा गया है. लेकिन आतंक का सामना करते हुए यूनियन ने एकजुट संघर्ष शुरू कर दिया है. दूसरी फैक्ट्रियों के मजदूरों के समर्थन से हर रोज आम सभाएं प्रदर्शन व रैलियां आयोजित की जा रही है. □

उत्तर प्रदेश

राज्य सीटू की बैठक

सीटू की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी की वृहतर बैठक कानपुर में १४-१५ अगस्त को संपन्न हुई जिसमें ६० साथियों ने भाग लिया. हरसहाए सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की.

महासचिव दौलत राम ने राज्य कमेटी की जून से संपन्न पिछली बैठक में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित क्षेत्रीय बैठकों की संक्षिप्त रिपोर्ट पेश की. उन्होंने कहा कि इन सम्मेलनों को अच्छा समर्थन मिला जो इस बैठक से भी स्पष्ट है. बहस में ३५साथियों ने भाग लिया. बहस से पता चला कि जहां लंबे संघर्षों में कुछ पुरानी यूनियनें निष्क्रिय हो गई हैं वहां कई केंद्रों में मजदूरों के नए हिस्से जिनको पंजीकरण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है सीटू के नेतृत्व में आ रहे हैं.

राज्य कमेटी की बैठक रात को हुई और जवाब के प्वाइंटों पर विचार किया. दौलत राम ने १५ अगस्त को राज्य कमेटी की राय पेश की, यह फैसला किया गया कि उल्लेखन तथा उन यूनियनों के जिन्हें अभी तक पंजीकरण नंबर प्राप्त नहीं हुआ है, सभी विवाद एक सितम्बर तक राज्य कमेटी कार्यालय में भेज दिए जाएं ताकि सितंबर के पहले सप्ताह में श्रमआयुक्त के पास एक प्रतिनिधि मंडल में जाया जा सके.

सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने बंगलौर में सम्पन्न वर्किंग कमेटी की बैठक की रिपोर्ट पेश की. यूनियनों को कहा गया कि वे बंबई के कपड़ा मजदूरों के लिए कुछ अनुदान इकट्ठा करें और २५० रुपये तुरन्त ही इकट्ठा कर लिए गए. 'शांति व एकजुटता दिवस' एक सितंबर को १० औद्योगिक केन्द्रों में मनाने तथा इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को लामबंद करने के लिये उठाये जाने वाले कदमों पर फैसला लिया गया.

कई सदस्य यह जानना चाहते थे कि कानपुर में सीटू का पांचवा सम्मेलन करने के लिए किस तरह की जरूरतें पड़ेंगी. अरविंद कुमार ने सदस्यों को बताया कि सम्मेलन की सफलता के लिए ५ लाख रुपये तथा एक हजार वालंटियरों की जरूरत पड़ेगी. मौजूद सदस्यों ने आपस में बातचीत की और कोष जुटाने तथा वालंटियर भेजने के लिए अपने अपने लिए कोटा तय कर लिया. उनका उत्साह काफी था. सदस्याओं को बताया गया कि इस पर आगे बहस तभी हो सकती है जब इसके बारे में पक्का फैसला ले लिया जाएगा.

सदस्यों को सूचित किया गया कि कानपुर में सीटू यूनियनों का सम्मेलय ४-५ सितम्बर को होगा, जिसमें कानपुर में सीटू की गतिविधियों के तालमेल के लिए एक जिला कमेटी बनाई जाएगी.

चीनी, कपड़ा व इंजीनियरिंग उद्योगों में जितनी जल्दी संभव हो सके. यूनियनों की बैठकें आयोजित करने के लिए कार्यक्रम बनाया गया. □

सहारनपुर में नई यूनियन का निर्माण

इंडिया टोबैको कंपनी की सहारनपुर (उ०प्र०) फैक्टरी की पुरानी यूनियन के नेतृत्व द्वारा १९ जनवरी की हड़ताल में भाग लेने से इंकार करने के कारण एक नई सीटू की यूनियन बन गई है.

इस जुझारू यूनियन के निर्माण का अभिनंदन करते हुए ३ अगस्त को एक आम सभा आयोजित की गई जिसे अन्यों के अलावा सी.पी. आई. (एम) के संसद हन्नन मोल्लाह ने संबोधित किया. यूनियन ने सोमनाथ चटर्जी, एम. पी. के नेतृत्ववाली फेडरेशन में शामिल होने का फैसला किया. □

त्रिपुरा

वाममोर्चा सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन में वृद्धि

खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुये त्रिपुरा की वाममोर्चा सरकार ने मजदूरों का दैनिक वेतन १ अगस्त से ७ रुपये से बढ़ाकर ८ रुपये कर दिया है. इसी तरह रबर बागान मजदूरों का दैनिक वेतन भी ८ रुपये कर दिया गया है. त्रिपुरा के न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने चाय बागान मजदूरों के दैनिक वेतन में एक से छः रुपये तक वृद्धि करने की सिफारिश की है. त्रिपुरा सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है और चाय बागान मालिकान को इसे लागू करने के लिए कहा. लेकिन मालिकान ने इस वृद्धि को लागू करने से इन्कार कर दिया है और वे सिफारिशों को चुनौती देते हुए कोर्ट चले गये हैं. सीटू से संबद्ध चाय मजदूरों की यूनियन ने इन सिफारिशों को लागू करने के लिये मालिकान को मजबूर करने के लिये संघर्ष शुरू कर दिया है. □

कोयला मजदूर सम्मेलन.........

(पृष्ठ ४६ से आगे)

लिए हर सम्भव प्रयास करने की अपील करता है. सम्मेलन को पूरा पूरा यकीन है कि अपनी संघर्ष शील परम्पराओं के प्रतिवफादार भारत के कोयला मजदूर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के अनिच्छुक प्रशासन को अपनी जायज मांगों को स्वीकार करने के लिये मजबूर करने के लिये इस मौके पर खड़े होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे. □

रेल समाचार.........

(पृष्ठ ४७ से आगे)

न्यायालय में याचिका दायर की. १९ अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डी. ए. देशाई और न्यायाधीश ई. एस. वेंकटरमैया ने छंटनी लागू करने के खिलाफ निम्नलिखित आदेश दिया—

“कारण बताओ नोटिस दिया जाय. नोटिस के [illegible] तक स्थाई रेलपथ निरीक्षक शिवगंगा के अधीन कार्यरत, परिशिष्ट—२ में उल्लिखित १०५ खलासियों को वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी दक्षिण रेलवे मदुराई द्वारा १६ जुलाई को दिया गया नोटिस का अनुपालन एकतरफा स्थगित रहेगा.

मण्डल कार्मिक अधिकारी तथा रेलपथ निरीक्षक को यह आदेश आवेदक के खर्च पर तार द्वारा भेजा जाए. □

नाविकों की हड़ताल

(पृष्ठ ४८ से आगे)

रवैये के बाद कलकत्ता पोर्ट एंड शोर मजदूर यूनियन (सीटू) ने लिया था. इस सम्बन्ध में २५ अगस्त को एक जनसभा भी आयोजित की जाएगी.

केन्द्रीय मंत्री के पास प्रतिनिधि मंडल

फेडरेशन के अध्यक्ष एम. एम. लारेंस, एम. पी., और महासचिव के. के. राय गांगुली हड़ताल के बाद दिल्ली में केन्द्रीय जहाजरानी मंत्री से मिले जिन्होंने मामले की जांच करने का आश्वासन दिया.

अगला कार्यक्रम तैयार करने के लिए फेडरेशन की वर्किंग कमेटी की बैठक ६ व ७ सितंबर को टूटीकोरिन में होगी. □

दहेज विरोध प्रदर्शन.........

(पृष्ठ ५१ से आगे)

शुभारम्भ किया है. यह स्वतंत्र भारत में नैतिक मूल्यों के खतरनाक पतन तथा महिलाओं के अवमूल्यन को ही प्रदर्शित करता है. यह मंच केवल दहेज की कुप्रथा से प्रभावित महिलाओं अथवा उनके परिवारों के समर्थन के लिए ही काम नहीं करेगा बल्कि यह दहेज लेने और देने को सक्रियता से रोकने तथा अत्याचारों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेगा. परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि जड़ अछूता ही छोड़ दिया गया तो यह प्रथा खत्म नहीं हो सकती हैं. जैसे कि मा० क० पा० की संसद सदस्या कनक मुखर्जी ने १६ जुलाई को राज्य सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि न तो यह मात्र साधारण कानून, अपराध और दण्ड का सवाल है और न ही मात्र कानून और प्रशासन को टाइट करके इसका समाधान किया जा सकता है. यह स्वीकार करना होगा कि औरतों के प्रति दृष्टि कोण ही किसी देश में सभ्यता के स्तर और उन्नति को मापने का आधार है. इस समस्या को ऊपर ही से खत्म नहीं किया जा सकता है. इस सामाजिक बुराई की जड़ देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में है. अत: इस सामाजिक बुराई के खिलाफ आंदोलन को सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में ही परिवर्तन के आधार लगातार चलाना होगा. □

'सीटू मजदूर' प्रेस पर हमला

(पृष्ठ ५३ से आगे)

गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया जब कि वे सो रहे थे. पुलिस ने क्रमशः सीटू की दिल्ली राज्य एवं जिला कमेटी के सदस्य जयनाथ और मकान सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया और गुण्डों के साथ अपनी सांठ गांठ को उजागार करते हुए उनके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया.

प्रेस के कर्मचारी और सम्बद्ध यूनियनें सतर्क हैं तथा प्रेस की सुरक्षा एवं प्रेस के संचालन में बाधा पैदा करने के लिए नक्सली कोशिशों को विफल करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं. □

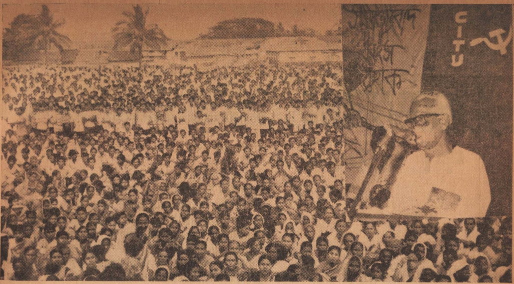

त्रिपुरा राज्य सीटू के सम्मेलन के खुले अधिवेशन को संबोधित करते हुए महासचिव कामरेड बीरेन दत्ता

बंगलौर में रैली को संबोधित करने के लिए आते हुए कामरेड ज्योति बसु

सीटू मजदूर

मुख पृष्ठ : द्वितीय वाम मोर्चा सरकार के निर्माण के बाद राइटर्स बिल्डिंग के सामने एक रैली को संबोधित करते हुए कामरेड ज्योति बसु. **वर्किंग कमेटी के फोटो : आर मसीलामनी, बंगलौर.**

संपादक मंडल : बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष), पी. राममूर्ति, मनोरंजन राय, नीरेन घोष, सुधीन कुमार, एम. के. पंधे

स्वाधीनता का संकल्प

हमें स्वाधीनता मिले ३५ वर्ष बीत चुके हैं। हमने राजनीतिक स्वाधीनता तो प्राप्त कर ली। किन्तु, क्या हमें आर्थिक स्वाधीनता भी प्राप्त हुई है ?

आर्थिक असमानता और बढ़ गई है। गरीब और ज्यादा गरीब हुए हैं। धनी और अधिक धनवान हो गये हैं।

संसदीय गणतंत्र पर खतरा बढ़ता जा रहा है। पृथकतावादी प्रवृत्तियाँ सिर उठा रही हैं।

आज राष्ट्रीय एकता ही खतरे में है।

शोषण और वंचना के विरुद्ध...निहित स्वार्थ और अशुभ शक्तियों के विरुद्ध संग्राम व चेतना का प्रसार ही स्वाधीनता की शपथ है।

अधिकारों के संतुलन को निपीड़ित जनता के अनुकूल बनाना ही आज का संकल्प है।

पश्चिम बंगाल सरकार

द्वारा सटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स के लिए ६, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-११०००१ (फोन : ३८४०७१)
शित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, सी ५२-५३ डी. डी. ए. शेड्स, ओखला, फेज-I, नई दिल्ली-११००२० से मुद्रित